लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 17, बुधवार, 15 मार्च, 1978/24 फाल्गुन, 1899 (शक)

No. 17, Wednesday, March 15, 1978/Phalguna 24, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 305 से 308 और 310 से 312	*Starred Questions Nos. 305 to 308 and 310 to 312	1-13
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 313 से 324	Starred Questions Nos. 313 to 324	13-19
अतारांकित प्रश्न संख्या 2887 से 2890, 2892 से 2913, 2915 से 2934, 2936 से 2996, 2998 से 3024 और 3026 से 3086	Unstarred Questions Nos. 2887 to 2890, 2892 to 2913, 2915 to 2934, 2936 to 2996, 2998 to 3024, 3026 to 3086	19-140
अतारांकित, प्रश्न संख्या 1308 दिनांक 1-3-78 के बारे में शुद्धि करने वाला विवरण	Correcting Statement reg. USQ No. 1308 dt. 1-3-1978	140
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में (पूछताछ)	Re. Calling Attention (Query)	140
प्रश्नों के बारे में	Re. Questions	141
बिहार की स्थिति के बारे में	Re. Situation in Bihar	141
सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	142-145
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of urgent Public Importance—	
तम्बाकू के उत्पादकों के समक्ष आ रहे गंभीर संकट का समाचार	Reported serious crisis faced by the tobacco growers	145-148
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	145
श्री आरिफ बेग	Shri Arif Beg	145
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	148
याचिका समिति	Committees on Petitions	148
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	148
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	148

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
चौदहवां प्रतिवेदन	Fourteenth Report . .	148
दिल्ली में राशन की दुकानों पर घटिया किस्म का चावल दिये जाने के बारे में	Re. Supply of inferior quality Rice in Delhi Ration shops . . .	149
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under Rule 377 . .	149-150
(एक) जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी-धारियों के साथ धोखा-धड़ी करने का कथित समाचार	(1) Reported Cheating of Policy Holders by LIC . . .	149
श्री सुभाष आहूजा	Shri Subhash Ahuja . . .	149
(दो) आल्वा आयोग प्रतिवेदन के पहले पता लग जाने का कथित समाचार	(2) Reported Leakage of Alva Commission Report . . .	149
श्री भगत राम	Shri Bhagat Ram . . .	149
(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थिति	(3) Situation in Aligarh Muslim University	150
श्री चन्द्रशेखर सिंह	Shri Chandra Shekar Singh	150
(चार) टिड्डी दल के आक्रमण की आशंका	(4) Likelihood of Locust invasion	150
श्री नाथू सिंह	Shri Nathu Singh .	150
(पांच) पटना में व्याप्त गंभीर स्थिति	(5) Serious Situation in Patna . .	150
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal . . .	150
सामान्य बजट, 1978-79—सामान्य चर्चा	General Budget, 1978-79—General Discussion	150-164
श्री श्याम सुन्दर दास	Shri S.S. Das	150
प्रो० आर० के० अमीन	Prof. R.K. Amin . .	151
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani	153
श्री एच० एल० पटवारी	Shri H.L. Patwari . . .	153
श्री कल्याण जैन	Shri Kalyan Jain . . .	154
श्री टी० बालकृष्णैया	Shri T. Balakrishniah . .	155
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	157
श्री आर० कोलनथाईवेलु	Shri R. Kolanthaivelu	157
श्री राममूर्ति	Shri Ram Murti . .	158
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo . .	158
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	160
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	Shri Rajendra Kumar Sharma .	162
श्री पायस टिर्की	Shri Pius Tirkey .	163
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (भाषण अपूर्ण)	Shri Dhirendranath Basu . .	164
आधे घंटे की चर्चा	Half-An-Hour Discussion . .	165

विषय	SUBJECT	PAGES
विदेश औषध कम्पनियों का विस्तार	Expansion of Foreign Drug Companies . . .	165—167
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri Prasannabhai Mehta .	165
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H.N. Bahuguna . .	166
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarayan Pandeya .	167
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	167
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	167
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa . .	167
कार्य मन्त्रणा समिति चौदहवां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Fourteenth Report . . .	166

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 15 मार्च, 1978/24 फालगुन 1899 (शक)
Wednesday, March 15, 1978/Phalguna 24, 1889 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Hill Area Development Plan

*305. **Shri Subhash Ahuja :**
Shri Yagya Dutt Sharma :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether a hill area development plan has been submitted by the Hill Areas Development Corporation : and

(b) if so, the main features thereof and Government's reaction thereto ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Subhash Ahuja : The Prime Minister has stated that the Hill Areas Development Corporation has not submitted any hill area development plan. I would like to know the functions of the Hill Area Development Corporation in case no such plan was submitted by it.

I would also like to know whether Government will ask the Corporation to formulate such schemes which provide for water supply, transport and exploitation of local resources in the hilly areas ?

Shri Morarji Desai : No Hill Areas Development Corporation has so far been constituted. There are two such bodies in Utter Pradesh. He should study the functioning of these institutions. We have emphasised the need of developing hilly areas in our plan.

Shri Subhash Ahuja : I would like to know whether there is any proposal of constituting a Hill Area development Corporation when there are hilly areas throughout the country.

Shri Morarji Desai : It can be considered but we cannot commit at this stage.

Shri Yagya Dutt Sharma: The development of hilly areas is being given importance in the newly constituted Planning Commission. I would like to know the guidelines being given to the Commission for the development of hilly areas.

Shri Morarji Desai : The hilly areas are located in various states and their development is not possible entirely through the centre. The Central Government can assist the State Governments in this work which send necessary schemes to us for approval and assistance.

Dr. Karan Singh : Hilly areas have a special place in use. According to great poet Kalidasa, the Himalayas stretch from East to the West. Its contributions to our culture is great. I would like to know from the Prime Minister whether survey of the economic position and backwardness of hilly areas will be made by the Central Government or Planning Commission and whether Central Governmet will formulate plans for the development of these areas in addition to the plans of the State Governments ?

Shri Morarji Desai : I have stated that it will be considered.

श्री जगन्नाथ शर्मा : पहाड़ी राज्यों के विकास के लिये योजना में क्या व्यवस्था की गयी है ? पिछली तथा इस योजना में क्या व्यवस्था की गयी है ?

Shri Morarji Desai : This question does not arise from it.

हल्दिया के बारे में बवेजा समिति का प्रतिवेदन

*306. **श्री रोबिन सेन :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1971 में गठित बवेजा समिति ने मार्च, 1973 में सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि हल्दिया में तत्काल एक शिपयार्ड बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस योजना को अभी तक क्रियान्वित क्यों नहीं किया ;

(ग) बवेजा समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) क्या यह प्रतिवेदन पश्चिम बंगाल सरकार को उपलब्ध कराया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) श्री बवेजा की अध्यक्षता में गठित कार्य-दल ने शिपयार्ड के लिए हल्दिया उपयुक्त स्थान माना था और इस प्रयोजन के लिए इसके चयन की सिफारिश की । रिपोर्ट मार्च, 1973 में प्राप्त हुई ।

(ख) इस बीच, समुद्रवर्ती राज्य सरकारों सहित कई स्थानों से उनके राज्यों में शिपयार्ड की स्थापना करने के सुझाव प्राप्त हुए । राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित स्थलों, जिनमें हल्दिया भी शामिल है, पर तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से विचार करने के लिए एक तकनीकी आर्थिक कार्य-दल का गठन किया

गया । तकनीकी आर्थिक कार्य-दल की रिपोर्ट के आधार पर परामर्शकों को प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने का कार्य सौंपा गया और परामर्शकों ने हल्दिया को शिपयार्ड के लिए सर्वोत्तम स्थान नहीं समझा ।

(ग) कार्य-दल की मुख्य सिफारिशें ये हैं: कि पांचवीं योजना में कम से कम एक शिपयार्ड तथा दो और शिपयार्डों की स्थापना का भी स्पष्ट मामला बनता है । इस प्रकार के शिपयार्ड के लिए हल्दिया का स्थान उपयुक्त है और इस प्रयोजन के लिए इसका चयन किया जाए । प्रस्तावित शिपयार्ड लगभग 1 लाख जी आर टी (1.5 लाख डी डब्ल्यू टी) तक के टैंकरों, भारी माल वाहक जहाजों आदि के निर्माण के लिए बनाये जाएं । व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक विशेष परियोजना दल का गठन किया जाए ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) भारत सरकार ने कार्य-दल का गठन किया और राज्य सरकार को रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं करनी थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : : खेद की बात है कि हालांकि बवेजा समिति ने कहा है कि हल्दिया उचित स्थान है । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि हम उड़ीसा में ही एक शिपयार्ड चाहते हैं, उन्होंने दो की सिफारिश की है । इन दो कारणों से उत्तर स्वीकारात्मक है :--

(1) इसकी दूरी सभी इस्पात संयंत्रों के पास है ।

यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है ।

2. कलकत्ता और इसके आसपास के क्षेत्र भारी तथा छोटे उद्योगों से पूर्णतः भरे पड़े हैं । मशीनरी औजार आदि तैयार शुद्धा माल की उपलब्धता एक तरह से सुनिश्चित ही है ।

"हल्दिया पत्तन कलकत्ता पत्तन का एक गहरे पानी बाला सहायक पत्तन है जिसे मुख्यतः निर्यात के लिये विकसित किया गया है"

अतः परिवहन की व्यवस्था करना जरूरी है ।

कहा गया है कि समस्याएं तो अनेक हैं, फिर भी ये समस्याएं स्थान का चयन करने के लिये बाधक नहीं हैं । मैं उस बात से सहमत हूं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार ने हल्दिया में जहाज निर्माण कारखाने का काम शुरू क्यों नहीं किया है और पश्चिम बंगाल सरकार को मांगने पर भी प्रतिवेदन क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री चांद राम : बवेजा समिति ने केवल एक स्थान की खोज की है,। इसे हल्दिया का काम सौंपा गया था । जिसके बारे में समिति ने कहा है कि यह एक ठीक स्थान है । इसके बाद तकनीकी-आर्थिक ग्रुप आया । उसने हल्दिया को भी एक स्थल के रूप में शामिल किया । बाद में हमने विदेशी सलाहकारों से भी सलाह ली । बवेजा समिति एक गैर-तकनीकी समिति है । विदेशी सलाहकारों द्वारा दिए गए पी० पी० आर० में यह कहा गया कि अन्य स्थलों के मुकाबले में हल्दिया एक उपयुक्त स्थल नहीं है । हमें बवेजा समिति के प्रतिवेदन को देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह एक सदस्यीय समिति और गैर-तकनीकी समिति है । कार्यकारी-दल की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी इसलिए राज्य सरकार द्वारा कुछ कार्यवाही करने का सवाल नहीं उठता इसलिए हमारे द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट देना उचित नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अगले कुछ दिनों में बवेजा समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखना चाहता हूं ।

मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है वह ठीक नहीं है । तीसरा ग्रुप बनाया ही इसलिए गया था कि वह इस रिपोर्ट को काटे जिसमें यह कहा गया है कि शिपयार्ड के लिए हल्दिया सबसे उपयुक्त स्थल है । मैं मंत्री महोदय का ध्यान अध्याय 8 के पैराग्राफ 8(1) की ओर दिलाना चाहता हूं । इसमें कहा गया है कि तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से ध्यानपूर्वक विचार करने पर ग्रुप इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हल्दिया शिपयार्ड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है ।

मैं एक बार फिर अपनी बात दोहराता हूं कि तीसरे ग्रुप की स्थापना पहले दो ग्रुपों द्वारा दी कि गई रिपोर्ट को रद्द करने के उद्देश्य से ही की गई थी। मंत्री महोदय हमें आश्वासन दें कि इस समिति द्वारा सिफारिश किए गए दो शिपयार्डों में से एक उड़ीसा में बनाया जाएगा और दूसरा हल्दिया में ।

श्री चांद राम : : यह मामला भूतपूर्व सरकार से सम्बद्ध है। हो सकता है वह पहले की रिपोर्टों को काटना चाहती हो । इस सरकार के सत्ता में आने से पहले ही तीसरे ग्रुप की रिपोर्ट आ चुकी थी । अतः हम प्रक्रिया को उलट नहीं सकते । अध्यक्ष महोदय अगर आप इजाजत दें तो मैं यह जानकारी इनको दूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप इसे सभा-पटल पर रख दीजिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : श्री ज्योतिर्मय बसु ने दूसरे प्रतिवेदन के संगत भाग का उल्लेख किया है । जनता सरकार भूतपूर्व सरकार की कई नीतियों को बदल रही है। क्या वर्तमान परिस्थितियों में सरकार पुराने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है और क्या हल्दिया में एक नया शिपयार्ड स्थापित किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय दे चुके हैं ।

श्री चांद राम : वास्तव में बवेजा समिति की स्थापना इसलिए की गई थी कि वह हल्दिया में शिपयार्ड बनाने की संभाव्यता के बारे में सिफारिशें दे । उम्मीद थी कि इस परियोजना से काफी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा । वर्तमान सरकार का भी यह विचार है कि हल्दिया में एक उपयुक्त कोम्प्लेक्स की स्थापना की जाए । हमने यह वचन दिया है कि जहाज निर्माण यार्ड के स्थान पर हम वहां एक जहाज मरम्मत करने वाला यार्ड बनाएंगे, इससे उस क्षेत्र के लोगों को जहाज निर्माण यार्ड में रोजगार के अवसर प्राप्त होने की अपेक्षा अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ।

Shri Anant Dave : May I know from the Hon. Minister whether Shipping Board has submitted its report to the Government? If so what are its recommendations with regard to shipping yards ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न के लिए पृथक से सूचना दीजिए यह प्रश्न हल्दिया में शिपयार्ड बनाने के बारे में है ।

श्री अनन्त दवे : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि इस बीच समुद्रवर्ती राज्य सरकारों सहित कई स्थानों से उनके राज्यों में शिपयार्ड की स्थापना के सुझाव प्राप्त हुए हैं। कई सरकारों ने अपने प्रदेशों में शिपयार्ड बनाने के लिए प्रपोजल भेजे हैं । क्या गुजरात ने भी हजीरा में शिपयार्ड बनाने का प्रस्ताव किया है ?

Shri Chand Ram : The National Ship-building Corporation has recommended two sites, one at Paradip and the other at Hijra. We have invited global tenders.

श्री प्रसन्नभाई मेहता : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि नैशनल शिपिंग बोर्ड ने दो स्थलों पर, एक पारादीप उड़ीसा में और दूसरा हिजरा गुजरात में, शिपयार्ड बनाने की सिफारिश की है । मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

श्री चान्द राम : जैसा कि मैंने बताया हमने 15 अप्रैल तक ग्लोबल टैंडर मांगे हैं और उसके बाद सलाहकार (डी० पी० आर०) अपनी रिपोर्ट देंगे और बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा ।

काकरी का निर्यात

*307. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त काकरी एकक अपने उत्पादों का निर्यात करते रहे हैं ;

(ख) 1977 में उनका उत्पादन कितना था ;

(ग) 1977 में कितना निर्यात किया गया ;

(घ) क्या 1977 में काकरी का कोई आयात किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) (क) कुछ रजिस्टर्ड/लाइसेंसीकृत काकरी एकक अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं ।

(ख) वर्ष 1977 के दौरान देश में रजिस्टर्ड/लाइसेंसीकृत एककों द्वारा लगभग 970 लाख रु० के मूल्य की लगभग 17,150 मी० टन काकरी का उत्पादन किया गया ।

(ग) 1976-77 में 11.50 लाख रु० के मूल्य की 268 मी० टन काकरी का निर्यात किया गया ।

(घ) तथा (ङ) केवल सूक्ष्म तथा विशेष डिज़ाइन की काकरी का आयात किया जाता है । वर्ष 1976-77 (अप्रैल, 1976 से जनवरी, 1977 तक) में 0.6 लाख रु० के मूल्य की 5 मी० टन काकरी का आयात किया गया था ।

श्री आर० के० महालगी : जो जानकारी मुझे प्राप्त है उसके अनुसार देश में 13 पंजीकृत एकक है और उनकी वार्षिक क्षमता 34,000 टन है । मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि वर्ष 1977 के दौरान 17,150 टन काकरी का उत्पादन हुआ और 268 मी० टन काकरी का निर्यात किया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इन स्वदेशी उद्योगों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया है । लघु तथा मध्यम उद्योगों में निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन होने तथा कम मात्रा में निर्यात होने के क्या कारण हैं

श्री जार्ज फर्नांडिस : माननीय सदस्य ने निर्धारित क्षमता और उत्पादन के संबंध में सही आंकड़े दिए हैं । 13 संगठित एककों के अतिरिक्त 148 लघु पैमाने के एकक भी देश में बिकने वाली काकरी का उत्पादन कर रहे हैं। समग्र उत्पादन देश की मांग पर निर्भर करता है। जहां तक उत्पादन की बिक्री का संबंध है इस बारे में किसी किस्म की कठिनाई नहीं है । जहाँ तक निर्यात का संबंध है इस मामले में बहुत कुछ बात उस देश पर निर्भर करती है जो काकरी का आयात करना चाहता है । हमारी काकरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं है। उसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। आशा है क्वालिटी में सुधार के साथ निर्यात भी बढ़ेगा ।

श्री आर० के० महालगी : ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में इस उद्योग से काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है । इसमें रोजगार प्रदान करने की काफी गुंजाइश है। क्या सरकार ने उभरते हुए एककों को कोई प्रोत्साहन दिया है क्योंकि इस उद्योग में निर्यात की भी बहुत अधिक गुंजाइश है इसलिए प्रक्रिया संबंधी अड़चनों को दूर किया जाए ।

श्री जार्ज फर्नांडिस : अभी तक किसी ने इन कठिनाइयों का उल्लेख तक नहीं किया था । माननीय सदस्य यदि इनके बारे में बताएंगे तो निश्चय ही हम इन्हें दूर करेंगे । चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार की बात की गई है मैं यह बताना चाहता हूं कि पोटरी का काम लघु क्षेत्र के लिए ही आरक्षित किया हुआ है । संगठित क्षेत्र को इसके लिए अनुमति नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been said that there are 13 registered units and another 148 units are there. It has also been said that the quality of our crockery is quite good so as to have good-will in foreign countries. Whether there is any scheme to help this industry so that it may improve its quality as well as production ?

Shri George Fernandes : Government is ready to give help for improving the quality and increasing export.

Shri D. N. Tiwari : The policy of Government is not to import the commodities which are available in the country in sufficient quantity. I want to know why the sophisticated crockery is imported as stated by him ?

Shri George Fernandes : Perhaps some concession used to be given to luxury hotels and as such imports worth Rs. 60 lakhs were made in the last year. We will surely consider the suggestion of the hon. member.

'वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन' द्वारा बाह्य बीम का उत्पादन

*308. **श्री राजकृष्ण डान** : **क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन (वी ई सी) इस वर्ष बाह्य बीम का उत्पादन करेगा जैसा कि भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) के निदेशक, डा० रामन्ना ने कहा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या संयंत्र ने अब तक ऊर्जा तथा धारा घनत्व पर न्यूक्लीय कणों की बीमें उत्पादित की हैं जिसके लिये इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था ; और

(घ) क्या साइक्लोट्रोन को आर० एफ० (रेडियो फ्रीक्वेन्सी) तथा वैक्यूम की समस्याएं होती रहती हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) जी, हां । बाहरी किरण-पुंज के इस वर्ष के मध्य तक परीक्षणों के लिए उपलब्ध कर दिए जाने की आशा है ।

(ग) एक आंतरिक घूमता हुआ किरण-पुंज पहली बार जून, 1977 में प्राप्त किया गया था । लेकिन इस दिशा में आगे भी परीक्षण करना जरूरी है तथा कणों की ऊर्जा की उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिये ये परीक्षण शुरू किये जायेंगे ।

(घ) जी, नहीं ।

श्री राजकृष्ण डान: वाह्य बीम के बिना अनुसंधान नहीं किया जा सकता और इस कारण मशीन अभी भी नहीं चल रही है। यद्यपि साइक्लोट्रोन का उत्पादन 12 वर्ष पहले शुरू हुआ था परन्तु अभी भी बहुत सी समस्याएं बनी हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि (क) यह मशीन कितने समय में पूरी तरह काम करने लगती है; और (ख) मशीन को कब मंगाया जाएगा और चलाया जाएगा, ?

श्री मोरारजी देसाई: आम धारणा यह है कि दोनों के बीच 18 मास का समय लगता है और अनुकूल परिस्थितियों में समय को घटाया भी जा सकता है। परन्तु बिजली मिलने में कठिनाइयां हैं। वह अक्सर आती-जाती रहती है, इस कारण इसमें कुछ विलम्ब हो रहा है।

श्री राजकृष्ण डान: नमक की झील का "वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन" परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार अद्यतन है और कलकत्ता का मेघनाथ साहा परमाणु भौतिकी संस्थान इस परियोजना से किस प्रकार सम्बन्धित है तथा क्या इस परियोजना को पहले इस संस्थान द्वारा चालू किया जाना था ?

श्री मोरारजी देसाई: मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पता लगाकर मैं यह जानकारी दूंगा।

श्री सौगत राय: साइक्लोट्रोन का मुख्य काम दवाई के लिए रेडियोधर्मी आइसोटोप्स का निर्माण करना है। मैं जानना चाहता हूं कि 'वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन' परियोजना पर अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है तथा इस साइक्लोट्रोन से निर्मित रेडियोधर्मी आइसोटोप्स का क्या मूल्य है।

श्री मोरारजी देसाई: इस समय मेरे पास ये आंकड़े नहीं है।

Production of certain items in Small Sector

*310. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to lay a statement showing :

(a) whether Government wish to follow the policy of earmarking production of certain items for small sector, as laid down in the policy statement ;

(b) whether the establishments dealing with capital formation and loan advancement are giving 20—25 per cent of their toal loans to those industries from which crores of persons living below the poverty line are benefited ;

(c) if so, the amount of loans advanced during the last financial year in this direction and the amount of loans proposed to be given during the current year ; and

(d) the details of the industries for which small factories are proposed to be set up ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) Yes, Sir.

(b) Institutional credit to small scale industries account for about 20% of the total credit to public sector.

(c) The total amount of outstanding bank credit to small scale industries at the end of December, 1976 was Rs. 1999 crores. The outstanding terms loans to small scale industries by State Financial Corporation at the end of December, 1976 was Rs. 826 crores. The amount of loan proposed to be given during the year cannot be estimated at this stage.

(d) It is the policy of the Government to encourage all viable small scale industries.

Dr. Ramji Singh : The hon. Minister has repeatedly talked about the reservation for small industries. Small Industries were granted loan of Rs. 645 crores during 1972-73 and Rs. 1260 crores during 1976-77—an increase of 70 per cent. Whether Government will

further increase this amount, because only then will it be considered that government is giving reservation to small industries ?

Shri George Fernandes : We are developing the small industries with a great speed. Negotiations with nationalised and private Banks have been completed and every possible arrangement will be made to give loans to small industries.

Dr. Ramji Singh : The hon. Minister has said that small industries will be protected from multi-nationals. I want to know whether to give reservation to small industries Inter-state Subsidy Plan will be implemented and Export Credit and Guarantee Corporation policy will be extended and whether small units will be exempted from local taxes ? Whether the list of 180 items for small industries will be meaningfully expanded and production of dhotis etc. by big units will be freezed at the present level ?

Shri George Fernandes : We will consider all these suggestions and try to help them in all possible way.

Shri Nathu Singh : As has been informed by the hon. Minister that the number of reserved items for small industries have been increased from 180 to 504. I want to know whether a ban will be imposed on producing the items included in this list by large scale industries ?

Shri George Fernandes : It is clear in the policy put before the House on 23rd December.

श्री वेदव्रत बरूआ : पिछले एक वर्ष में लघु क्षेत्र के आरक्षण के सम्बन्ध में मंत्री महोदय और गृह मंत्री ने भी अनेक बार वक्तव्य दिए हैं। परन्तु वक्तव्य देने के अलावा और कुछ किया नहीं गया। क्या सरकार बहु-राष्ट्रीय फर्मों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन लघु-क्षेत्र में शुरू करने को तैयार है ? केवल लघु उद्योगों को इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति क्यूं दी गई है ? क्या सरकार वास्तव में बहु-राष्ट्रीय फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योगों में शुरू करेगी ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : यह कहना सर्वथा गलत है कि खर्चों को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया गया है। लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन उसी क्षेत्र में करने के प्रयत्न बड़ी गम्भीरता से किए जा रहे हैं। देश भर प्रस्थापित किए जाने वाले जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। जहां तक बहुराष्ट्रीय फर्मों द्वारा बनाए जाने वाली वस्तुएं हैं, जिनका उत्पादन लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया है, का प्रश्न है इसके समाप्त होने में समय लगेगा। कोई बटन दबाने मात्र से यह नहीं हो सकता कि जो वस्तुएं आज बड़े उद्योगों में बन रही हैं उन्हें तुरन्त लघु उद्योगों में बनाना शुरू कर दिया जाए।

इन एककों में भारी संख्या में श्रमिक काम पर लगे हुए हैं। इसमें समय लगेगा। लेकिन इसका मार्ग खोजने के लिए बड़े गृहों से हम चर्चा कर रहे हैं और उनके उत्पादन की निश्चयात्मक मात्रा को चरणबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है माननीय विपक्षी सदस्य जिन्होंने आज तक इन मदों का निर्माण करने में बहुराष्ट्रीक कम्पनियों को बनाया इन्हें समाप्त करने के लिए भी समय देंगे।

Shri Ram Vilas Paswan : We talk of giving encouragement to small industries, but there is monopoly of large scale and heavy industrial units. The main problem before small industrial units is how to market and dispose of their production. The contracts given to the big industrial units by the previous Government are still in force. The Government is not providing marketing facilities for the goods manufactured by small industrial units. Therefore, they are on the verge of being closed down. I drew the attention of the hon. Minister regarding Barauni that hundreds of unemployed Engineers are running small industrial units there and they are manufacturing various items, but for want of marketing

facilities for these items, they are on the verge of closing down. I want to know from the hon'ble Minister, whether marketing facilities would be made available for the items manufactured by these small industrial units.

Shri George Fernandes : I have given instructions to the State Governments and Central Government that priority should be given to purchase the items manufactured by these small industrial units. Secondly, the question of marketing is important. We are going to have District Industrial Centres. We are engaged in solving this problem through these centres and other Government agencies.

श्री वसन्त साठे : सरकार की घोषित नीति को दृष्टि में रखते हुए, मंत्री महोदय को पता ही है कि मुख्य समस्या स्पर्धा की है जो उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाले बहुराष्ट्रिक एककों के बीच ही नहीं है बल्कि एकाधिकार गृहों, लघु उद्योग क्षेत्रों और कुटीर उद्योग क्षेत्र के बीच भी हैं जिसे कि मंत्री महोदय प्रोत्साहन देना चाहते हैं । यही स्थायी समस्या है । वह किस तरह यह सुनिश्चित करेंगे कि लघु उद्योग उत्पादकों को कच्चे माल की सप्लाई तथा तकनीकी जानकारी एवं वित्तीय सहायता देकर अंतिम उत्पादन का विक्रय किया जायेगा । जब तक यें बातें नहीं की जायेंगी आप कुछ भी कर लें आप एकाधिकारवादी गृहों द्वारा निर्मित टूथ पेस्ट या साबुन अथवा तेल आदि में स्पर्धा नहीं कर सकते। मंत्री महोदय इसे कैसे करेंगे ? इसका क्या तरीका है ? औद्योगिक नीति में भी यह तरीका अभी तक काम में लाना आरम्भ नहीं किया गया है । क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि उनके मन में विपणन और पूर्ति का क्या तरीका काम कर रहा है ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि हम जिला उद्योग केन्द्र बना रहे हैं जिनसे लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याएं जिला स्तर पर ही दूर हो सकें । ये जिला उद्योग केन्द्र कच्चे माल और विपणन की समस्याओं को हल कर सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हम कच्चे माल के बैंकों की भी स्थापना करेंगे । जहां तक विपणन व्यवस्था का सम्बन्ध है, केन्द्र तथा राज्य सरकारों की वर्तमान विपणन संस्थाओं को सशक्त बनाया जा रहा है और जिला उद्योग केन्द्रों से कहा जा रहा है कि इन लघु उद्योग एककों के उत्पादन के विपणन के लिए आवश्यक व्यवस्था करें ।

श्री वसन्त साठे : मैंने प्रौद्योगिकी सहायता के बारे में पूछा था । क्या इसे भी जिला उद्योग केन्द्रों को सौंपा जायेगा ?

श्री जार्ज फर्नांडीस : इसका एक विभाग अनुसन्धान और विकास कार्य करेगा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करेगा ।

Shri Nathu Ram Mirdha : Government of India propose to set up Tools factory. The Government of Rajasthan have recommended to set up this factory in Nagaur. Will the hon'ble Minister tell us the progress made so far on this proposal ?

Shri George Fernandes : I require notice for this question.

पाकिस्तान को भारतीय फिल्मों का निर्यात

*311. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को भारतीय फिल्मों का निर्यात नियमित माध्यमों से करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामला किस अवस्था में है;

(ग) क्या भारतीय फिल्मों के आयात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के बारें में भारत सरकार ने पाकिस्तान से कोई पहल की है; और

(घ) पाकिस्तान सरकार की इस बारे म क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) पाकिस्तान को भारतीय फिल्मों का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के आयात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से औपचारिक रूप से अभी तक नहीं कहा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : प्रश्न इतना सरल नहीं है जितना कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बनाया है । समस्या की गम्भीरता पर विचार किए बिना, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय फिल्मों का विदेशों में निर्यात करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार अन्य देशों को भारतीय फिल्मों का निर्यात कर रही है ? यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार से यह प्रश्न क्यों नहीं उठाया जा रहा है ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : निर्यात के सामान्य प्रश्न से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है । भारत सरकार ने पाकिस्तान को भारतीय फिल्मों के निर्यात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमें प्रसन्नता होगी यदि भारत और पाकिस्तान के बीच फिल्मों का आदान प्रदान हो । मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1974-75 में पाकिस्तान के साथ व्यापार वार्ता के दौरान यह मामला उठाया गया था कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच फिल्मों का आदान-प्रदान कर सकते हैं । लेकिन पाकिस्तान की प्रतिक्रिया नकारात्मक थी । अतः इस मामले पर आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता । बाद में, जब विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की और इस मामले का उल्लेख हुआ तब विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के साथ फिल्मों का आदान-प्रदान करने सम्बन्धी हमारी सहमति व्यक्त की। उन्होंने तो यह भी सुझाव दिया कि हम पंजाबी फिल्मों से ही यह कार्य आरम्भ करें क्योंकि पाकिस्तान में निर्मित पंजाबी फिल्में बेहतर होती हैं ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं यह बात नहीं समझ सका हूं कि यदि माननीय मंत्री भारतीय फिल्मों का विदेशों को निर्यात करने दें तो इसमें हानि क्या है । फिर भी, जैसा कि मैंने पहले कहा है यह मामला इतना साधारण नहीं है। यह एक गम्भीर समस्या है। हमारा सम्बन्ध पाकिस्तान को फिल्मों के निर्यात तक ही नहीं है । अब भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में तस्करी हो रही है और भुगतान किए बिना तथा हमारी फिल्में खरीदे बिना ही वहां प्रदर्शित की जा रही हैं । अतः भारत सरकार को पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी हानि हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइये ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : अब भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान तथा अन्य देशों को तस्करी की जा रही है और भारत सरकार को हानि हो रही है । यदि हमने पाकिस्तान तथा उन देशों से बात-चीत की होती, जहां हमारी फिल्मों की तस्करी हो रही है, और इसे रोकें तो हम विदेशी मुद्रा के रूप में बहुत भारी धन राशि कमा लेते। अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार

भावी हानि को रोकने और इस समस्या को हल करने जा रही है और क्या वह इस मामले पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत आरम्भ करेगी ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : सरकार को इसकी जानकारी है । वस्तुतः हमने पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की प्रसिद्धि के बारे में लम्बे-लम्बे प्रैस समाचार देखे हैं जिनमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की बहुत मांग है। अतः इन रिपोर्टों के अनुसार वहां कई स्थानों पर भारतीय फिल्में चोरी-छिपे दिखाई जा रही हैं। जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, हमें फिल्मों के आदान-प्रदान करने में बहुत प्रसन्नता होगी। पाकिस्तान की आयात नीति में यह बताया जा रहा है कि यदि भारतीय फिल्मों के पाकिस्तान में आयात करने की अनुमति दी गई तो पाकिस्तान का फिल्म उद्योग जीवित नहीं रहेगा । इस पर उन्हें ही निर्णय लेना है ।

Shri O. P. Tyagi: The hon'ble Minister has stated just now that Indian films are being exported to other countries and we are importing foreign films as well. The Indian film Censor Board has adopted the same criteria for censoring foreign films as is being adopted for censoring Indian films ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न निर्यात के बारे में है, सैंसर के बारे में नहीं है ।

Shri Raghav Ji : The External Affairs Minister, when he visited Pakistan, had given his proposals to send Indian Punjabi films. What is the reaction of Pakistan to this proposal and what are the future prospects in regard to sending Indian films to Pakistan ?

Shri L. K. Advani: What I said was that there was a reference to this during the talks with the Government of Pakistan. I have said in the original answer that Government of India have not formally made any proposal, because their reaction to our earlier proposal was negative.

शाह आयोग की कार्यवाही के प्रसारण में लगा समय

*312. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के प्रसारण के कुल घंटों में से शाह आयोग की कार्यवाही के लिए अब तक कितना समय दिया गया ; और

(ख) इतना प्रसारण समय दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) अप्रैल, 1977 और फरवरी, 1978 के बीच दिल्ली से प्रातः 8.40 बजे, दोपहर 2 बजे, सांय 6 बजे और रात्रि 9 बजे प्रसारित होने वाले अंग्रेजी के चार मुख्य समाचार बुलेटिनों के अध्ययन से यह पता चला है कि इन बुलेटिनों के कुल प्रसारण समय में से 824 मिनट अर्थात् 6.03 प्रतिशत समय शाह आयोग की कार्यवाहियों और सम्बद्ध मामलों को दिया गया । समाचार बुलेटिनों में प्रसारण के अलावा, जब शाह आयोग अपनी सार्वजनिक सुनवाईयां करता है, तब उसकी सुनवाईयों की दस-दस मिनट की समीक्षाएं भी प्रतिदिन हिन्दी में और अंग्रेजी में प्रसारित की जाती हैं । इनको कुछ प्रादेशिक केन्द्रों से भी रिले किया जाता है ।

(ख) इन कार्यवाहियों को आबंटित किया गया समय और इनका प्रसारण समाचारिक महत्व और आपातस्थिति की ज्यादतियों के रहस्योद्घाटन में जनता की अधिक रूचि के आधार पर रहा है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : देखा गया है कि शाह आयोग की कार्यवाही के लिये पर्याप्त समय दिया गया है और मंत्री जी ने जो कारण बताया है वह यह है कि 'समाचारिक महत्व और आपातस्थिति की

ज्यादतियों के रहस्योद्घाटन में जनता की अधिक रूचि के आधार' पर ऐसा किया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हाल के चुनाव परिणामों से पता चला है कि लोगों की तथाकथित रहस्योद्घाटनों में बिल्कुल रूचि नहीं है । **(व्यवधान)** इसको ध्यान में रखते हुए मंत्री जी शाह आयोग की कार्यवाही के लिये आबंटित समय में पर्याप्त कटौती क्यों नहीं करते या कि वह इस बारे में बिल्कुल कोई समाचार न दें ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : ये समाचार किसी प्रकार की मतदाता विचारधारा पर आधारित नहीं हैं । अतः चुनाव परिणामों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एडआर्डो फैलीरो : : वह मापदण्ड क्या है जिसके आधार पर आकाशवाणी जनहित के समाचार का महत्व आंकती है ? मैं यह इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि हरिजनों पर अत्याचारों, कानून और व्यवस्था सम्बन्धी उपद्रवों को आकाशवाणी पर उचित समय नहीं दिया जाता है । हाल में 9 मार्च को धारवार में एक हरिजन लड़के को चाकू मारा गया । 'समाचार' द्वारा यह रिपोर्ट दी गई परन्तु आकाशवाणी से यह समाचार बिल्कुल प्रसारित नहीं किया गया । अतः आप समाचार का महत्व कैसे आंकते हैं ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मैंने पहले ही समाचार के महत्व और जनहित सम्बन्धी मापदण्ड बताया है । यह सच नहीं है कि हरिजनों या कमजोर वर्गों पर अत्याचारों के बारे में समाचारों को इस माध्यम द्वारा पर्याप्त समय नहीं दिया गया है ।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें समूचे देश में लोगों द्वारा ली गई रूचि और श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किये गये अत्याचारों के बारे में व्यक्त की गई चिन्ता के बारे में पता है और क्या उन्हें यह भी मालूम है कि लोग शाह आयोग के प्रतिवेदन और निष्कर्षों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं ? क्या उन्हें लोगों की शिकायतों के बारे में भी पता है कि आकाशवाणी द्वारा इस बारे में कुल समय का कुल 6.03 प्रतिशत समय दिया गया है ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलवा अन्य प्रचार साधन भी हैं, जैसे कि प्रेस । यदि शाह आयोग की कार्यवाही सम्बन्धी प्रचार को देखा जाये तो इससे शाह आयोग की कार्यवाही में सामान्य रूप से लोगों की रूचि का आभास मिलेगा ।

श्री के० लकप्पा : गत एक वर्ष से हम देख रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पक्षपाती माध्यम बन गये हैं, कभी-कभी तो इसे आल अडवानी रेडियो कहा जाता है..... **(व्यवधान)** वे आकाशवाणी और दूरदर्शन का इस्तेमाल पक्षपाती तंत्र के रूप में कर रहे हैं, जिससे पक्षपातपूर्ण रवैये की झलक मिलती है, इन पर देश की वास्तविक समस्याओं, गरीब लोगों की वास्तविक रूचि और हरिजनों तथा अन्य गरीब वर्गों के लोगों की कठिनाइयों को नहीं बताया जाता..... **(व्यवधान)** यहां तक कि विरोधी पक्ष के नेताओं के भाषणों का भी बिल्कुल उल्लेख नहीं होता । वे इन प्रचार साधनों का जनता पार्टी के प्रचार के लिये उपयोग किया जा रहा है..... **(व्यवधान)** । मंत्रालय के विरुद्ध यह आरोप है । जब ये सत्ता में आये थे तो इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में पिछली सरकार के विरुद्ध आरोप लगाया था । इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन विरोधी पक्ष को कमजोर बनाने के लिये उनकी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं और देश की वास्तविक समस्याओं के लिये पूरा समय नहीं दे रहे हैं ? क्या यह सच नहीं है..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री के उत्तर को छोड़कर कुछ भी वृत्तान्त में दर्ज न किया जाये ।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : इस सरकार को इस बात पर गर्व है कि रेडियो को स्वायत्तता देने के बारे में हमारे वचन को पूरा करने से पूर्व ही हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सरकारी विभाग होते हुए भी इसका उपयोग पार्टी प्रचार के माध्यम के रूप में कभी नहीं किया गया ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : शाह आयोग में व्यापक रूचि को तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक तथ्य जांच आयोग है और वाटरगेट, नूरमवर्ग जैसे मामलों के बारे में समाचार आदि देने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी इस समय शाह आयोग की कार्यवाही को टेलीविजन पर सीधा प्रसारित करने पर विचार करेंगे ?

श्री लालकृष्ण अडवानी : पहली बार ही ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है । शुरू से ही ऐसा सुझाव दिया गया था और सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि यही स्थिति ठीक है।

Shri Kanwar Lal Gupta : A.I.R. and Television are the biggest mass media in our country but there is a serious complaint against A.I.R. and Television that a substantial amount of time is given to the Congress and less time is given to Government. May I know how much time has been given to Indira Congress, Congress and Janta Party separately ? Whether it is also a fact that there is no publicity on A.I.R. of the good work being done by Government ?

Shri L. K. Advani : I have received such complaints and have instructed the officers concerned to broadcast news on the basis of its value and there should not be the tendency of *band with backwards*. They should maintain balance and keep in mind the interests of both the sides.

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : माननीय मंत्री और जनता पार्टी के सदस्यों ने बताया है कि लोग आपात स्थिति के दौरान हुए अत्याचारों के बारे में जानना चाहते हैं । परन्तु शाह आयोग सम्बन्धी प्रसारण में केवल अर्ध-सच्चाई और झूठी बातें होती हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस देश के लोगों से अपने प्रति सहानुभूति प्रकट करवाने के अभियान में श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ उनकी मिली भगत है या क्या गत एक वर्ष के शासन में जनता पार्टी के कार्यों पर पर्दा डालने के लिये वह इनका प्रयोग कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं क्या आप की मिली भगत श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ है ....

श्री लालकृष्ण अडवानी : मेरी उनसे कोई मिली भगत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गांवों के लिए समेकित विकास परियोजना

*313. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ग्राम-समूहों के लिए क्षेत्रीय योजना बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या योजना आयोग विभिन्न राज्यों में गांवों की विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में व्यापक सर्वेक्षण कर रहा है अथवा उनका विचार ऐसा सर्वेक्षण करने का है ।

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने गांवों की आवश्यकताओं सम्बन्धी अपने प्रस्ताव भेजें जिन पर प्राथमिकता के अधार पर विचार किया जा सके ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार गांवों के लिये समेकित विकास परियोजनाओं के बारे में कोई दस्तावेज प्रकाशित करने का है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (च) तक ग्रामीण विकास और व्यापक क्षेत्र योजना के कार्यक्रमों को 1978—83 की पंच वर्षीय योजना में बताया जाएगा, जिसका इस समय प्रारूप तैयार किया जा रहा है । योजना आयोग ने खण्डस्तर योजना के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल बनाया है । इस दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

Extension of Service of Officials in Doordarshan

*314. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6046 on the 3rd August, 1977 and state :

(a) whether two Deputy Director Generals of All India Radio and the Television Centre are being considered for extension of service after completing 58 years of age ;

(b) if so, whether the reasons for giving them extenstion of service are the same as were stated in answer to the above referred Unstarred Question No. 6046 or there are some other reasons also ; and

(c) whether it is a fact that such extensions of service deprive younger personnel of their right to promotion ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) Proposals to this effect have been received by Government, but a decision in the matter is yet to be taken.

(b) and (c) Do not arise.

कोयला उत्पादन के लिए निवेश

*315. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने चालू वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन के लिए कुल निवेश में कटौती की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा वर्ष 1978 के लिए रक्षित भंडार बनाने के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला उद्योग में सरकार ने क्रमशः अधिक निवेश किया है । यह निवेश कोयले के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है क्योंकि 1973 के 78 मिलियन टन की तुलना में 1977-78 में कोयले का उत्पादन 101.5 मिलियन टन होने की आशा है । अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि के बीच कोयले का कुल उत्पादन 90.7 मिलियन टन हुआ ।

1-3-1978 को कोयले का खान मुहाना स्टाक 11.70 मिलियन टन के आस पास रहा है । इससे पता चलता है कि पिछले दो महीनों के स्टाक में 2 मिलियन टन की वृद्धि हुई है । इससे साबित होता है कि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला है । वर्ष 1978-79 का उत्पादन कार्यक्रम 100.50 मिलियन टन रखा गया है ।

टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली में 'कम्पीयर्स' की संख्या

*316. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित टेलीविजन केन्द्र में कृषि दर्शन कार्यक्रम में ग्रामीण पृष्ठभूमि, कृषि में प्रशिक्षण और शहरी पृष्ठभूमि वाले कुल कितने कम्पीयर्स हैं ; और

(ख) प्रोग्राम के संचालन में सामान्य रूप से सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में 'कृषि दर्शन कार्यक्रम' के लिए ग्रामीण/शहरी पृष्ठभूमि रखने वाले और कृषि में प्रशिक्षित कुल 15 कम्पीयर हैं ।

(ख) कम्पीयरों के स्वर और उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रभावी सम्प्रेषण के उद्देश्य से सर्वोत्तम प्रतिभा सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं ।

Ordnance Equipment Factory, Kanpur

*317. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a Chamber was constructed in Ordnance Equipment Factory, Kanpur (Harness Factory) for drying leather and the expenditure incurred thereon and the reasons for not completing it ;

(b) whether it is a fact that iron etc. worth lakhs of rupees were used in filling and old tank inside the factory and whether a high level inquiry is proposed to be held into this matter and take action against the guilty persons ; and

(c) whether it is also a fact that the bark of bobul tree, which is used in tanning leather, is damaged by rains as it is lying in the open and the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministery of Defence (Shri Sher Singh) : (a) Yes Sir. The construction of the Chamber under reference has been completed. The expenditure was not incurred under separate head but under overall maintenance expenditure, as scrap and maintenance material were mostly used.

(b) No, Sir, the filling was done with debris and wastes. There is no case for any enquiry ; hence no enquiry is proposed to be held.

(c) No, Sir. The bark, stored in open area, is kept protected by covering it with water-proof tarpaulines.

Construction of Culverts on National Highway No. 31

318. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether in the absence of culverts necessary for providing outlet for water on the National Highway No. 31 on Khagaria and Navgachia sections, several areas of land remain submerged; and

(b) whether Government propose to construct culverts on this National Highway to facilitate outlet for water and thus provide relief to farmers ?

Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) and (b) The Khagaria Navgachia reach of the National Highway No. 31 in Bihar runs through a narrow and flat strip of land between the rivers Ganga on the South and Kosi on the North. During heavy floods the lands on the respective sides remain water-logged and when the floods in the two rivers synchronize, which is not infrequent, the lands remain water-logged on both the sides. With this position culverts in addition to the few existing between Khagaria and Bihpur would not prevent this water-logging. There have been no complaints so far from any quarter about this National Highway reach obstructing drainage and affecting cultivation.

तारापुर संयंत्र के लिए ईंधन का आयात

*319. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर संयंत्र को चालू रखने के लिये कितने ईंधन का आयात किया जा सका है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) परमाणु निर्यात पर कठोर नियंत्रण संबंधी अमरीकी कानून को देखते हुए सरकार का परमाणु संयंत्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण के बारे में क्या रवैया होगा ;

(ग) क्या सरकार ने किसी अन्य देश से परमाणु ईंधन प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) इस संबंध में किया गया करार तारापुर परमाणु बिजलीघर के जीवन पर्यन्त चालू रहेगा ।

(ख) इस विषय से संबंधित विधान अमरीका में सार्वजनिक कानून बन गया है । न्यूक्लीय संयंत्रों संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सेफगार्ड व्यवस्था के बारे में भारत सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निवेश में मन्दी

*320. **श्री के० लकप्पा :**

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें निवेश में मन्दी और उसके परिणामस्वरूप 1978 में औद्योगिक विकास में गतिरोध का पता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) निवेश और औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) :(क) से (ग) निवेश में मंदी के बारे में कुछ सूचनाएं मिली हैं। किन्तु जैसा कि 1978-79 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि औद्योगिक निवेश में मंदी है इस बात के प्रमाण नहीं हैं ।

23 दिसम्बर, 1977 को सभापटल पर रखे गये औद्योगिक नीति विवरण की परिसीमा में ही औद्योगिक निवेश के संवर्धन के लिए सरकार ने विभिन्न अभ्युपाय किये हैं । इस प्रकार 1978-79 के योजना व्यय को 1977-78 के मुकाबले 17 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है । वार्षिक योजना में ग्रामीण, कुटीर और लघु उद्योगों पर व्यय को लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाया गया है । अन्य उद्योगों के साथ विद्युत, कोयला, सीमेंट तथा तेल उद्योगों में निवेश बढ़ाया जा रहा है । हाल ही में प्रस्तुत बजट में निवेश पर राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन भी घोषित किये गये हैं । इनमें व्याज की दरें कम करना, नये ईक्विटी प्रकरणों में निवेश प्रोत्साहन ,कामगारों के आवास के लिए अधिक मूल्यह्रास छूट, कुछ प्रकार की मशीनों पर सीमाशुल्क में कमी आदि शामिल हैं ।

पांचवीं योजना में मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

*321. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में गाडगिल फार्मूले के आधार पर राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता की कुल राशि क्या है ;

(ख) क्या गाडगिल फार्मूले के एक उपबन्ध के अनुसार केन्द्रीय सहायता दिए जाने के लिए सभी राज्यों की विशिष्ट समस्या को ध्यान में रखा जाता है और मध्य प्रदेश राज्य की पांचवीं योजना के दौरान इस शीर्षक के अंतर्गत कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मिली हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य में समस्त आदिवासी जातियों के उत्थान की विशेष समस्या है ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश को विशिष्ट समस्या होने के कारण कोई केन्द्रीय सहायता न मिलने के कारण वहां के मुख्य मंत्री और योजना के उपाध्यक्ष के बीच पत्रों का आदान प्रदान हुआ था ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1974-75 से 1977-78 तक की पांचवीं योजना में, गाडगिल फार्मूले के आधार पर राज्यों को 3827 करोड़ रुपये का केन्द्रीय सहायता का कुल आवंटन किया गया ।

(ख) जी, हां

(ग) जी, हां, परन्तु इस समस्या को दूर करने के लिए जन जातीय क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था में से पर्याप्त सहायता दी जा रही है ; यह सहायता गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत उपलब्ध सहायता के अतिरिक्त है ।

(घ) और (ङ) राज्य के मुख्य मंत्री ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष से यह अनुरोध किया था कि विशेष समस्याओं के लिए आरक्षित केन्द्रीय सहायता में से मध्य प्रदेश को आवंटन किया जाए । मुख्य मंत्री को यह स्पष्ट किया गया कि मध्य प्रदेश ऐसे आवंटन के लिए पात्र नहीं है ।

समाचार पत्रों के कर्मचारियों को परेशान किया जाना

*322. **डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 3 फरवरी, 1978 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित "मिजोम्राव" के न्यूज एडिटर श्री डी० आर० जिरलियाना के कथित वक्तव्य की जानकारी है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपातकालीन स्थिति के बाद भी समाचार पत्र कर्मचारियों को काफी परेशान किया जा रहा है और अन्तर केवल इतना है कि आपातकाल के दौरान आपात कानूनों का उपयोग किया जा रहा था और अब भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों का प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ख) इस प्रकार परेशान किये जाने को रोकने के संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) मिजोरम में पत्रकारों को परेशान नहीं किया जा रहा है । मिजोरम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मिजोरम में दो पत्रिकाओं के केवल प्रकाशकों तथा सम्पादकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां की गई थी और वे इस समय न्यायाधीन है ।

छोटे सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिये रियायतें

*323. **श्री के० ए० राजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटे सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिये सीमेंट नियंत्रण आदेश लागू न करने तथा उत्पादन शुल्क में छूट सहित कुछ रियायतें देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) प्रतिदिन 60 मी० टन तक की क्षमता वाले छोटे (मिनी) संयंत्र सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1977 से मूल्य तथा वितरण के प्रयोजनों के लिए मुक्त हैं । ऐसे संयंत्र और बड़े आकार के संयंत्र उत्पादन शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट के पात्र हैं । सरकार इस समय यह जांच कर रही है कि सीमेंट संयंत्रों की स्थापाना को प्रोत्साहन देने के लिए क्या और रियायतें आवश्यक होंगी ।

उत्तर भारत में सूती कपड़ा मिलों को कोयले की सप्लाई

*324. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत में सूती कपड़ा मिलों को कोयले की अपर्याप्त और अनियमित सप्लाई की जा रही है ;

(ख) क्या उत्तर भारत में सूती कपड़ा मिलों के कोयले के कोटे में 40 प्रतिशत कटौती कर दी गई है जबकि उत्तर भारत में विद्युत की अत्यधिक कमी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सूती कपड़े के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) कभी-कभी इस बात की शिकायतें मिली हैं कि उत्तरी भारत की सूती कपड़ा मिलों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई नहीं हो रही है यद्यपि तथ्य यह है

कि अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 तक की अवधि के बीच कोयले की कुल सप्लाई का औतस 2.01 लाख टन प्रति मास रहा है जबकि गत वर्ष इसी अवधि के बीच सप्लाई का औसत 1.89 लाख टन था।

(ख), (ग) व (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Electrification of villages in Rajasthan

*2887. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Government have at present under consideration any programme of electrification in Chhabra and Chhopabarod in district Kota, Rajasthan under the rural electrification scheme ; and

(b) when a survey would be conducted therefor and the time by which villages in the said area would not get electricity ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) and (b) The programme for rural electrification is formulated and executed by the State Electricity Boards.

The Rural Electrification Corporation sanctioned in March 1976 one scheme of the Rajasthan State Electricity Board for a loan assistance of Rs. 54.5 lakhs envisaging electrification of 77 new villages in Chhabra Panchayat Samiti of district Kota. The Scheme is phased for completion over a period of four years. 22 villages have been electrified under this Scheme. The work of electrification in other villages is in progress.

The Rajasthan State Electricity Board has sent recently to the R.E.C. for sanction, one scheme for electrification of 43 villages in Chhipabarod Panchayat Samiti of district Kota.

दिल्ली नगर निगम के ओटोमोबाइल वर्कशाप द्वारा पुर्जों और सहायक वस्तुओं की अनियमित खरीद

2888. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झंडेवाला स्थित दिल्ली नगर निगम के ओटोमोबाइल वर्कशाप ने गत 1968-69 और 1969-70 के वर्षों के दौरान 19.2 लाख रुपये के पुर्जों और सहायक वस्तुओं की अनियिमित खरीद की थी ;

(ख) उक्त भूल के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उक्त भूल की पुनरावर्ती को रोकने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) तथा (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार लेखापरीक्षा दल ने झंडेवालान ओटोमोबाइल वर्कशाप द्वारा ट्रकों की मरम्मत के लिए वर्ष 1968-69 और 1969-70 के दौरान 19.23 लाख रुपये के भण्डार की खरीद के बारे में आपत्तियां की थी। दिल्ली नगर निगम लेखा परीक्षा पैरा की जांच कर रहा है। यदि आवश्यक होगा, तो जांच पूरी हो जाने के बाद आगे और कार्यवाही की जायेगी।

कोयला उद्योग को हुआ घाटा

2889. **श्री नरेन्द्रसिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक असंतोष तथा चारों ओर फैली हड़ताल और तालाबन्दी के कारण कोयला उद्योग की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग को चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल कितना घाटा हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग में पिछले वर्ष की तुलना में 1977-78 में हड़तालों में यद्यपि वृद्धि हुई है किन्तु उद्योग की अर्थव्यवस्था पर इनका कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा है । इन हड़तालों के कारण कोल इंडिया लि० की खानों में अप्रेल से दिसम्बर, 1977 तक उत्पादन की हानि होने का अनुमान 2.96 लाख टन है जबकि कुल उत्पादन 624 लाख टन हुआ ।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम को हुआ घाटा

2890. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय वस्त्र निगम मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम घाटे में चल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) द्वारा चलाई जा रही मिलों के कार्य संचालन में सुधार करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :

(1) मशीनरी का आधुनिकीकरण/नवीकरण ;

(2) कार्यभार तथा श्रमिक बल का युक्तियुक्तकरण ;

(3) केन्द्रीकृत आधार पर कच्चे माल की थोक खरीद ;

(4) उत्पादन के नमूने में विविधिकरण ;

(5) विपणन प्रणाली में परिवर्तन ; तथा

(6) चुनी हुई मिलों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण ।

मंत्रालय में राजभाषा विभाग

2892. **श्री रूपनाथ सिंह यादव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राजभाषा विभाग उसी दिन खोला गया था जिस दिन देश में आपात स्थिति की घोषणा की गई थी ;

(ख) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 (संशोधित रूप में) की धारा 3(1) में किये गये उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए इस विभाग को बनाये रखना अनिवार्य है जबकि आपात स्थिति समाप्त कर दी गई है ;

(ग) क्या राजभाषा विभाग के कार्य को पहले की भांति गृह सचिव को सौंपे जाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को गृह सचिव को कब तक सौंपे जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) राजभाषा विभाग के काम को देखने के लिए एक अलग से विभाग बनाने के बारे में काफी पहले से विचार चल रहा था और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय हिन्दी समिति की 2-4-74 की बैठक में पहली बार प्रस्ताव रखा गया । केन्द्रीय हिन्दी समिति की उपसमिति ने इस मसले पर विचार करके अपनी सिफारिश केन्द्रीय हिन्दी समिति को प्रस्तुत की और केन्द्रीय हिन्दी समिति ने अपनी 9-4-1975 की बैठक में स्वतंत्र राजभाषा विभाग बनाये जाने का निर्णय किया । इस सम्बन्ध में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 26-6-1975 से एक स्वतंत्र राजभाषा विभाग बनाया गया, लेकिन इस विभाग के सृजन का आपातस्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

(ख) जी हां । यदि राजभाषा विभाग खत्म कर दिया जाता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत 18-1-1968 के संकल्प के अनुसार सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा । यही नहीं, 28-6-1976 को जारी किए गए राजभाषा नियमों का अनुपालन, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण आदि भी सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा ।

(ग) और (घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सिविल रोजगारों के लिए सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी

2893. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में पुनर्वास महानिदेशालय ने सिविल रोजगार के लिए सेना के कितने सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम भेजे ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ; और

(ग) कितने व्यक्तियों के नाम अनुसूचित बैंकों में रोजगार के लिए भेजे गये तथा कितनों को ऐसा रोजगार दिया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) 895

(ख) 257

(ग) मनोनीत 243

रोजगार दिया 14

"मिनी" सीमेंट संयंत्र

2894. **श्री सुशील कुमार धारा ।**
श्री वयालार रवि

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मिनी" सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिये 19 राज्यों में चुने गए 43 सक्षम स्थानों के (राज्यवार) नाम क्या हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक संयंत्र के लिये भूमि का अधिग्रहण करने तथा संयंत्र को चालू करने सम्बन्धी आवधिक लक्ष्य क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक संयंत्र अपने प्रायोगिक उत्पादन चरण से वाणिज्यिक उत्पादन स्तर तक कब पहुंच जायेगा ; और

(घ) "मिनी" सीमेंट संयंत्रों के बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त करने हेतु विशेषज्ञ दल कब पश्चिम जर्मनी जायेगा ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) छोटे (मिनी) सीमेन्ट संयंत्रों की स्थापना के लिए 19 राज्यों में सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा पता लगाए गए 43 विभव सम्पन्न स्थलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट इन स्थलों में से 7 स्थलों की 2 व्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट और 5 संभाव्यता रिपोर्टें तैयार कर रहा है । परियोजनाएं स्वीकृत हो जाने के पश्चात् भूमि अधिग्रहण और अन्य कदम उठाए जाएंगे ।

(घ) छोटे सीमेन्ट संयंत्रों की स्थापना के लिए उपलब्ध देशी प्रौद्योगिकी के आंकने के पश्चात् तकनीकी जानकारी के आयात करने के प्रश्न पर निश्चय किया जाएगा ।

विवरण

छोटे (मिनी) सीमेंट संयंत्रों के लिए चुने गये स्थलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	नाम और निक्षेप का नाम व स्थापनास्थल	आरक्षण दस लाख मी० टनों में
आन्ध्र प्रदेश		
1.	एम्बांय (आर० एफ०) और कांडी करुयापल्ली कुरनूल जिला	11
2.	पिडुगुरला (आर० एफ०) गुन्टूर जिला	7.6
3.	सुलुरपेट नेल्लोर जिला	छोटे (मिनी) सफेद सीमेंट संयंत्र के लिए पर्याप्त
4.	कस्तूरपल्ली कोडनगल तालुक मेहबूब नगर जिला	50
अरुणाचल प्रदेश		
1.	टिडींग	43
आसाम		
1.	ग्रामपाणी	43

क्र० सं०	नाम व निक्षेप का नाम व स्थापना स्थल	आरक्षण दस लाख मी० टनों में
मणिपुर		
1.	ऊखरुल	5.7
2.	हंगडंग	2.84
बिहार		
1.	रौलिया-चुन्हट्टा रोहतास जिला	10.8 अनुमानित
2.	बुन्दू बास्सेरिया हजारीबाग जिला	6.6 आंशिक रूप से प्रमाणित
3.	कुरकुन्ता रेलीगेरा हजारीबाग जिला	6.0 अनुमानित
गुजरात		
1.	पासुवल-दी वानिया बानासकंठा साबर कंठा जिला	10 आंशिक रूप से प्रमाणित
2.	करामुड़ी-फुनिया बानासकंठा साबरकंठा जिला	15.0 अनुमानित
हिमाचल प्रदेश		
1.	सतौं-भटरांग नदी ददुआ-क्यारी	140.00 अनुमानित
2.	सिरमूर जिला लारगी मंडी जिला	100.00 अनुमानित
जम्मू और काश्मीर		
1.	मनासबत बारामूल्ला जिला	3.45 निर्दिष्ट
2.	कुनन, बाहा गुण्ड बारामूल्ला जिला	4.7 अनुमानित
3.	सालाल उधमपुर जिला	10.0 अनुमानित

क्र० सं०	नाम व निक्षेप का नाम व स्थापना स्थल	आरक्षण दस लाख मी० टनों में
कर्नाटक		
1.	याह नार्थकनारा जिला	8.0 प्रमाणित
2.	ऊरवाड, मानापुर, मनामी, मुद्योल, बेलगाम जिला	पर्याप्त
3.	हिरीयुर, चित्रादुर्ग जिला	पर्याप्त प्रमाणित
केरल		
1.	बेम्बानाड पालघाट जिला	2.0 प्रमाणित
2.	कुडलुन्डी कोजीकोड जिला	पता नहीं है
मध्यप्रदेश		
1.	राम नगर सतना जिला	13.0 प्रमाणित
2.	दाना बाबा राम सलेय्या दमोह जिला	2.76 प्रमाणित
3.	बाग-मानावर धार जिला	5.45 प्रमाणित
महाराष्ट्र		
1.	पारडी नान्देड जिला	1.3 प्रमाणित
2.	संगोदा, अवरपुर चांदा जिला	31.0 अंशरूप में प्रमाणित
उड़ीसा		
1.	गातीता नगर टीकमटोली कुजरटोली सुन्दर गढ़ जिला	2.0 प्रमाणित
2.	लरजी बरना सुन्दर गढ़ जिला	12.0 प्रमाणित

क्रम० सं०	नाम व निक्षेप का नाम व स्थापना स्थल	आरक्षण दस लाख मी० टनों में
राजस्थान		
1.	डबोक उदयपुर जिला	40.0 प्रमाणित
2.	मुरथल-किवारली सिरोही जिला	20.0 प्रमाणित
3.	नीम का थाना सीकर जिला	4.75 आंशिक प्रमाणित
नागालैंड		
1.	निमि	44.0 अनुमानित
तमिलनाडु		
1.	थातचान कुरिची आर० एफ० त्रिचिनोपल्ली जिला	5.0 प्रमाणित
2.	पल्लक्कापलाईयम सेलम जिला	7.2 प्रमाणित
3.	तलाईयुतु तिरूनलवेली जिला	5.0 प्रमाणित
उत्तर प्रदेश		
1.	घोड़ा पिट्टी हिल्स देहरादून जिला	12.0 अनुमानित
पश्चिमी बंगाल		
1.	सघर बन ईचातुपूरुलिया जिला	1.0 अंशरूप में प्रमाणित
2.	हंसापठार पुरूलिया जिला	2.0 प्रमाणित
मेघालय		
1.	दरंग-एरा-मनांग	47.1
2.	सुतंगा	2
3.	सिन्दाई	1.00

भारतीय नौवहन निगम द्वारा टैंकरों की खरीद

2895. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोधित तेल की ढुलाई के लिये बड़े आकार के टैंकरों की संख्या कितनी है जो भारतीय नौवहन निगम ने विश्व बैंक से ऋण ले कर खरीदे हैं और विभिन्न तेल कम्पनियों को किराये पर दिये हैं ;

(ख) इन जहाजों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) उनके खरीदे जाने के बाद उनका कितने प्रतिशत उपयोग किया गया ; और

(घ) क्या ये जहाज अन्य कम्पनियों को आगे किराये पर दिये जा सकते हैं ; और यदि हां, तो उनकी आय बढ़ाने के लिये वे आगे कहां तक किराये पर दिये गये ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (घ) विश्व बैंक ऋण से प्रत्येक लगभग 88,000 डी डब्ल्यू टी के 4 टैंकर खरीदे गये । ऋण की शर्तों के अनुसार टैंकर भारतीय तेल निगम को 16-वर्षीय टाईम-चार्टर पर दिए गये हैं । इस कारण से प्रश्न के भाग (घ) का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) प्रत्येक टैंकर का मूल्य 5,000 मिलियन जापानी येन था।

(ग) हमारे तेल शोधक कारखानों के लिए कच्चे तेल के आयात की ढुलाई के लिए टैंकरों का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है ।

आपातस्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों के कारण गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

2896. **डा० सरदीश राय** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातस्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों के कारण गत 6 महीनों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ख) तत्सम्बन्धी, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) चूंकि आपात स्थिति की ज्यादतियों से अवश्य ही कोई दण्डनीय अपराध नहीं बनते अतः ऐसी ज्यादतियों के सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रश्न नहीं उठता । परन्तु जहां कोई विशिष्ट अपराध किया गया है, कानून प्रवर्तन एजेंसियां कानून के अनुसार गिरफ्तारी समेत उपयुक्त कार्यवाही कर रही है ।

भारत और सीरिया के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग

2897. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और सीरिया के बीच हाल ही में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मईति): (क) जी, हां। 16-2-78 को दिल्ली में केन्द्रीय उद्योग मंत्री तथा सीरिया के उद्योग मंत्री के मध्य वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) करार में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के जो चार मुख्य क्षेत्र हैं, वे ये हैं :—

(i) अध्ययन तथा विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए वजीफों का परस्पर दिया जाना।

(ii) विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, तकनीशियनों, वैज्ञानिकों, अनुसंधान कर्मचारियों एवं वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना व डाकूमेंटेशन का आदान-प्रदान।

(iii) दोनों देशों के विकास के लिए अध्ययनों तथा योजनाओं को संयुक्त रूप से प्रोत्साहन देना। दोनों देशों में वैज्ञानिक और तकनीकी सेमीनारों का आयोजन तथा दोनों देशों के हित के विषयों पर विचार करना।

(iv) वैज्ञानिक और तकनीकी समस्याओं का संयुक्त रूप से पता लगाना, उद्योग, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उसका कार्यान्वयन करना तथा इनके परिणामस्वरूप प्राप्त अनुभव तथा जानकारी का आदान-प्रदान।

मुर्शिदाबाद के नवाब की वार्षिकी

2898. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुर्शिदाबाद के नवाब बहादुर की राजनीतिक वार्षिकी पेंशन रोके जाने के कारण सरकार के पास कुल कितनी धनराशि जमा हो गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त धनराशि का उपयोग नवाब के महल और उस के अहाते का एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में बदलने के लिए करने की वांछनीयता और व्यावहार्यता पर विचार किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद भारत सरकार ने 20 नवम्बर, 1969 को मुर्शिदाबाद के अन्तिम नवाब सैयद वारिस अली मिर्जा की मृत्यु के बाद वार्षिकी के भुगतान को बन्द करने का निर्णय किया था। इसलिए, इस कारण से किसी धनराशि के जमा होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्तियां

2899. **श्री निहार लास्कर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सब-इन्स्पैक्टर और असिस्टेंट सब-इन्स्पेक्टर जैसे विभिन्न पदों पर रक्षा सेना के कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : सन, 1977 के दौरान भूतपूर्व रक्षा सेवा के 268 कर्मचारी पुनर्नियुक्ति पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किये गये थे। ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) कमाण्डेंट	4
(ख) निरीक्षक	28
(ग) उप-निरीक्षक	21
(घ) सहायक उप-निरीक्षक	26
शून्य पद	189
जोड़	268

Setting up of Industries in Adivasi area of Gujarat

2900. **Shri Chittubhai Gamit** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have any proposal to set up big and small industries in the adivasi areas of Gujarat to provide the adivasis with full employment and the details thereof ;

(b) the nature of small and big industries required to be set up in the adivasi areas of Gujarat and the places where the above industries will be established ; and

(c) whether the Central Government will set up any industry in Surat district to provide employment to the people affected by the Lift Irrigation schemes there and the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) The Central Government has no proposal to set up industries in the public sector in the Adivasi areas of Gujarat. As regards small industries, the Central Government does not set up industries but encourages entrepreneurs to do so.

(b) In the Tribal sub-plans, for giving employment to Adivasis, emphasis is being given to setting up small scale, cottage and household industries such as handloom, potteries, handicrafts, carpentry, blacksmithy etc. The type of industries to be developed will further depend upon the specific needs of the different Integrated Tribal Projects in the State. The objective is to develop local and traditional industries. These industries will be taken up in all the Integrated Tribal Development Projects namely : Bhayuch, Panchmahals, Surat-I & II, Valsad, Sabarkantha, Vadodra, Dangs and Banaskantha.

(c) No Sir.

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की चीनी तथा बिजली संयंत्र बनाने की उत्पादन क्षमता

2901. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने देश में चीनी तथा बिजली संयंत्रों का निर्माण करने की क्षमता बढ़ा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयंत्रों के बारे में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता क्या है तथा उस कम्पनी द्वारा निर्मित किए जाने वाले ऐसे संयंत्रों का ठीक ठीक ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मईति) : (क) तथा (ख) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड चीनी संयंत्रों का निर्माण नहीं करता है । वे अन्य बातों के साथ-साथ तापीय और जल विद्युत संयंत्रों के लिए उपकरणों का निर्माण करते हैं । इसने हाल के वर्षों में जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण हेतु क्षमता नहीं बढ़ाई है । जहां तक तापीय विद्युत जनित्रण उपकरणों का संबंध है, इसमें टर्बो सेट और बायलर शामिल हैं। यद्यपि टर्बो सेटों के निर्माण के लिए क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है लेकिन बी० एच० ई० एल० अधिक क्षमता के तापीय विद्युत सेटों, अब तक बनाए जा रहे 210 मे० वा० की तुलना में शुरू में 500 मे० वा० के सेटों, की डिलीवरी करने की स्थिति में होगा, जिसके परिणामस्वरूप यह इकट्ठा अधिक क्षमता के तापीय विद्युत संयंत्रों का उत्पादन कर सकेगा। बायलरों के निर्माण की क्षमता 1100

मे० वा० से बढ़ाकर 2500 मे० वा० की जा रही है । इसका कार्यान्वयन 1978 के अंत में होगा तापीय सेटों हाइड्रो सेटों और बायलरों की विद्यमान वार्षिक अधिष्ठापित निर्माण क्षमता निम्नलिखित है ।

तापीय सेट	सेटों के यूनिट साइज के आधार पर 2600 से 3000 मे० वा० ।
हाइड्रो सेट	विभिन्न रेटिंग के लगभग 1000 मे० वा०/औसतन वे लगभग 15 से 20 की संख्या में होते हैं ।
बायलर	2500 मे० वा० तक बढ़ाया जा रहा है और 1978 के अंत तक प्रति वर्ष 87000 एम० टी० के उत्पादन के अनुरूप होगा ।

Appointment of Daily Wages Artistes of Lucknow T.V. on Regular Basis

2902. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have asked the U.P. Government to appoint daily wages artistes of Lucknow Television Centre on permanent basis ; and

(b) if so, whether they have not been appointed on permanent basis so far ; and

(c) if so, the reasons therefore ; and action Government propose to take in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) No Sir. Doordarshan Kendras do not appoint artistes on daily wages.

(b) & (c) Do not arise.

लद्दाख में विद्युत्

2903. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख को इस समय कितनी बिजली उपलब्ध है ; और

(ख) लेह में अधिक बिजली देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) इस समय लद्दाख में विद्युत उत्पादन के लिए लगभग 2 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता उपलब्ध है ।

(ख) लेह में बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए स्तकना जल-विद्युत परियोजना पर कार्य पहले ही चल रहा है । कई माइक्रो जल-विद्युत् स्कीमों का अन्वेषण भी चल रहा है ।

दृश्य और श्रृव्य प्रचार निदेशालय द्वारा छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन देना

2904. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :**
श्री बसन्त साठे :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार विज्ञापनों के मामले में दृश्य और श्रृव्य प्रचार निदेशालय (डी० ए० वी० पी०) द्वारा छोटे समाचार पत्रों के लिये निर्धारित न्यूनतम परिचालन सीमा में छूट देने का है जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिल सके ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौर क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सरकार की विज्ञापन नीति में कतिपय श्रेणियों के छोटे समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के लिए न्यूनतम विक्रीत संख्या में ढील देने की पहले ही व्यवस्था है । इस संबंध में और ढील देने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

जनजातीय विकास विषयक कार्य दल

2905. **श्री राम कंवार बेरवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय विकास तथा जनजातीय क्षेत्रों के त्वरित एवं प्रभावी विकास विषयक कार्यादल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार के पूर्णिया जिले में गांवों का विद्युतीकरण

2906. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :**
श्री युवराज :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिलों के गांवों के विद्युतीकरण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उक्त योजनाओं की प्रगति समयावलि से पीछे है ; और

(ग) यदि हां तो विलम्ब के क्या कारण हैं और लक्ष्यों के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिलों में गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति नीचे दी जाती है :—

	आबाद गांवों की कुल संख्या	31-3-1977 तक की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या
पूर्णिया	2,493	194
कटिहार	1,239	125

(ख) और (ग) भौगोलिक परिस्थितियों, संचार सुविधाओं की कमी, क्षेत्र में अपर्याप्त पारेषण/वितरण तार-जाल, भार विकास में कमी आदि के कारण पूर्णिया और कटिहार जिलों सहित उत्तर बिहार में गांवों का विद्युतीकरण सामान्यतः धीमा रहा है ।

जिन क्षेत्रों में प्रगति धीमी है उनकी ओर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है । ऐसे क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा उनके सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आसान शर्तों पर ऋण सहायता दी जा रही है ।

गुट निरपेक्ष सामाचार पूल (नान-एलाइन्ड न्यूज पूल) पर गोष्ठी

2907. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में 'नान-एलाइन्ड न्यूज पूल' पर एक गोष्ठी का नई दिल्ली में आयोजन किया गया था ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) और (ख) गुट निरपेक्ष देशों के प्रेस एजेंसी पूल पर एक सेमीनार का अखिल भारतीय समाचार, पत्र सम्पादक सम्मेलन द्वारा 11 फरवरी-1978 को आयोजन किया गया था । बताया जाता है कि उसमें समाचार सम्बन्धी श्रोतों की पुलिंग तथा गुटनिरपेक्ष एवं विकासशील देशों के बीच क्षेत्रीय रूचि के समाचारों के आदान-प्रदान से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया था । इनमें से कुछ पहलुओं पर गुट निरपेक्ष देशों के प्रेस एजेंसी पूल की समन्वय समिति जिसका भारत अध्यक्ष है की आगामी दूसरी बैठक में जो अप्रैल 1978 के प्रथम सप्ताह में जकार्ता में होनी है में विचार विमर्श किया जाना है ।

दिल्ली परिवहन निगम के लिये समिति के सदस्यों के पैनल की नियुक्ति

2908. श्री **सुखदेव प्रशाद वर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली के विभिन्न कार्यों की जांच के लिए समिति के सदस्यों के एक पैनल की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और जांच एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पैनल के निर्देश पद क्या हैं ;

(ग) क्या निर्देश पदों में दिल्ली परिवहन निगम में लम्बी दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए किराया घटाना और दिल्ली परिवहन निगम में अन्य बचतों के द्वारा आम किराये में कमी लाना जैसे महत्वपूर्ण पहल सम्मिलित नहीं हैं ;

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) जी हां । समिति के विचारार्थ विषय अनुबंध में दिए गये हैं ।

(ग), (घ) और (ङ) निगम ने अपनी सेवाओं के भाड़ा ढांचे में संशोधन करने के लिए अपने प्रस्ताव पहले ही भेज दिये और उन पर विचार किया जा रहा है । निगम अपने बेड़े के उपयोग में और सामान्य परिचालानात्मक क्षमता में सुधार करने के लिए प्रयत्न कर रहा है । अतः यह आवश्यक नहीं समझा गया कि भाड़ा संशोधन संबंधी मामला समिति को भेजा जाए ।

विवरण

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) यात्रियों की सुविधा और निगम के बेड़े के अधिकतम प्रयोग को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मार्ग ढांचे की जांच करना और इसमें संशोधन का सुझाव देना ।

(2) बैठने की व्यवस्था, टिकट जारी करने की व्यवस्था और ऐसे अन्य मामलों के संबंध में निगम द्वारा यात्रियों को उपलब्ध की गई सेवा के गुणों की जांच करना और निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार करने के उपायों का सुझाव देना ।

(3) यात्रियों में पंक्ति अनुशासन के अभाव के कारणों और निगम और इसके अन्तर्गत चलने वाली प्राईवेट बसों को बस स्टापों पर ठीक स्थानों पर न रुकने के कारणों की जांच करना और इन कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सुझाना ।

(4) यात्रियों के साथ दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालन स्टाफ और निगम के अधीन चलने वाले प्राईवेट प्रचालकों के असंतोषजनक व्यवहार संबंधी आम शिकायतों की जांच करना और इसमें सुधार करने के बारे में उपाय सुझाना ।

(5) निगम में मौजूदा लोक संबंध पद्धति की पर्याप्तता अथवा/अन्यथा जांच करना और यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देना कि दिल्ली परिवहन निगम और यात्रियों और विशेषत: छात्र समुदाय के बीच अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हों ।

(6) जनता की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए वर्तमान व्यवस्था की जांच करना और ऐसी सभी शिकायतों को शीघ्र दूर करना, सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय सुझाना ।

(7) प्राईवेट बसों की सेवा में सुधार करने के लिए सुझाव देना (जैसा कि ए० ओ० सी० सी० के मामले में है--यहां अत्याधिक भीड़ होती है जबकि किलोमीटरी योजना के अधीन ड्राईवर यात्रियों की परवाह नहीं करते) ।

(8) निगम की बसों और उसके नियन्त्रणाधीन चलने वाली बसों को हुई सड़क दुर्घटनाओं की वर्तमान दरों के लिए कारणों की जांच करना और उन्हें कम करने के लिए उपाय सुझाना।

(9) दिल्ली परिवहन निगम के कार्यों, बसों की मरम्मत करने में विलम्ब, स्टोर तथा फालतू पुर्जों को प्राप्त करने की व्यवस्था आदि की जांच करना और इनमें सुधार करने के लिए सुझाव देना।

Implementation of Schemes with Central Assistance in Bihar

2909. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the number and names of the schemes being implemented with Central assistance in Bihar at present ;

(b) the total amount granted for the purpose ; and

(c) the total expenditure incurred so far thereon ?

Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) Central assistance to States for their Annual Plans is not related to any individual scheme or group of schemes. Central assistance is allocated annually as block loans and block grants.

(b) To finance the 1977-78 Annual Plan of Bihar of the order of Rs. 307 crores, Central assistance sanctioned amounted to Rs. 103.69 crores.

(c) Information about the expenditure incurred so far is not available.

Manufacture of Electrical Appliances

2910. **Shri Chhabiram Argal :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state the steps being taken up by Government to ensure quality control of electrical appliances being manufactured in public and private sectors ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : The Household Electrical Appliances (Quality Control) Order, 1976, which envisages that no person shall himself or by any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any household electrical appliance which does not conform to the standards specified therein, has come into force with effect from 1-1-1978. The Order is applicable to all sectors of the industry manufacturing household electrical appliances. In order to assist the small scale units in this regard, the Government have set up testing laboratories at various places.

ताप बिजलीघरों में क्षमता का उपयोग

2911. **श्री जी० एस० रेड्डी :**
श्री एस० आर० दामाणी :
श्री रागावलु मोहनरंगम :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय में ताप बिजलीघरों में क्षमता के उपयोग की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ;

(ख) क्या इन बिजलीघरों ने 60 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उसके परिणामस्वरूप कितना सुधार प्राप्त हो सका है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) अप्रैल, 1977—फरवरी, 1978 की अवधि के दौरान 20 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के 61 विद्युत् केन्द्रों में से 23 केन्द्र 60% अथवा उससे अधिक संयंत्र भार अनुपात पर पहुंच गए हैं। यद्यपि संयंत्र अनुपात का राष्ट्रीय औसत जोकि 1975-76 में 52% था बढ़कर 1976-77 में 56% हो गया है किन्तु 1974 के बाद चालू की गई ताप विद्युत् यूनिटों में जबरन बन्दियों की अपेक्षतया अधिक दर को कुछ ताप विद्युत् यूनिटों की बन्दियों की लम्बी अवधि को ध्यान में रखकर इन आंकड़ों को इस वर्ष भी बनाए रखना संभव नहीं है।

(घ) ताप विद्युत् संयंत्रों की क्षमता के समुपयोजन में वृद्धि करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को यह सलाह दी गई कि वे—

(1) अव्यस्ततम समय के उपभोक्ताओं को भार वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देकर पृथक-पृथक विद्युत् प्रणालियों के भार वक्रों को एक-सा रखा करें।

(2) विद्युत् केन्द्रों के कार्यनिष्पादन को सम्यक मानिटरिंग करें, मरम्मत कार्य को सरल और कारगर बनाकर, जबरन और आयोजित बन्दियों वाली यूनिटों के मरम्मत कार्य/पुनः प्रचालन में शीघ्रता लाने के लिए केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा सहायता दी जा रही है।

(3) आयोजित और जबरन बन्दियों की अवधि कम करने के लिए ताप-विद्युत् केन्द्रों में अनुरक्षण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाएं और निरोधक अनुरक्षण शुरू करें।

(4) विभिन्न विद्युत् प्रणालियों का समेकित प्रचालन करें जिससे ताप-विद्युत् केन्द्रों को अधिक संयंत्र और अनुपात पर प्रचालित किया जा सके ।

(5) रुग्ण यूनिटों का परियोजना नवीकरण करने के लिए बहुविधा दलों का गठन करें ।

(6) इस देश में निर्माण किए जाने वाले यूनिटों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० से आग्रह किया गया है ।

(7) आयातित रूसी और अमरीकी ताप-विद्युत् यूनिटों के लिए फुटकर पुर्जों का स्टाक रखने के लिए एक केन्द्रीय निकाय (पूल) बनाया गया है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि फुटकर पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का शीघ्रता से और उदारता से विमोचन हो ।

(8) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा निर्मित उपस्कर के लिए फुटकर पुर्जे उपलब्ध हों ।

(9) अपेक्षित किस्म के कोयले की सप्लाई के लिए व्यवस्था ।

(10) विद्युत् सप्लाई उद्योग का पुनर्गठन ।

फिल्म वित्त निगम द्वारा सिनेमाघरों का निर्माण

2912. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्म वित्त निगम ने अप्रैल, 1977 से लेकर अब तक कितने सिनेमाघर बनाए हैं ; और

(ख) वर्ष 1978 और 1979 के लिए इस बारे में क्या कार्यक्रम हैं और उनकी क्या शर्तें हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) फिल्म वित्त निगम ने देश में अभी तक कोई सिनेमाघर नहीं बनाया है और न ही उसकी अपने आप कोई सिनेमाघर बनाने की योजना है । तथापि वह थोड़ी लागत वाले सिनेमाघरों के, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना बना रहा है । योजना के ब्यौरों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

आकाशवाणी से पंजाबी में कार्यक्रम

2913. **श्री किशोर लाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व तक आकाशवाणी से प्रति गुरूवार को प्रातः आधे घंटे के 'शब्द' कार्यक्रम का पंजाबी में प्रसारण किया जाता था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब इन भक्ति गीतों के स्थान पर अन्य गीतों का प्रसारण होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इसकी आंशिक रूप से पहले 10 मिनटों के लिए सूफीयाना कलाम/लघु कहानी/कविता पाठ/वार्ता आदि के द्वारा बदला गया है । तथापि, मामले का पुनर्विलोकन करने का निर्णय लिया गया है ।

Fall in Industrial Production in Bihar

2915. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether power shortage has resulted in fall in industrial production in Bihar ; and

(b) if so, full facts in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) & (b) Even though there are no notified power cuts imposed on any category of consumers in Bihar, it is reported that frequent load shedding is resorted to whenever availability of power in the State is less than the total requirement. This has an impact on industrial production. However, it is difficult to identify the loss in industrial production due to power shortage alone as other factors like lack of finance, slackness in demand, labour disputes, availability of inputs etc., also affect the industrial production.

पंजीकृत छोटे औद्योगिक एकक

2916. **श्री नाथु सिंह :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास विभाग के "उद्योगों संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत, 1976-77" के परिशिष्ट पांच (पृष्ठ 53) के पैरा 2 के अनुसार 1-1-78 को प्रत्येक राज्य उद्योग निदेशक तथा विकास आयुक्त के पास पंजीकृत छोटे उद्योग क्षेत्र में छोटे एककों (सहायक एककों सहित) की कुल संख्या कितनी थी और पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में ये आंकड़े क्रमशः क्या थे ;

(ख) देश में 1-1-78 को ऐसे कितने छोटे एकक थे जिन्हें लाइसेंसों से ('उद्योगों संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत, 1976-77' के पृष्ठ 16—18 पैरा 16(1) तथा (2) के अन्तर्गत) छूट प्राप्त न थी और पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में ये आंकड़े क्या थे ; और

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उल्लिखित उन फर्मों के बारे में सरकार का मोटा अनुमान क्या है जो 1-1-78 को और क्रमशः पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे थे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) वर्ष 1973 में की गई लघु उद्योग एककों की गणना के पश्चात् किए गए पंजीकरणों के अनुसार विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यक्षेत्र में आने वाले कुल 2,70,898 कार्यरत औद्योगिक एककों को पंजीयित किया गया था । इनकी राज्यवार और अलग-अलग संख्या अनुबंध के रूप में दी गई है । लघु उद्योगों की गणना पर आधारित विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1973 के अंत में 1.60 लाख एकक पंजीयित थे । प्रथम एवं तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अंत के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) उद्योगों के मार्गदर्शी सिद्धांत 1976-77 के पृष्ठ 18 के पैरा 16(1) और (2) में उल्लिखित आय-कर से छूट प्राप्त एककों के बारे में जानकारी लघु उद्योग विकास संगठन में उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इंजीनियरी वस्तुओं, रसायन और संबद्ध उत्पादों, प्लास्टिक उत्पादों और काजू की गिरी से संबंधित निर्यात संवर्द्धन परिषदों के पास 1-1-1978 को पंजीयित औद्योगिक एककों की संख्या 700 के लगभग होगी ।

विवरण

1-1-1978 को विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यक्षेत्र में आने वाले लघु उद्योग के रूप में पंजीयित एककों का राज्यवार बंटवारा

राज्य का नाम	पंजीयित एकक
आन्ध्र प्रदेश	16360
आसाम	2952
बिहार	12141
गुजरात	19030
हरियाणा	10089
हिमाचल प्रदेश	2546
जम्मू और कश्मीर	2211
कर्नाटक	12241
केरल	12288
मध्य प्रदेश	13044
महाराष्ट्र	20944
मणिपुर	644
मेघालय	276
नागालैंड	193
उड़ीसा	3840
पंजाब	21614
राजस्थान	12261
सिक्किम	प्राप्त नहीं
तमिलनाडु	23654
त्रिपुरा	698
उत्तर प्रदेश	17535
पश्चिम बंगाल	56265
अरूणाचल प्रदेश	131
चण्डीगढ़	585
दादरा एवं नागर हवेली	210
दिल्ली	7342
गोआ, दमन एवं दियू	1006
मिजोरम	263
पांडिचेरी	545
योग	270898

नोट : आंकड़े अनन्तिम हैं।

धोबियों और नाइयों के कारण रक्षा सेवाओं को हानि

2917. **श्री वयालार रवि :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्षा सेवाओं में धोबियों और नाइयों की ठेका प्रणाली के कारण भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो हानि को न्यूनतम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या भत्ता प्रणाली आरम्भ करने की सरकार की योजना है, जिसकी काफी समय पूर्व सिफारिश की गई थी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी नहीं । जिन यूनिटों के लिए धोबी और नाई मंजूर नहीं हैं उन यूनिटों में धोबियों और नाइयों की व्यवस्था करने के ठेकों से सरकार को कोई हानि नहीं हुई है । इन ठेकों के लिए थल सेना और वायु सेना में प्रति व्यक्ति प्रति माह कुल व्यय की निम्न-लिखित सीमा रखी गई है :—

	थल सेना	वायु सेना
बाल कटाने/धोने के लिए	2 रुपए प्रति मास	2 रुपए प्रति मास
धुलाई भत्ता	5 रुपए प्रति मास	5 रुपए प्रति मास

नौसेना में, बाल कटाने/बाल धोने और धुलाई भत्ते के रूप में नाविक के तट पर अथवा समुद्र में सेवारत रहने के अनुसार क्रमशः 7 रुपए अथवा 8.75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह दिए जाते हैं ।

(ग) जिन स्थानों पर ये सेवाएं उपलब्ध नहीं की जा सकती हैं वहां पर बाल कटाने/बाल धोने और धुलाई भत्ते के स्थान पर नकद भत्ता दिया जाता है । यह भत्ता उपर्युक्त दर पर दिया जाता है ।

अतिरिक्त जनन क्षमता बनाना

2918. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की वर्तमान कमी और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जनन क्षमता बनाने के लिये अल्पावधि और दीर्घावधि परियोजनाओं को इस बीच अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और वे कब तक चालू होंगी ; और

(घ) शेष योजनाओं के बारे में क्या कार्यवाही की गई है और उनको क्रियान्विति के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) विद्युत् विकास दीर्घावधि में लाभ देने वाली, निरन्तर चलने वाली गतिविधि है और विद्युत् उत्पादन स्कीमों के बारे में निवेश संबंधी निर्णय विभिन्न योजनाओं के लिए बनाए गए विद्युत् कार्यक्रमों के आधार पर क्रम-क्रम से लिए जाते हैं । इस समय अनेक स्कीमें निर्माणाधीन हैं और बिजली की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए समय पर लाभ प्राप्त करने

हेतु, अनेक नयी स्कीमों के बारे में निवेश संबंधी निर्णय लिए गए हैं। इन स्कीमों के ब्यौरे और उनको चालू करने संबंधी कार्यक्रम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आगामी पंचवर्षीय योजना (1978-79 से 1982-83 तक) में अपनाए जाने वाले विद्युत् कार्यक्रम के आधार पर, कार्यक्रम में अभिकल्पित प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उत्पादन को कुछ और स्कीमों को भी शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है। दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में, 1982-83 के बाद, बिजली की मांग को पूरा करने की दृष्टि से, संभावित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और स्कीमें भी चरणबद्ध रूप में शुरू की जाएंगी। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1812/78]**

आसाम के विशेष संदर्भ में समेकित जनजाति विकास नीति

2919. **श्री अहमद हुसैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की देश में समेकित जनजाति विकास नीति क्या है ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक राज्य के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई (राज्य उप-योजना के लिए किये गये परिव्यय के अतिरिक्त) ;

(ग) किये गये व्यय के पूरे प्रभाव के आसाम के जनजाति क्षेत्रों में दिखाई न देने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार आसाम के जनजाति के लोगों के जीवन और शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय योजना को मंजूरी देने का है जिससे जनजाति के लोगों को उनके विकास का उचित भाग मिल सके ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1978-79 में आसाम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि में वृद्धि करने की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) समेकित जनजाति विकास का उद्देश्य जनजाति क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में विकास के स्तर के बीच की खाई को यथाशीघ्र पाटना है। शोषण समाप्त करने और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर समान रूप से बल देते हुए पूर्ण नियोजन अर्थ-व्यवस्था के कार्यकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी समेकित जनजाति विकास परियोजना के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक क्षेत्र के लिए उस क्षेत्र की समस्याओं के संदर्भ में विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने हैं।

(ख) सूचना अनुलग्नक में दी गई है।

(ग) आसाम में मिकिर तथा उत्तर कछार पहाड़ियों को छोड़कर जनजाति जनसंख्या काफी बिखरी हुई है। अतः इन क्षेत्रों के लिए उपयोजनाएं तथा समेकित जनजाति विकास परियोजनाएं तैयार करने में कुछ समय लगा है।

(घ) जनजाति उप-योजनाओं में जनजाति विकास के सभी पहलू आ जाते हैं। निवेश का उचित स्तर राज्य योजनाओं से निर्धारित किया जाता है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जाता है। इस कार्यक्रम को उचित रूप से सुदृढ़ किया जाएगा।

(ङ) 1978-79 के दौरान आसाम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 325 लाख रुपये होगी जबकि 1977-78 वर्ष के दौरान 257 लाख रुपये थी।

विवरण

1977-78 के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को स्वीकृत की गई विशेष केन्द्रीय सहायता

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रुपये लाखों में
आन्ध्र प्रदेश	278.00
आसाम	257.00
बिहार	800.25
गुजरात	466.00
हिमाचल प्रदेश	90.00
कर्नाटक	24.00
केरल	25.00
मध्य प्रदेश	1547.00
महाराष्ट्र	371.00
मणिपुर	128.00
उड़ीसा	763.00
राजस्थान	291.00
तामिलनाडु	45.00
त्रिपुरा	96.40
उत्तर प्रदेश	15.00
पश्चिम बंगाल	225.00
अण्डेमान व निकोबार द्वीप समूह	17.00
गोआ, दमन व दीव	11.00
	5449.65

अहमदाबाद में पूर्ण टेलीविजन केन्द्र

2920. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1978 में देश के एक अथवा अनेक शहरों में नये टेलीविजन केन्द्र खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किस मूल्य पर ;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ;

(घ) क्या यह सच है कि गुजरात में अहमदाबाद में अभी तक एक पूर्ण टेलीविजन केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है यद्यपि गुजरात सरकार और संसद् में गुजरात के लोगों के प्रतिनिधि सरकार से शीघ्र ही ऐसा करने का अनुरोध कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी):(क) और (ख) 1978 के दौरान सम्बलपुर (उड़ीसा) और मुजफ्फरपुर (बिहार) में दो दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र, कानपुर में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र और जलन्धर में एक दूरदर्शन केन्द्र चालू होने की उम्मीद है । इन पर कुल लगभग 7.5 करोड़ रुपए व्यय होगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) अहमदाबाद में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को छठी पंचवर्षीय योजना 1978—83 के मसौदे में शामिल किया गया है । तथापि, इसका कार्यान्वयन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि और योजना आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

Development of Industries in Sikkim

2921. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of large scale, medium and small scale industries proposed to be set up by the Central Government in Sikkim during the next three years ;

(b) the amount earmarked for industry, out of a sum of Rs. 22 crores granted to Sikkim by the Central Government and the amount, out of it, spent on the setting up and development of Industry ; and

(c) whether it is a fact that there is no such industry in Sikkim State in which employment can be provided to a large number of persons and if so, whether the Government of Sikkim have submitted any scheme to the Central Government, and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) to (c) The Government of Sikkim had got a feasibility report prepared for a paper project. The Hindustan Paper Corporation who examined the feasibility report at the instance of the Government of India have made some proposals for making the project viable. As regards Small Scale Industries, the Central Government has mostly a promotional role to play.

Out of the total approved outlay of Rs. 15.80 crores for Sikkim State during the year 1978-79, the allocation for "Industry & Mineral" sector is Rs. 1.09 crores. The approved outlay on large and medium industries is Rs. 44.00 lakhs, while the outlays on village and small industries and mineral development are Rs. 46.00 lakhs and Rs. 19.00 lakhs respectively.

There is no industry in the organised sector at present in Sikkim which can provide employment for a large number of persons. The paper project should be able to provide employment for a large number of persons in case its feasibility is established. However Government are aware of the need to set up industries to maximise employment opportunities in Sikkim State. One RURAL INDUSTRIES PROJECT was allotted to Sikkim State in 1977-78. The whole area of Sikkim has been declared as industrially backward to qualify for concessional finance and the central scheme of investment subsidy for promotion of industry. The employment aspect is taken into consideration whenever plans relating to Sikkim State are formulated.

युद्ध की तैयारी के लिए चीन की सशस्त्र सेनाओं को परिपत्र

2922. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का ध्यान युद्ध के लिए तैयार रहने के संबंध में अपनी सशस्त्र सेनाओं को चीन सरकार द्वारा दिये गये परिपत्र की ओर गया है जैसा कि हाल में समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है ; और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं । चीनी नेताओं द्वारा अपनी सशस्त्र सेनाओं को विशेष अवसरों पर इस प्रकार के उपदेश देना कोई असामान्य बात नहीं है और इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सीमाओं पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है ।

Showing of Casts in Hindi Films

2923. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Hindi films are still preceded by the film casts in English;

(b) whether the names of casts being in English, most of the cinegoers from Hindi speaking regions do not enjoy these a films fully; and

(c) the guidelines proposed to be issued by Government to see that the cast of Hindi films is screaned in Hindi to save the people from this inconvenience ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a), (b) and (c) Credit titles of Hindi films are shown in English and in some cases in Hindi and Urdu. The film industry is in the private sector. The Government do not have the power, under the Cinematograph Act, 1952, to give any directions to the film industry for showing credit titles in any particular language.

गैस टर्बाइन निर्माण करने वाली स्विस कम्पनी द्वारा विश्व बैंक को शिकायत

2924. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें गैस टर्बाइन निर्माण करने वाली स्विस कंपनी द्वारा की गई इस आशय की शिकायत की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र में स्थित एक भारतीय निगम द्वारा ठेके के लिए दिए टेंडरों को उसके प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में खोला गया था और ऐसा केवल एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ ;

(ख) शिकायत में कहां तक सच्चाई है ; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अत्मा माईति) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

कर्नाटक और महाराष्ट्र में बिजली की कमी पर विचार करने के लिए 6 और 19 जनवरी, 1977 को अन्तर-मंत्रालय बैठकें हुई थीं । निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था :—

(1) महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकारों के लिए गैस-टरबाईनों के आयात की सिद्धांत रूप में स्वीकृति दी गई थी ।

(2) गैस-टर्बाइनों का आयात बी०एच०ई०एल० के जरिए किया जाएगा ताकि यह न केवल बढ़िया कीमतें हासिल करने में समर्थ हो सके बल्कि भारत में गैस टर्बाईनों की सर्विसिंग और भविष्य में संभावित देशी निर्माण के लिए जानकारी प्राप्त करने पर बातचीत भी कर सके।

(3) इस बात पर सहमति हो गई थी कि विशिष्टियों, निविदा की शर्तों आदि को अंतिम रूप देने के लिए एक तदर्थ समिति स्थापित की जाएगी जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी०एच०ई०एल०), सदस्य (तापीय), सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी (सी०ई०ए०) और चेयरमैन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और चेयरमैन कर्नाटक स्टेट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (के०एस०आई०आई० डी०सी०) होंगे ।

(4) तदर्थ समिति को प्रस्तावों की जांच और सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। सिफारिशें करने में समिति यूनिट रेटिंग और भुगतान की शर्तों के सर्वोत्तम विकल्प को ध्यान में रखेगी ।

तदर्थ समिति द्वारा स्वीकृत निविदा-विशिष्टियों के आधार पर बी०एच०ई०एल० ने तीस गैस टर्बाइन निर्माताओं से फरवरी, 1977 के शुरू में विश्व निविदा जारी करके पूछताछ की। ग्यारह निर्माताओं से उत्तर प्राप्त हुआ था जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, प० जर्मनी, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और नोर्वे के सुप्रसिद्ध निर्माता सम्मिलित थे। निविदा बन्द होने की तारीख शुरू में 7 मार्च, 1977 निर्धारित की गई थी लेकिन इसे बाद में 21 मार्च, 1977 तक बढ़ा दिया गया था क्योंकि अनेक निर्माताओं ने समय-वृद्धि के लिए अनुरोध किया था।

निविदाएं 21 मार्च, 1977 की अपराह्न में खोली गई थी और 22 मार्च, 1977 को यह कार्य जारी रहा। यही एकमात्र सरकारी रूप से खोली गई निविदाएं थी जिन पर तदर्थ समिति ने विचार किया था। प्रमुख कम्पनी मे० ब्राउन बोवेरी कंपनी (बी०बी०सी०), स्विटजरलैंड/जर्मनी के अधिकृत प्रतिनिधि जो संभवतः माननीय सदस्य के ध्यान में है, और साथ ही उनके स्थानीय एजेंट मै० हिंदुस्तान ब्राउन बोवेरी, अन्य निविदाकारों, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, के०एस०आई०आई०डी०सी०, एन०आई० डी०सी०, सी०ई०ए० और बी०एच०ई०एल० के प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित थे। इसके अलावा यह भी नोट किया जाये कि विश्व बैंक को शिकायत करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए उस संगठन से धन लेने का विचार नहीं है और उसका इससे कोई संबंध नहीं है।

तदर्थ समिति ने निविदाओं के मूल्यांकन का मूल मापदण्ड निर्धारित किया और तकनीकी लक्षणों, मूल्य, डिलीवरी और अन्य वाणिज्यिक बातों और सहयोग के पहलू के आधार पर प्रस्तावों का विशद विश्लेषण किया और आगे विचार हेतु 8 निविदाओं को शार्ट लिस्ट किया। अन्य दो के प्रस्ताव अधूरे थे और इसलिए वे रद्द किए गए थे। एक निविदाकार ने अग्रेतर विचार न करने की इच्छा प्रकट की। सभी शार्ट लिस्टेड आफर गुंजाइश और तकनीकी पैरामीटरों के संबंध में सामान्य पैरामीटर के पूरी तरह अनुरूप नहीं थे, इसलिए तदर्थ समिति ने प्रस्तावों का ठीक तरह मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण/जानकारी प्राप्त करने हेतु शार्ट लिस्टेड निविदाकारों से विचार-विमर्श करना आवश्यक समझा।

विचार-विमर्श का पहला दौर 15 अप्रैल और 4 मई, 1977 के बीच चला और निविदाकारों से 5 मई, 1977 तक अपने स्पष्टीकरण/जानकारी देने का अनुरोध किया गया था। चूंकि तदर्थ समिति ने इसे संशोधित टेंडर नहीं माना, इसलिए जो उत्तर प्राप्त हुए थे वे केवल तदर्थ समिति के सदस्यों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा खोले गए थे और किसी भी शार्ट लिस्टेड निविदाकार का कोई भी प्रतिनिधि 5 मई, 1977 को उत्तरों को खोलते समय उपस्थित नहीं था।

विस्तृत जांच के बाद, तदर्थ समिति ने आगे बातचीत के लिए तीन निविदाकारों को और शार्ट-लिस्टेड किया, जिनमें से एक बी०बी०सी० का था। बातचीत 18 और 21 मई, 1977 के बीच हुई

और 23 मई को प्राप्त अंतिम उत्तर भी तदर्थ समिति के प्रतिनिधियों द्वारा खोले गए थे। इन फर्मों से प्राप्त अंतिम उत्तरों के आधार पर तदर्थ समिति 13 जून, 1977 को महाराष्ट्र की परियोजना के लिए एक प्रस्ताव के पक्ष में अपनी अंतिम सिफारिश प्रस्तुत की क्योंकि तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य निम्नतम प्रस्ताव था। चूंकि कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि समिति के अन्य सदस्यों के विचारों से सहमत नहीं हुए इसलिए इस परियोजना के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

बाद में, तीन शार्ट-लिस्टेड निविदाकारों में से दो से बढ़े हुए देशीकरण के तर्क के आधार पर समिति ने मूल्य में कमी का प्रस्ताव प्राप्त किया, यद्यपि यह सामान्य निविदा प्रथाओं के विरुद्ध था। इससे तीनों शार्ट-लिस्टेड निविदाकारों को भी अपने सर्वोत्तम मूल्यों के बारे में प्रस्ताव देने के लिए अवसर देना आवश्यक हो गया था। सभी शार्ट-लिस्टेड निविदाकारों से 11 जुलाई, 1977 तक संशोधित अंतिम प्रस्ताव मांगे गए थे। यह इस शर्त पर थे कि उस अवस्था में प्रस्ताव की तकनीकी रूपरेखा में किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि इस बारे में निविदाकारों को पहले ही काफी अवसर दिया जा चुका था। इन्हें भी एम०एस०ई०वी०, सी०ई०ए० और बी०एच०ई०एल० के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला गया था। शार्ट-लिस्टेड निविदाकारों से प्राप्त उत्तरों पर विचार करने के बाद तदर्थ समिति ने अपनी पहली सिफारिश को कायम रखते हुए 21 जुलाई, 1977 को सरकार को अपनी सिफारिश भेजी।

अंत में यह कहा जा सकता है कि मार्च, 1977 में निविदा खोलना तदर्थ समिति द्वारा एकमात्र सरकारी निविदा खोलना माना गया था और इस अवसर पर सभी निविदाकारों के प्रतिनिधि तथा तदर्थ समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पुष्टि मूल्य-समंजन के लिए बाद के अवसर सरकारी रूप से "निविदा खोलने" के अवसर नहीं थे और संशोधित प्रस्ताव केवल तदर्थ समिति के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले गए थे और इनमें से किसी भी अवसर पर किसी भी निविदाकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। यह उल्लेख करना भी संगत है कि विभिन्न अवस्थाओं पर जो कार्यवाई की गई थी वह तदर्थ समिति द्वारा न कि केवल बी०एच ई०एल० द्वारा की गई थी।

कलकत्ता में नौवहन कंपनियों द्वारा समझौते का उल्लंघन

2925. **श्री समर मुखर्जी**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता में नौवहन कंपनियों के नियोक्ता 6-4-1974 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में हुए समझौते को लागू करने के इच्छुक नहीं हैं और वे कलकत्ता गोदी के चौकीदारों को बड़े पैमाने पर आरोप पत्र देकर उन्हें मुअत्तिल करके और उनकी छंटनी के आदेश देकर करार मनमाने ढंग से उल्लंघन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम): (क) केन्द्रीय सरकार को एक तार प्राप्त हुआ जिसमें अन्य बातों के साथ यह आरोप लगाया गया कि कलकत्ता में नौवहन हित तारीख 6-4-74 के करार की जानबूझकर अवहेलना कर रहे हैं और बहुत से चौकीदारों को झूठे कारणों पर आरोप पत्र दिए गए और निलंबित किया गया। तार में किसी विशेष दृष्टांत का उल्लेख नहीं किया गया। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कलकत्ता ने बताया है कि कलकत्ता पत्तन में चौकीदारों की प्रचलित संघों में कहीं से भी उन्हें बड़े पैमाने पर छंटनी करने अथवा आरोप पत्र दिए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि किसी विशेष दृष्टांत की सूचना नहीं दी गई है। 25-2-78 को मंत्रालय में हुई एक बैठक में चौकीदारों के संघों ने भी बताया कि वे इस समय उस करार का कार्यान्वयन नहीं चाहते जो उनके और चौकीदारों के ठेकेदारों के बीच 6-4-1974 को हुआ।

दिल्ली में कोयले की कमी

2926. **श्री के० मालन्ना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1978 के पहले और दूसरे सप्ताह से दिल्ली में कोयले की भारी कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले के लक्ष्य में की गई कमी के कारण कोयले की कमी

2927. **श्री सरत कार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय कोयले की कमी है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में कोयले के लक्ष्यों में अस्थायी मंदी के आधार पर कमी कर दी है;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड उत्पादन में 7 से 8 प्रतिशत तक की वृद्धि करने को तैयार है परन्तु इस कमी के कारण उसने उत्पादन को सीमित कर रखा है जिसके कारण वित्तीय वर्ष के अन्त में कोयले की कमी आ गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में कोयले के लक्ष्य उत्पादन में कोई कटौती नहीं की है। इसके विपरीत कोयला कंपनियों से कहा गया है कि वे कोयले का उत्पादन बढ़ाएं। देश में कोयले की उपलब्धि भी संतोषजनक है।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चस्तरीय समिति द्वारा बैंक-ऋण के बारे में की गई सिफारिशें

2928. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चस्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि बैंक ऋण के बारे में बैंक नया दृष्टिकोण अपनायें;

(ख) यदि हां, तो उसने अन्य क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) वे कहां तक स्वीकार की गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) जी हां।

(ख) मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:—

(i) सभी बैंकों द्वारा 25,000 रु० की अग्रिम राशियों और 25,000 रु० से 2,00,000 रु० के बीच की अग्रिम राशियों के लिए सरल किये गय आवेदन-पत्र और जांच प्रपत्र अपनाना;

(ii) छोटे एककों, जीव्य योजनाओं और तकनीकी अर्हता प्राप्त उद्यमियों की न्यूनतम सीमांत आवश्यकताएं लचीली होनी चाहिए तथा मार्जिनों के मामले में इन पर जोर नहीं डाला जाना चाहिए, उद्यमियों को इक्विटी अंशदान आवश्यकतानुसार किस्तों में जमा करने, उदार ऋण सहायता निधि अथवा एक राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

(iii) बैंकों को परियोजना की जीव्यता पर निर्भर करना चाहिए, छोटे ऋणों के मामलों में तृतीय पक्ष की गारन्टी लेने की आम प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए ; अनुषंगी प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की गई ऋण मुक्त औद्योगिक आस्तियां उचित आवश्यकता होने पर पहले प्रभार से मुक्त की जानी चाहिए; बैंकों को उसके बराबर बंधक स्वीकार करना चाहिए ।

(iv) अदायगी कार्यक्रम में फालतू जनित्रण क्षमता को भी ध्यान से रखा जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए भुगतान शुरू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। एकक द्वारा फालतू उत्पादन प्रारंभ कर देने के बाद ब्याज आसान किस्तों में वसूल किया जाना चाहिए; भुगतान कार्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए और बिजली की कटौती, मंदी अथवा प्राकृतिक प्रकोपों के मामलों में उनकी पुनः सूची तैयार की जानी चाहिए।

(v) ब्रांच मैनेजरों द्वारा निर्णय लेने की शक्तियों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि 60% से 80% तक के ऋण संबंधी निर्णय शाखा स्तर पर ही लेने का सुनिश्चय किया जा सके। छोटे ऋण लेने वालों के आवेदन पत्रों को 4 सप्ताह के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए।

(vi) ब्याज दर की एक स्लैब प्रणाली अपनायी जानी चाहिए; पुनः स्थापित किये जा रहे रुग्ण एककों के मामलों में वजदर में विशेष रियायत दी जानी चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों के लिए रियायती ब्याजदर लागू की जानी चाहिए ; बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दी गई अग्रिम राशियों पर सेवा प्रभार नहीं लिया जाना चाहिए; बैंकों को सामान्यतय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्त प्राप्त करना चाहिए और ऐसा न करने का निर्णय लिये जाने की स्थिति में अपनी रियायती ब्याजदर ऐसे ऋणों पर लागू करनी चाहिए ।

(vii) बिल रिडिस्काउन्टिग योजना के अन्तर्गत लघु औद्योगिक एककों के बिलों को कोई विशेष सीमा निर्धारित किए बिना स्वीकार किया जाना चाहिए।

(viii) परियोजना मूल्यांकन रुग्ण एककों के पुनः स्थापना; बकाया राशि की वसूली करने और विपणन सहायता के लिए बैंकों का लघु उद्योग सेवा संस्थानों का और अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, सरकार द्वारा लघु उद्योग सेवा संस्थानों की कुशलता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। उद्यमियों को चाहिये कि वे बैंकों को आंकड़े प्रस्तुत करें और योजनाओं पर बैंकों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए।

(ix) रिपोर्ट के क्रियान्वयन की देखरेख करने के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में लघु उद्योगों, रिजर्व बैंक और बैंकरों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की जानी चाहिए।

(ग) ये सिफारिशों वित्त मंत्रालय के विचारार्थ भेज दी गई हैं।

Use of Viscose Staple Fibre in production of Cloth

2929. Shrimati Chandravati : Will the Minister of Industry be pleased to state:

(a) the total number of bales of cotton produced in the country as against the requirement thereof;

(b) whether the Cotton Commissioner has issued a circular letter to the mills directing them to use 12 per cent viscose staple fibre in cotton fibre;

(c) the utility thereof and the amount of foreign exchange incurred in its import; and

(d) whether the import is made through Government agencies or through private firms and whether viscose staple fibre is imported because of shortage of cotton or for making the fibre durable?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a)As against the estimated requirement of about 71 lakhs bales of cotton, the production of cotton during the current cotton season i.e. 1977-78 is estimated at about 66 lakhs bales.

(b) to (d) According to Clause 20D of Cotton Textiles Control Order which had come into effect from Ist January, 1977, cotton textile mills are required to use man-made cellulosic and non-cellulosic staple fibre which shall in no case be less than 10 per cent of their total fibre consumption in a quarter. Import of viscose staple fibre is being allowed because of the shortage of cotton in the country. Imports of viscose staple fibre till February, 1978 aggregated to 1,10,886 tonnes valued at Rs. 133.06 crores. The import is allowed on a free licensing basis to actual users engaged in textile industry and holding industrial licence/registration certificate under Industries (Development & Regulation) Act, 1951 as also to units registered with Textile Commissioner—vide item 3 of Appendix 2 of Import Trade Control Policy Book Vol. I.

'कम्प्यूटर पैरीफेरल' का आयात

2930. **श्री रागावलू मोहनरंगम** : क्या **इलेक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'कम्प्यूटर पैरीफीरल' के आयात के संबंध में क्या नीति है;

(ख) उन बड़े व्यापार गृहों के नाम क्या हैं जिन्हें इनका आयात करने की अनुमति दी गई है तथा कितने और कितने मूल्य के उपकरण के आयात की अनुमति दी गई है; और

(ग) इस नीति के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं और लघु उद्योगों पर कितना प्रभाव पड़ा है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आम तौर पर कम्प्यूटरों के उपांत उपस्करों (पेरीफेरल्स) के आयात की अनुमति इन संगठनों को दी जाती है:—

(i) सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी कंपनियां जिनको उनके योजनाबद्ध निर्माण कार्यक्रम के आधार पर कम्प्यूटर प्रणालियां बनाने के लिए लाइसेंस/अनुमोदन दिया गया।

(ii) अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं को देश में मिनी-कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रो-प्रोसेसर) संबंधी प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए; तथा प्रणाली इंजीनियरी कार्यकलाप में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए; तथा

(iii) वास्तविक प्रयोगकर्ताओं (गैर-औद्योगिक) को उनकी अभिकलन (कम्प्यूटिंग) संबंधी आंतरिक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए जिनकी अनुमति उनकी अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर दी जाती है।

(ख) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) भाग (क) में उल्लिखित नीति से सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं अथवा लघु उद्योगों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, तथापि लघु उद्योगों पर किसी प्रकार के आयात के

कारण यदि किसी सीमा तक विपरीत प्रभाव पड़ा है तो जैसा कि भाग (ख) में बताया गया है, उसके सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसकी जांच करने के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी ।

चेकोस्लावाकिया द्वारा भारत से कोक भट्ठी उपकरण की खरीद

2931. **श्री अघन सिंह ठाकुर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया ने भारत से कोक भट्ठी उपकरण खरीदने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई करार अंतिम रूप से सम्पन्न हो गया है; और

(ग) क्या अन्य देशों ने भी भारत से ऐसा उपकरण खरीदा है और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयति) : (क) और (ख) चेकोस्लावाकिया के धातुकार्मिकी तथा भारी इंजीनियरी मंत्री के साथ हाल ही में दिल्ली में हुए विचार विमर्श में इस बात पर सहमति हो गई है कि रोलिंग मिल तथा कोक ओवन उपकरण का हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची (एच०ई०सी०) से चेकोस्लावाकिया आयात करेगा तथा ज्यादा क्षमता के सीमेंट संयंत्रों के निर्माण में एच० ई० सी० को सहायता उपलब्ध करायेगा । करार की विस्तृत शर्तों पर बातचीत चल रही है।

(ग) कोक ओवन तथा सह-उत्पाद संयंत्र के लिए उपकरण और सामग्री भारत से युगोस्लाविया की एक परियोजना के लिए भेजी गई है। तीसरे देशों जैसे बल्गारिया, मिश्र, तथा तुर्की को कोक ओवन वस्तुएं सप्लाई करने के लिए सोवियत रूस की एक संस्था के साथ करार हुआ है। बल्गारिया को की जाने वाली सप्लाई पूरी हो चुकी है।

कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में कमी

2932. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में अब कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा रूई के उत्पादन में कमी के कारण हुआ है जिससे कपड़े के अधिक मूल्य बनाये रखे जा सकें; और

(ग) सरकार का इस समस्या को किस प्रकार हल करने का विचार है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयति) : (क), (ख) और (ग) यह सच है कि कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में कमी हो रही है। यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से मंदी की स्थिति के कारण वस्त्रों की स्थिर मांग से उत्पन्न हुई है। टिकाऊ गैर-सूती रेशों का अधिक इस्तेमाल किये जाने के कारण भी प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट हुई। रूई के उत्पादन में जान-बूझ कर कोई गिरावट नहीं आई है, फिर भी रूई की फसल कृषि संबंधी परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण घटती बढ़ती रही हैं। उपभोक्ता की सुधरी हुई क्रय शक्ति से प्रति व्यक्ति खपत को कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है। छठी योजना के लिए अपने कार्यक्रमों के एक अंश के रूप में वस्त्रों की सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किये जाएंगे।

संविधान के बारे में जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री की ओर से सुझाव

2933. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री ने संविधान का पुनर्विलोकन करने के बारे में अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) सरकार ने इस बारे में कुछ प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) तारीख 22-2-1978 को लोक सभा तारांकित प्रश्न नं० 26 के दिये गये गये उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

भारत द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई प्रगति

2934. **श्री बी०पी० मंडल** : क्या अंतरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है; और

(ख) क्या हमारे देश के लिए एक उपग्रह लगाना संभव है जिससे दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकें जैसा कि अमरीकी उपग्रह द्वारा किया जा रहा था ?

प्रधान मंत्री (श्री आर० मोरारजी देसाई) : (क) इस विभाग ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनेक क्षेत्रों में काफी प्रगति की है, जिसका विवरण अंतरिक्ष विभाग के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वर्ष 1977-78 के कार्य-निष्पादन बजट में दिया गया है। वार्षिक प्रतिवेदन और कार्य-निष्पादन बजट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। तथापि, निम्नलिखित तथ्यों से अब तक की गई प्रगति के बारे में पता चलता है।

राकेट छोड़ने की क्षमता के संबंध में, निर्देशन एवं नियंत्रण तंत्र से युक्त 560 मिलीमीटर व्यास वाला एक आरएच-560 राकेट अक्तूबर, 1977 में छोड़ा गया था। उपग्रह प्रक्षेपण राकेट (एस०एल०बी०-3) की, जो कि चार खंडों वाला एक ऐसा राकेट है, जो 40 किलोग्राम भार के किसी उपग्रह को भूमि के इर्द-गिर्द वृत्तीय कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रक्षिप्त कर सकता है, परीक्षणात्मक उड़ान इस वर्ष के अन्त तक करने की योजना है और उपग्रह की कक्षीय उड़ान सन् 1979 के उत्तरार्ध में करने की संभावना है। उपग्रहों को छोड़ने की क्षमता के संबंध में, 360 किलोग्राम भार वाले "आर्यभट्ट" नामक एक उपग्रह का अभिकल्पन और निर्माण भारत में ही किया गया था और उसे अप्रैल, 1975 में रूस के एक कासमोड्रोम से छोड़ा गया था। एक दूसरा उपग्रह, जिसे भू-प्रक्षेपण उपग्रह के नाम से जाना जाता है और जिसका भार 400 किलोग्राम से थोड़ा सा अधिक है, निर्माणाधीन है और आशा है कि इस उपग्रह को इस वर्ष के अन्त तक रूस के कासमोड्रोम से छोड़ा जायेगा। लगभग 616 किलोग्राम का एक तीन अक्षों वाला अत्यन्त मजबूत भू-स्थायी संचार अंतरिक्ष यान का विकास एवं निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। यह अंतरिक्ष यान यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण द्वारा बनाये जा रहे एरियेन प्रक्षेपण राकेट की सहायता से एक सह-यात्री के रूप में सन् 1980 में छोड़ा जायेगा।

(ख) सन् 1981 की पहली तिमाही के अन्त तक एक भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली स्थापित करने के लिए सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-1 महत्वपूर्ण दूर-संचार एवं

मौसम-विज्ञान सम्बन्धी सेवायें प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, इस उपग्रह से ग्रामीण क्षेत्रों में लगे संबंधित टेलीविजनों, जो देशव्यापी हैं परन्तु सीमित हैं, को सीधे दूरदर्शन का प्रसारण करने में भी सहायता मिलेगी, जैसाकि उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन परीक्षण परियोजना के अन्तर्गत अमरीका के ए०टी०एस०-6 नामक उपग्रह की सहायता से वर्ष 1975-76 में छोटे स्तर पर परीक्षणात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया था।

Proposals by Madhya Pradesh Government regarding conversion of Roads into National Highways

2936. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the number of state highways proposals which have been sent by Madhya Pradesh Government to Centre for conversion of roads into national highways;

(b) whether Mhow-Neemuch-Ajmer highway is also included in these proposals; and

(c) if so, the time by which these proposals are likely to be implemented and the future programme of implementation?

The Minister of State Incharge of the Shipping and Transport (Shri Chand Ram) :

(a) Fourteen.

(b) Yes, Sir.

(c) Due to financial constraints and other priorities, Government of India are unable to make any new additions to the existing National Highway System presently. All such proposals would, therefore, have to wait till funds become available for expansion of the existing National Highway System.

आपातकाल के दौरान जेल गये सभी लोगों को पेंशन

2937. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल के दौरान सरकार के विरुद्ध लोक संघर्ष के रूप में जेल गये सभी व्यक्तियों को मासिक पेंशन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मंडल : (क) और (ख) सरकार ने मीसा के उन बंदियों जिनकी मृत्यु हिरासत में अथवा छूटने के तीन महीनों के भीतर हो गई थी, के आश्रितों को, परिवार पेंशन की योजना पहले ही लागू कर दी है। इसी प्रकार की एक योजना उन व्यक्तियों के लिए जो आपातस्थिति के दौरान भारत रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा नियम के अधीन गिरफ्तार किए गए थे विचाराधीन हैं। सरकार ने उन व्यक्तियों को, जिन्हें आपातस्थिति के सन्दर्भ में, मीसा के अन्तर्गत नजर-बन्दी अथवा भारत रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अन्तर्गत कारावास के परिणामस्वरूप घोर वित्तीय कठिनाई हुई है, विद्यमान योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने में प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी है। सरकार उन सभी व्यक्तियों को जो आपातस्थिति के दौरान जेल गए थे मासिक पेंशन देना उपयुक्त नहीं समझती।

प्रधान मंत्री के साथ सम्बद्ध कर्मचारी

2938. **श्री समर गुहा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कर्मचारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जिन्होंने भूतपूर्व प्रधान मंत्री के साथ कार्य किया था तथा जो वर्तमान प्रधान मंत्री के साथ भी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) भूतपूर्व प्रधान मंत्री के उन कर्मचारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जिनका किसी अन्य मंत्रालय में अथवा ऐसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा किसी अन्य कार्यालय में तबादला कर दिया गया है;

(ग) क्या उनमें से किसी को समय से पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है अथवा किसी ने सेवा-निवृत्ति से पूर्व स्वयं अवकाश मांगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और क्या उनमें किसी का आपातस्थिति में की गई ज्यादतियों में हाथ था तथा क्या आपात स्थिति के दौरान उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए कोई जांच-पड़ताल की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उन कर्मचारियों का विवरण, विवरण I में दिया गया है जो वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे हैं तथा प्रधान मंत्री जी के निजी स्टाफ में हैं।

(ख) मार्च, 1977 में सरकार बदलने के बाद जिन कर्मचारियों का तबादला किया गया उनका विवरण विवरण II में दिया गया है ।

(ग) और (घ) एक अधिकारी का कन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया गया था । एक अन्य अधिकारी ने जो कि प्रतिनियुक्ति पर थे, इस्तीफा दे दिया था और इसे उनके मूल मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया था । आपात्काल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच शाह आयोग तथा अन्य आयोग कर रहे हैं और कुछ मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी जांच कर रहा है। जांच का काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

विवरण I

उन कर्मचारियों की संख्या और पदनाम जिन्होंने भूतपूर्व प्रधान मंत्री के साथ कार्य किया था तथा जो वर्तमान प्रधान मंत्री के साथ भी काम कर रहे हैं।

वरिष्ठ कर्मचारी

(निजी स्टाफ के अलावा)

अधिकारी का पदनाम	**संख्या**
सूचना सलाहकार	एक
प्रधान मंत्री जी के संयुक्त सचिव	एक

निजी स्टाफ में कार्य कर रहे अधिकारी

पदनाम	**संख्या**
प्रधान मंत्री जी के निजी सचिव (उपसचिव के वेतनमान में)	1
प्रधान मंत्री जी के निजी सचिव (अवर सचिव के वेतनमान में)	3
प्रधान मंत्री जी के अतिरिक्त निजी सचिव	2
पिटीशन अधिकारी	1
हिन्दी अधिकारी	1
प्रधान मंत्री जी के व्यक्तिगत सहायक	3
प्रधान मंत्री जी के सहायक निजी सचिव (10-1-78 से प्रधान मंत्री जी के व्यक्तिगत सहायक के पद पर पदोन्नत हुए हैं)	1

विवरण II

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के उन कर्मचारियों की संख्या तथा पदनाम जिनका अन्य मंत्रालयों अथवा राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र अथवा किसी अन्य कार्यालय में तबादला कर दिया गया है।

वरिष्ठ कर्मचारी

(निजी स्टाफ के अलावा)

अधिकारी का पदनाम	संख्या
प्रधान मंत्री के सचिव	1
विशेष सचिव	1
प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव	1
निदेशक	1
उप सचिव	1

निजी स्टाफ में काम कर रहे अधिकारी

अधिकारी का पदनाम	संख्या	टिप्पणी
प्रधान मंत्री के निजी सचिव	एक	
प्रधान मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	एक	वे प्रतिनियुक्ति पर थे। उन्होंने इस्तीफा दिया तथा उनका इस्तीफा उनके मूल मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।
प्रधान मंत्री जी के व्यक्तिगत सहायक	एक	
प्रधान मंत्री जी के सहायक निजी सचिव	एक	
हिन्दी स्टोनोग्राफर	एक	

Loans to Newspapers

2939. **Shri Natvarlal B. Parmar :**
Shri Jagdish Prasad Mathur :
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the Indian and Eastern Newspapers Society has made a demand for loans to newspapers;

(b) whether a demand to declare newspapers establishments as "Industry" has also been made; and

(c) the reaction of Government thereto and the decisions taken in this regard?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) and (b) **Yes, Sir.**

(c) The matter is under examination in consultation with the other concerned Departments.

नौवहन व्यापार का पुनरीक्षण

2940. **श्री महेन्द्र सिंह साईवाला:**

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में देश में नौवहन व्यापार का उच्च स्तरीय पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षण के दौरान किस प्रकार की कमियों का पता लगा है; और

(ग) पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए नौवहन उद्योग में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख) और (ग) : जी हां। भाड़ा मार्केट में मंदी और नौवहन उद्योग को वित्तीय सहायता की आवश्यकता जैसी बातों की बैठक में विचार विमर्श के लिये रखा गया। सरकार ने अनुरक्षण ऋण, जहाज प्राप्त करने के लिए रियायती दरों पर ऋण दे कर और पहले से स्वीकृत ऋणों पर देय भुगतान में जहां आवश्यक हो समायोजन कर के नौवहन उद्योग की सहायता करने के लिए पहले ही कदम उठाये हैं।

त्रिपुरा में परिवहन सुविधायें

2941. **श्री दीनेन भट्टाचार्य:**
श्री रोबिन सेन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा में परिवहन सुविधायें अपर्याप्त होने के कारण वहां औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वहां परिवहन व्यवस्था के विकास के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी मंत्री (श्री चांद राम) : (क) नौवहन और परिवहन मंत्रालय में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) त्रिपुरा के भारत के संघ राज्य में विलय के समय वहां केवल 80 कि०मी० की सड़कें थीं। मार्च, 1978 के अन्त तक इसमें वृद्धि करके 4275 कि०मी० तक किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अगली योजना अवधि (1978-83) में ग्रामीण सड़कों के सुधार और कच्ची सड़कों को बारहमासी सड़कों के रूप में बदलने पर जोर दिए जाने का विचार है। इसके अतिरिक्त दो सड़क योजनाओं (अर्थात् ऐजवाल-बैंगनम-कुमारघाट और तिथार्य-दमचेरा-तिपायवाड़ी जो त्रिपुरा और मिजोरम में हैं) को एन०ई०सी० योजना के भाग के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

त्रिपुरा राज्य सड़क परिवहन निगम के पास चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक 90 बसें और 69 ट्रक हो जाने की संभावना है। अगली योजना (1978-83) में इस निगम के बेड़े में वृद्धि करने और इसके कार्यकरण में सुधार करने का प्रस्ताव है।

इस समय त्रिपुरा में एक रेलवे लाईन है जो धर्मनगर सब-डिवीजन को असम से जोड़ती है। इस रेलवे लाईन का कुमारघाट तक विस्तार करने के प्रस्ताव के सामाजिक लागत लाभों का अध्ययन करने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया हैं। इस अध्ययन के पूरा हो जाने के बाद सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।

नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत नियम बनाया जाना

2942. **श्री प्रसन्नभाई मेहता:**

श्री ईश्वर चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह अधिकार देते हुये "नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955" के अन्तर्गत नियम बनाये हैं कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की घटनाओं की जांच करने हेतु सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट से नीचे के पद के अधिकारी को नियुक्त न करें;

(ख) यदि हां, तो उक्त नियमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन नियमों को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है और यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों ने इन नियमों पर सहमति प्रकट की है; और

(घ) क्या नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन के लिए सामूहिक जुर्माने का सुझाव दिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क), (ख), (ग) और (घ) नागरिक अधिकार संरक्षण सुरक्षा नियम, 1977 बना दिए गए हैं और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 16ख के उपबंधों के अन्तर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिए गए हैं। ये नियम सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिए गए हैं और 16 नवम्बर, 1977 को लोकसभा के पटल पर भी रख दिए गए हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977 के नियम 3 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए उक्त नियम की धारा 10 क की उपधारा (1) में उल्लिखित सामूहिक जुर्माना करने की जांच करने के प्रयोजन से कम से कम एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क पद के अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है ।

जेल में राजनीतिक बंदी तथा नक्सलवादी

2943. **श्री दिलीप चक्रवर्ती:**

श्री उग्रसेन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में कितने राजनीतिक बंदी अब भी जेलों में हैं;

(ख) ऐसे राजनीतिक बंदियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से कितने नक्सलवादी हैं;

(घ) नक्सलवादी कैदियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ङ) उन्हें छोड़ने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) तथा (ख) "राजनीतिक बंदी" शब्द कानून के अधीन परिभाषित नहीं है और इसलिए इस संबंध में निश्चित सूचना एकत्र करना संभव नहीं है। परन्तु सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किये हैं कि उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें या तो निवारक नजरबंदी में रखा गया था या राजनैतिक विश्वासों अथवा राजनैतिक गतिविधियों से

प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण जिन पर मुकदमा चलाया गया था/दोषी ठहराया गया था रिहा कर दिया जाय ।

(ग) तथा (घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) राज्य सरकारों को बंदियों की निम्नलिखित श्रेणियों की रिहाई पर विचार करने की सलाह दी गई है बशर्ते कि वे हिंसा त्यागने की अपनी इच्छा की पुष्टि करें और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें:—

1. जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप लगाये गये थे अथवा जिन्हें दोषी ठहराया गया था यदि वे पांच वर्ष या इससे अधिक समय के लिए बन्दी, दोषी अथवा विचारणाधीन व्यक्ति के रूप में निरन्तर हिरासत में रहे हैं;

2. उनके द्वारा जेल में काटी गई अवधि का ध्यान किये बिना जिन पर गंभीर अपराधों के लिए आरोप नहीं लगाये गये थे अथवा जिन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था।

तद्नुसार राज्य सरकारें जेल में नक्सलवादियों के मामलों की समीक्षा कर रही हैं और उनमें से बड़ी संख्या में अब रिहा कर दिये गये हैं।

विवरण

1-1-1978 को विभिन्न राज्यों में नक्सलवादी बन्दियों की संख्या का विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	नक्सलवादी बंदियों की संख्या	टिप्पणी
1.	आंध्र प्रदेश	174	
2.	बिहार	282	
3.	केरल	80	
4.	पंजाब	2	
5.	तमिलनाडु	33	
6.	उत्तर प्रदेश	17	
7.	पश्चिम बंगाल	250*	*15-12-1977 को
8.	राजस्थान	6†	†दिसम्बर, 1977 में
	जोड़	844	

टिप्पणी :—सारे देश में निवारक नजरबन्दी के अधीन कोई नक्सलबादी नहीं है।

गाजियाबाद और बुलन्दशाहर क्षेत्रों को दिल्ली में मिलाने की मांग

2944. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन आशय के समाचारों की ओर गया है कि कुछ संसद् सदस्यों ने गाजियाबाद और बुलन्दशहर जिले के कुछ क्षेत्रों को दिल्ली संघ क्षेत्र के साथ मिलाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक कर लेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लायी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सुरक्षा बल के कृत्यों के बारे में त्रिपुरा के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

2945. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिपुरा सरकार के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सीमा सुरक्षा बल के स्वतन्त्र कार्यक्रम से कुछ समस्याएं पैदा होती हैं जैसे बंगलादेश से शरणार्थियों का अधिक संख्या में आना और पशुओं को त्रिपुरा से उठाकर बंगला देश को ले जाया जाना;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आरोप की जांच की है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) सरकार को त्रिपुरा के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये कथित वक्तव्य की जानकारी है कि त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल राज्य सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य कर रही है तथा पशु चुरा कर ले जाने तथा अवैध आप्रवास जैसे सीमा के अपराधों से निपटने के लिए इन दोनों के बीच और समन्वय की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) स्थाई अनुदेशों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सैनिकों को तैनात करने से संबंधित मामलों का समन्वय करने के लिये सीमा सुरक्षा बल तथा राज्य प्राधिकारियों के बीच नियमित रूप से समन्वय बैठकें की जाती हैं। फिर भी सीमा सुरक्षा प्राधिकारियों को सीमा के अपराधों की रोकथाम के लिए अधिक कारगर प्रबंध करने के विचार से राज्य प्राधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा की विशिष्ट समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिये पुनः कहा गया है।

छोटे रक्षा हथियारों के बारे में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों द्वारा पूछताछ

2946. **डा० बापू कालदाते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में छोटे रक्षा हथियारों के बारे में पूछताछ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन देशों से क्रयादेश स्वीकार किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) भारत से छोटे हथियार खरीदने के बारे में कुछ देशों ने पूछताछ की है। इन पूछताछों के बारे में स्वीकृति तथा पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में सूचना देना लोक हित में नहीं होगा फिर भी यह कहा जा सकता है कि हथियारों और गोला-बारूद का निर्यात तभी किया जा सकता है जब इस बारे में सभी तथ्यों पर विचार कर लिया जाता है और रक्षा सेनाओं तथा पैरामिलिटरी दलों की आवश्यकताओं की जांच कर ली जाती है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी रक्षा उत्पादन यूनिटों के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता रह जाती है।

Closure of Small Scale Industries in Delhi

2947. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether the small scale industries in Delhi have been closed down from 1st January, 1978 as a result of Government's quality control order;

(b) whether lakhs of workers have been rendered jobless as a result thereof; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to remove the difficulties faced by small scale industries?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

(c) Question does not arise.

राज्यों के योजना परिव्यय में कटौती

2948. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को और अधिक संसाधन जुटाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोग ने राज्यों के योजना परिव्ययों में बड़ी राशि की कटौतियां की हैं और राज्यों की वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अन्य किन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है जिनसे धन के मामले में राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता कम हो जाये।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नियंत्रित अस्त्र

2949. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने शस्त्रास्त्रों, विशेष रूप से नियंत्रित (गाइडेड) अस्त्रों को अद्यतन बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) क्या बढ़िया नियंत्रित अस्त्र प्राप्त करने या ऐसे अपने ही यंत्र विकसित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) रक्षा उत्पादन क्षेत्र इस समय कुछ नियन्त्रित प्रक्षेपास्त्र बनाने के अतिरिक्त, सेनाओं की भावी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने आपको तैयार कर रहा है। इस बारे में ब्यौरे बताना लोक हित में नहीं होगा।

Number of Photo Officers in Photo Division

2950. **Shri Madan Tiwari** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of Photo Officers in the Photo Division of the Ministry;

(b) whether it is a fact that there are too many Photo Officers n Photo Division and the out turn of the assignments in the Division is too short;

(c) whether Government propose to reduce the strength of Photo Officers in Photo Division; and

(d) if so, by what time, and if not, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) There are 16 Photographic Officers in the Photo Division; 13 of these are posted at Delhi and the remaining officers at regional offices, one each at Bombay, Madras and Calcutta.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में कोयले के निक्षेप

2951. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में मेजिया थाना में कुल कितने कोयले के निक्षेप हैं ;

(ख) इस समय कितनी कोयला खानें चालू स्थिति में हैं;

(ग) क्या मेंजिया क्षेत्र की बंद पड़ी कोयला खानों को खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) इस क्षेत्र में लगभग 180 मिलियन टन कोयला होने का निर्धारण किया गया है।

(ख), (ग) व (घ) इस समय इस क्षेत्र में कोई कोयला खान चालू नहीं है। किन्तु, विस्तृत खोज कार्य किया जा रहा है और आशा है कि 1982-83 में कोयले का उत्पादन किया जा सकेगा।

मिजो विद्रोहियों के साथ शांति समझौता

2952. **श्री चित्त बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1976 को भारत सरकार और मिजो विद्रोहियों के बीच कोई शांति समझौता हुआ था।

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसे कहां तक लागू किया गया है,

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मंडल) : (क) भूमिगत मिजो के प्रतिनिधियों तथा भारत सरकार के बीच 1 जुलाई, 1976 को सहमति हुई थी।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है:—

1. मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वीकार किया कि मिजोरम भारत का अभिन्न अंग है तथा भारत के संविधान की सीमा में मिजोरम में सभी समस्याओं के किसी समाधान को स्वीकार करने के लिए अपने संकल्प की सूचना भारत सरकार को दी।

2. मिजोरम में जल्दी से जल्दी सहमति का वातावरण तथा सुख और शांति का वातावरण उत्पन्न करने के लिए प्रतिनिधि मंडल ने हिंसा को त्यागना तथा सभी गतिविधियों को स्थगित करना स्वीकार किया। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भूमिगत प्रतिनिधि मंडल सभी भूमिगत व्यक्तियों को उनके शस्त्रों तथा गोला बारूद के साथ पारस्परिक सम्मत शिविरों में उनकी स्थापना के बाद एक महीने के भीतर एकत्र करने को सहमत हो गया और भारत सरकार को शस्त्रों तथा गोलाबारूद को देने के लिए भी सहमत हो गया।

3. उसके बाद भारत सरकार ने सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाइयों को स्थगित करने का भी निर्णय किया। किंतु ऐसा स्थगन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करने का प्रयास करने वाले भूमिगत व्यक्तियों के विरुद्ध तथा विधि और व्यवस्था को बनाये रखने की कार्रवाइयों पर लागू नहीं होगा। आगे बातचीत जारी रखने की सहमति हो गई थी।

(ग) मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा उक्त सहमति का कार्यान्वयन के प्रयास जारी हैं। श्री लाल डेंगा ने अपने अंतिम पत्र में अपने अनुयायियों से बाहर आने तथा अपने कब्जे में शस्त्रों तथा गोलाबारूद को जमा करने का कार्य शुरू करने का आग्रह किया है।

श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा संघ लोक सेवा आयोग संबंधी विज्ञापनों का राष्ट्रीय क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन बन्द करना

2953. **श्री बसन्त साठे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय ने, मितव्ययता के नाम पर चालू वर्ष के दौरान संघ लोक सेवा आयोग के साप्ताहिक विज्ञापन देश के कुछ राष्ट्रीय क्षेत्रीय समाचारपत्रों को देने बन्द कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे समाचारपत्रों की संख्या तथा उन के नाम क्या हैं और उन्हें किस किस तारीख से संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन देना बन्द किए गए;

(ग) क्या यह सच है कि उसी अवधि में कुछ अन्य समाचारपत्रों को नये सिरे से विज्ञापन दिया गया था और उन पत्रों के नाम क्या हैं तथा उन का इस समय कितनी संख्या में प्रकाशन होता है; और

(घ) क्या सरकार श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों के माध्यम से सरकार समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर जानबूझ कर दवाब डाल रही है जैसा कि नागपुर से प्रकाशित एक लोकप्रिय मराठी दैनिक "लोकमत" को संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन देना बंद किए जाने से स्पष्ट है, और अधिकारियों द्वारा ऐसी बदले की कार्यवाही किये जाने का क्या औचित्य है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क), (ख) और (ग) उपलब्ध धनराशि के अन्दर अधिक से अधिक प्रचार करने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग की माध्यम सूची में 4-2-1978 से संशोधन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 44 समाचारपत्र जोड़े गए हैं और 48 हटाए गए हैं। जोड़े गए समाचार पत्रों में से 13 समाचार पत्र संघ लोक सेवा आयोग की माध्यम सूची में पहले ही शामिल थे, किंतु उनको आपातस्थिति के दौरान उसमें से निकाल दिया गया था। एक विवरण संलग्न है जिसमें माध्यम सूची में जोड़े गए और उससे निकाले गए समाचारपत्रों के नाम दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 1813/78]

(घ) जी, नहीं। 'लोकमत' के स्थान पर अपेक्षया अत्यधिक प्रसार संख्या वाले एक अन्य मराठी दैनिक पत्र को जगह देनी थी।

तोड़-फोड़ के जांचाधीन मामले

2954. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा जिन कथित तोड़-फोड़ के मामलों की जांच की जा रही है, उन का ब्यौरा क्या है;

(ख) तोड़-फोड़ के कारण जन-धन की कितनी हानि हुई है।

(ग) इन मामलों के संबंध में अब तक कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि ऐसे अधिकांश मामलों में अपराधियों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है; और

(ङ) तोड़-फोड़ के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल): (क), (ख) तथा (ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक की गई जांच पड़ताल से निम्नलिखित मामलों में तोड़-फोड़ के सन्देह की पुष्टि होती है:—

(1) 13-10-1977 को चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन में तेल गेज की क्षति, जिसके परिणाम-स्वरूप तेल की हानि हुई।

(2) 25-11-1977 को आकाशवाणी प्रसारण कक्ष के समाचार सेवा प्रभाग के कमरों में अग्नि-काण्ड जिसके परिणामस्वरूप फाइलें, टेप तथा फर्नीचर इत्यादि नष्ट हो गए।

(3) 19-11-1977 को मुरिजापुर और माना के बीच मालगाड़ी का पटरी से उतरना। इस मामले में 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(4) 23-11-1977 को अजरका तथा बावल के बीच 2-डाऊन अहमदाबाद-दिल्ली मेल का पटरी से उतरना, जिसके परिणामस्वरूप 19 यात्रियों की जाने गई तथा 20 यात्री घायल हुए।

(5) 7-11-1977 को हकीमपुर और कैलसा (मुरादाबाद डिवीजन) के बीच रेलवे पटरी को काटकर मोड़ना। इन मामलों में जांच-पड़ताल की वर्तमान स्थिति बताना लोकहित में नहीं होगा।

(ङ) राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक उपयोगी तथा अन्य सहज प्रभावी स्थलों की सुरक्षा के लिए उपाय कड़े करने की सलाह दी गई है। विशेषतः रेलवे पटरी पर गश्त बढ़ा दी गई है। राज्य सरकारों को संदेहयुक्त तोड़ फोड़ के सभी मामलों में प्रभावशाली तथा पूर्ण जांच-पड़ताल निश्चित करने तथा जहां आवश्यक हो, केन्द्रीय संगठनों से सहायता लेने के लिए भी सलाह दी गई है। उनको तोड़ फोड़ के मामलों में आसूचना एकत्रित करने तथा जांच-पड़ताल करने के लिए विशेष एकक बनाने का भी सुझाव दिया गया है।

गैर सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं के साथ परामर्श

2955. **श्री डी०डी० देसाई** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा मदों के गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं के साथ परामर्श किया था ;

(ख) क्या सरकार स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की विविध निर्माण क्षमताओं को संबद्ध करेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या रक्षा संबंधी बदलती हुई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इन निर्माताओं को तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध करायी जाएगी;

(घ) क्या इन निर्माताओं को कल पुर्जे तथा शस्त्रों और उपकरणों के स्वयं के अनसंधान और विकास करने की भी अनुमति दीं जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) 14 और 15 फरवरी 1978 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा विभागीय फैक्टरियों और संबंधित सरकारी संगठनों के अलावा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। यह सम्मेलन उन उपकरणों, हिस्से पुर्जों, अतिरिक्त उपकरणों और अन्य मदों का निर्माण करने के लिए सिविल क्षेत्र सरकारी तथा निजी दोनों—की बढ़ती हुई क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने के तरीकों पर विचार करने के लिए आयोजित किया गया था, जिनका सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में या तो निर्माण नहीं किया जाता है या जिनके उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की गति को तेज किया जा सके।

(ग) उपकरणों, हिस्से पुर्जों और अन्य मदों के उत्पादन के लिए जिन निर्माताओं को ठेके दिए जाते हैं उन्हें उन मदों के बारे में विस्तृत विशिष्टियों उपलब्ध करायी जाती हैं। जहां संभव होता है ड्राइन्ग्स दिए जाते हैं और अध्ययन करने के लिए नमूने भी उपलब्ध कराए जाते हैं। विकास की अवस्था में विभाग के तकनीकी अफसर निर्माताओं के साथ निकट का सम्पर्क रखते हैं और आवश्यकतानुसार उन्हें तकनीकी सलाह देते हैं एवं उनका मार्ग दर्शन करते हैं तथा प्रोटोटाइपों के परीक्षण में सहायता करते हैं ताकि अंतिम रूप से तैयार माल विशिष्टियों के अनुरूप हो।

(घ) और (ङ) हथियारों, गोलाबारूद और शस्त्रों अधिकारियों का निर्माण केवल रक्षा विभागीय तथा सरकारी क्षेत्र की फैक्टरियों में ही किया जाता है। इस क्षेत्र में निजी निर्माताओं को अपने अनुसंधान तथा विकास करने की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उपकरणों के बारे में भाग (ग) का उतर ही लागू होगा।

Assistance to News Agencies

2956. **Shri Ram Sagar** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether any criterion has been laid down to give grant or other assistance to the existing news agencies for starting news service in Indian languages other than English-Hindi; and

(b) if not, by what time such a criterion would be laid down; and if it has already been laid down the details thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) and (b) No criterion as such has been laid down, but the Government would be willing to consider financial help for the development of services in Indian languages.

फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित फिल्मों के स्तर में सुधार

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित फिल्मों के स्तर में सुधार करने का है; और

(ख) क्या इसको एक स्वायत्त यूनिट बनाने का कोई प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) कुल मिलाकर फिल्म प्रभाग फिल्म निर्माण का ऊंचा स्तर पहले ही रखता है। तथापि, सुधार की सदा गुंजाइश रहती है और इस दिशा में फिल्म प्रभाग के प्रयास जारी रहते हैं।

(ख) फिल्म प्रभाग को एक स्वायत्तशासी संगठन में बदलने की सम्भाव्यता का अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल नियुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Cases Under Investigation by C.B.I.

2958. **Shri Laxmi Narayan Nayak:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of cases of corruption under investigation by C.B.I. as on 31st January, 1978, in each State and Union Territory;

(b) the number of corruption cases, out of the pending since 1975 in respect of which CBI has completed its inquiry and submitted the report till 31st January, 1978; and

(c) the number of corruption cases entrusted to C.B.I. for investigation by the Madhya Pradesh Government from 1975 to 31st January, 1978, and the number of cases out of them in which investigations have been completed.

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S.D. Patil): (a) As on 31-1-1978, 693 cases of corruption, in the States and Union Territories, were under investigation by the C.B.I. A list giving the State and Union Territory-wise break-up of these cases, is annexed.

(b) By 31-1-1978, out of the cases of corruption which were pending investingation with the C.B.I. as on 1-1-1975, investigations were finalised and reports submitted in respect of 797 cases.

(c) No corruption case was entrusted to C.B.I. by the Government of Madhya Pradesh during the period.

STATEMENT

List giving the State and the Union Territory wise break-up of the cases under Investigation by the C.B.I. as on 31st January, 1978

STATES

S. No.	Name of the State	No. of Cases
1	2	3
1.	Andhra Pradesh	50
2.	Assam	11
3.	Bihar	30
4.	Gujarat	30
5.	Haryana	8
6.	Himachal Pradesh	4

1	2	3
7.	Jammu and Kashmir	15
8.	Kerala	33
9.	Karnataka	39
10.	Maharashtra	82
11.	Madhya Pradesh	13
12.	Meghalaya	8
13.	Nagaland	1
14.	Orissa	30
15.	Punjab	23
16.	Rajasthan	37
17.	Sikkim	1
18.	Tamil Nadu	50
19.	Tripura	1
20.	Uttar Pradesh	34
21.	West Bengal	84
	UNION TERRITORIES	
22.	Delhi	90
23.	Chandigarh	6
24.	Goa	5
25.	Mizoram	3
26.	Andaman & Nicobar	1
27.	Pondicherry	1
28.	Arunachal Pradesh	3
		693

Production Cost and Distribution of Tyres

2959. **Shri Dharma Sinhbhai Patel** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether Government have taken any concrete steps to reduce the production cost of various types of tyres and if so, when and the nature thereof;

(b) whether Government have formulated any scheme for the distribution of tyres by taking over its stock and if so, the nature thereof and when it would be implemented; and

(c) whether there is a plan for the production of tyres in the public sector and if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir. There is already an organisation called Central Coordinating Committee for Tyre Distribution, consisting of representatives of Government, Users including State Transport Undertakings and the manufacturers to oversee and supervise the distribution of automobile tyres and tubes to various users.

(c) There is no plan for production of automobile tyres and tubes in the Central public sector.

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मद्यनिषेध नीति का प्रसारण

2960. **डा० सुशीला नायर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन ने 1977 में प्रत्येक सप्ताह में मद्यनिषेध शिक्षा के लिए कितना समय दिया;

(ख) क्या इस कार्यक्रम को और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो किस प्रकार;

(ग) क्या यह सच है कि वृत्त चित्रों में शराब पीने के दृश्य प्रायः होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो छोटी आयु के बच्चों पर इनके हानिकारक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी): (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मद्यनिषेध को एक मुख्य अभियान विषय के रूप में अपनाया है। अतः आकाशवाणी और दूरदर्शन मद्यनिषेध का गहन प्रचार कर रहे हैं। विभिन्न रूपों में प्रचार की मात्रा का निर्णय लेते समय, सूक्ष्मता की आवश्यकता और दर्शकों की अनुक्रियाशीलता को ध्यान में रखा जाता है। मद्यनिषेध का यथा संभव अधिक से अधिक प्रचार करने की दिशा में प्रयत्न किए जाते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड मद्यपान के दृश्य दिखाने वाली फिल्मों से अंशों को काटने का आदेश देता है यदि वे उसको जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हो।

उचित मूल्य पर मुद्रण के कागज़ की अनुपलब्धता

2961. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय देश में पाठ्य पुस्तकों की भारी कमी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि प्रकाशकों ने इस स्थिति के लिये कागज़ मिल मालिकों द्वारा की गई साठगांठ को दोषी ठहराया है और साथ ही यह भी कहा है कि इन मिल मालिकों ने अपने पक्ष में ऐसा सुदृढ़ मत बना लिया है जिस से सरकार छपाई के कागज को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम न उठा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) पश्चिमी बंगाल तथा बिहार, जहां पर स्कूलों में शिक्षासत्र जनवरी, 1978 से आरम्भ हो चुका है, से पाठ्य पुस्तकों की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी केवल अप्रैल–जुलाई, 1978 में शिक्षा सत्र शुरू होने के पश्चात् ही मिल सकती है।

(ख) प्रकाशकों से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कागज़ उत्पादकों ने अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि कर दी है तथा पुस्तकों के उत्पादन हेतु उचित मूल्यों पर कागज़ मिलने में प्रकाशकों को कठिनाई हो रही है।

(ग) शिक्षा क्षेत्र के लिए रियायती कागज की सप्लाई की मात्रा में वृद्धि करने के लिए अभ्युपाय लिये जा रहे हैं। कागज (उत्पादन विनियमन) आदेश, 1978 8 मार्च, 1978 को जारी किया जा चुका है उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी है कि 25 मी० टन प्रतिदिन तथा उससे अधिक अधिष्ठापित क्षमता वाली पेपर मिलें अपने कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत तक व्हाईट प्रिंटिंग पेपर का उत्पादन करेंगी। तथा लिखाई एवं छपाई की 5 अन्य सामान्य किस्मों (क्रीमलेड अथवा वोव, रंगीन छपाई का कागज, डुप्लिकेटिंग कागज, आफसेट या लीथो कागज तथा टाईपिंग कागज) के कुल उत्पादन का कम से कम 33 प्रतिशत तक उत्पादन करेंगी जिसमें क्रीमलेड अथवा वोव पेपर 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा। इससे यह आशा की जाती है कि साधारण प्रयोग में आने वाली कागज की किस्मों की उपलब्धता में वृद्धि होगी तथा इसके फलस्वरूप मूल्य स्थिति में भी सुधार होगा।

हिंदुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों का निर्यात

2962. **श्री डी०बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग अपनी किस्म में सुधार कर रहा है और उसे घड़ियों के लिये विदेशों से भी आर्डर मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान एच०एम०टी० की घड़ियों के निर्यात के लिये मिले आर्डरों का ब्यौरा क्या है तथा उन के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान हिंदुस्तान मशीन टूल्स के कर्मचारियों को बोनस के रूप में कोई लाभ दिये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) एच०एम०टी० की घड़ियों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य देश में घड़ियों की मांग को पूरा करना है। इसलिए एच०एम०टी० की घड़ियों का निर्यात कम से कम किया गया है।

(ख) निर्यात की गई घड़ियां और उनसे प्राप्त विदेशी मुद्रा का पिछले दो वर्षों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	निर्यात की गई घड़ियों की संख्या	प्राप्त विदेशी मुद्रा
1975-76	13541	19 लाख रुपये
1976-77	17920	31 लाख रुपये

(ग) फरवरी, 1978 में रजत जयंती समारोह के अवसर पर कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ देने की घोषणा की गई थी :—

(1) 10 फरवरी, 1978 को कंपनी की नामावली में दर्ज कर्मचारियों को एक-एक सिल्वर जुबली घड़ी देना; तथा

(2) कम्पनी के कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिये 15 रुपये नकद इनाम देना जो कि कम से कम 50 रुपये होगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां दिया जाना

2963. **श्री महो लाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित ऐसे छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (नये तथा नवीकृत) नहीं दी गई हैं जो सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि जाकिर हुसेन कालेज में दूसरे तथा अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्तियों के नवीकरण के आवेदन पत्र बिना किसी कारण रद्द कर दिये गये हैं जबकि छात्रों का इसमें कोई दोष नहीं था और क्या कालेज के कुछ छात्रों ने 4 अक्तूबर, 1977 को प्रिंसिपल को एक पत्र लिखा था और उसकी प्रति शिक्षा निदेशक, दिल्ली को भेज दी गई थी जिसमें कालेज के प्राधिकारियों द्वारा विलम्ब किये जाने का स्पष्ट उल्लेख था;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या हैं और ऐसे छात्रों के नवीकरण आवेदनपत्र रद्द किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिनके आवेदन पत्र बिना किसी अपनी गलती के रद्द कर दिये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल): (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) जाकिर हुसेन कालेज, दिल्ली ने 18 उम्मीदवारों की छात्रवृत्तियों के नवीकरण के लिए उनकी एक सूची प्रस्तुत की थी। 16 मामले सीधे स्वीकार कर लिए गए क्योंकि वे सभी अपेक्षित आवश्यकताएं पूरी करते थे। इन मामलों में से एक में एक उम्मीदवार ने अपनी गत परीक्षा की मार्कशीट भेजने में देरी का उल्लेख करते हुए तारीख 3 अक्तूबर, 1977 को कालेज के प्रिंसिपल को एक अभ्यावेदन भेजा था जिसकी एक प्रति शिक्षा निदेशक, दिल्ली को पृष्टांकित की थी। कालेज द्वारा अपेक्षित मार्कशीट दिय जाने के बाद छात्रवृत्ति का दावा स्वीकार कर लिया गया। दूसरे मामले में, छात्र ने व्यक्तिगत आधारों पर अपने मामले पर विचार न करने के लिए स्वयं अनुरोध किया था।

यह कहना सही नहीं है कि जाकिर हुसैन कालेज द्वारा छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिए भेजे गये किसी आवेदन पत्र को बिना किसी कारण दिल्ली प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया था।

(घ) दिल्ली प्रशासन योजना में निर्धारित शर्तों के अधीन यथा अपेक्षित कुछ दस्तावेज सूचना देने के लिए संबंधित कालेज प्राधिकारियों और छात्रों से निकट का सम्पर्क बनाए रखता है ताकि पात्र दावों को शीघ्र स्वीकार किया जा सके।

भारतीय सशस्त्र सेना में पदोन्नति

2964. **श्री रुडोल्फ रोड्रिग्यः** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सशस्त्र सेना में प्रत्येक रैन्क में कितने प्रतिशत अधिकारी पदोन्नति के पाने के पात्र हैं तथा प्रत्येक मामले में कम से कम कितनी समयावधि के बाद इसके पात्र होते हैं।

(ख) क्या यह प्रतिशतता और समायावधि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य संबद्ध सेवाओं के लिए निर्धारित प्रतिशतता और समयावधि के बराबर हैं; और

(ग) यदि नहीं तो, इस संबंध में किसी महत्वपूर्ण कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम : (क) सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं में प्रत्येक पद पर पदोन्नति के पात्र अफसरों का प्रशिक्षण, प्रत्येक सेवा तथा शाखा के लिए भिन्न-भिन्न है और यह अलग-अलग समय पर उपलब्ध रिक्त स्थानों पर निर्भर करता है। फिर भी, विभिन्न रैंकों में कुल प्राधिकृत संख्या के आधार पर पदोन्नति के अवसर तथा पदोन्नति के लिए अपेक्षित वर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सशस्त्र सेनाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं की पद संरचना प्रत्येक सेवा के लिए उच्चतर पदों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। तदनुसार प्रत्येक सेवा में पदोन्नति के अलग-अलग अवसर होते हैं। इसलिए सब के लिए एक जैसा अनुपात व्यवहार्य नहीं है।

(ग) सेना के अफसरों के लिए पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के बारे में कार्यों के अनुसार सेना मुख्यालय समय-समय पर विभिन्न प्रस्ताव करते हैं जिन पर सरकार विचार करती है।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1814/78]

Promotion Policy for Services

2965. **Shri Mritunjay Prasad :**
Shri Subramaniam Swamy :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the "Statesman" dated 10th February, 1978 under the caption "Promotion Policy for Services—All strumps still with Indian Administrative Service"; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to do justice with the officers of other services besides the Indian Administrative Service?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S.D. Patil) : (a) and (b)Yes Sir. Tenure posts of and above the level of Deputy Secretary at the Centre are filled from amongst available officers of the All India Services and other organised Central Group 'A' Services keeping in view the specific requirements of each post and the qualification and experience of officers on offer for Central Deputation. These posts are not reserved for officers of any particular service.

Purchase of Harijan Adivasis Land by Maihar Cement Factory

2966. **Shri Sharad Yadav :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether land of Harjian Adivasis is being purchased by Maihar Cement Company, Maihar, District Satna, Madhya Pradesh;

(b) whether Harijan Adivasi land is being purchased at market rate and same price is being paid to them; and

(c) whether at the time of sale of Harijan Adivasi land it is taken into consideration that the land remaining with them is sufficient for a living?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) to (c) M/s. Maihar Cement Company Ltd., Maihar Distt. Satna, Madhya Pradesh have stated that the land of Harijan Adivasis are being exchanged by them by offering the Harijans a higher acreage with better productive capacity having well and water pumping facilities; that the Harijans Adivasis are also being offered Rs. three thousand to cover shifting expenses and that the total land involved under this head is 19 acres.

Setting up of an H.M.T. Watch Factory at Domchanch (Hazarigagh)

2967. **Shri R.L.P. Verma** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the foundation stone of the Electronics Factory in the north-east of the Mico-area Domchanch (Hazaribagh) High School was laid by the former Minister of Industries prior to emergency and the people had gifted sufficient land but construction work has not yet started thereon;

(b) whether it is also a fact that a hospital and residential buildings have come up at this place; and

(c) whether H.M.T. Watch factory cannot be set up at this place where cheap labour, dry air and favourable atmosphere are available?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) to (c) It has been decided that an H.M.T. assisted watch assembly unit should be set up in Bihar. The State Government is required to make the necessary investments. H.M.T. will take to market the watches and that the watches will bear the brand name of H.M.T. They will also impart training to the workers of the assembly unit and will make payment to the unit for the assembly work. In view of the participation of the State Government, the location of the unit is to be decided by the State Government in consultation with H.M.T. The State Government is considering various locations including Hazaribagh District. The various facilities in the District of Hazaribagh in respect of labour, climate, infra-structure facilities including those of industrial projects will also be taken into account by the State Government while deciding the location of the unit.

नारियल जटा की चटाइयों का उत्पादन

2968. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने एक निजी उद्योगपति को नारियल जटा की चटाइयों का उत्पादन यंत्रीकृत उत्पादन प्रक्रियाओं द्वारा आरम्भ करने की अनुमति दी है।

(ख) क्या सरकार जानती है कि नारियल जटा उद्योग की इस वर्तमान अवस्था में नारियल जटा की चटाइयों के उत्पादन के कार्य को यंत्रीकृत करने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया था कि वर्तमान अवस्था में नारियल जटा की चटाइयों के उत्पादन के कार्य का यंत्रीकरण करने की अनुमति न दी जाए; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र ने किन विशेष परिस्थितियों के कारण नारियल जटा उद्योग की इस विशिष्ट शाखा में यंत्रीकरण करने की अनुमति दी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) से (घ) एक फर्म को 1973 में ही उसके उत्पादन के 75 प्रतिशत का निर्यात करने के दायित्व की शर्त पर कायर के उत्पादों का निर्माण करने के लिए मशीनों के आयात हेतु एक लाइसेंस जारी कर दिया गया था। हाल ही में केरल सरकार तथा अन्य व्यक्तियों से मिले अभ्यावेदन पर इस मामले पर पुनः विचार किया गया तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस प्रकार के लाइसेंस देने से घरेलू उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की

संभावना नहीं है, निर्यात दायित्व को उसके उत्पादन के 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था, ऐसा होने पर भी, यह निश्चित करने के लिये कि गैर-मशीनीकृत क्षेत्रों में रोजगार पर इसका यदि कोई है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसे ध्यान में रखते हुए मशीनीकरण के सम्पूर्ण प्रश्न की फिलहाल समीक्षा की जा रही है और सरकार सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय करेगी।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए कर्मचारियों की मांगें

2969. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के कर्मचारियों ने पदोन्नति नीति, रिहायशी आवास, मजूरी वृद्धि, महंगाई भत्ता--जितना अधिकारियों को मिलता है, तथा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच संबंधी अपनी मांगों के समर्थन में अगस्त-सितम्बर, 1977 के दौरान चार दिन तक हड़ताल की थी, और यदि हां, तो प्रबंधकों ने हड़ताल खत्म करने के लिये किये गये करार में यह वचन दिया था कि कर्मचारियों की समिति बनाकर तथा उससे विचार-विमर्श करके तुरन्त ही पदोन्नति संबंधी नीति निश्चित कर दी जायेगी ;

(ख) यदि यह सभी सच है कि करार होने के चार महीने बाद भी न तो कोई पदोन्नति नीति ही निश्चित की गई है और न ही कर्मचारियों की अन्य मांगों को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या कर्मचारियों को अपनी मांगों के समर्थन में फिर जनवरी, 1978 में आंदोलन करना पड़ा था तथा 21 जनवरी, 1978 को सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ी थी; और यदि हां तो कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में अगस्त-सितम्बर 1977 में कोई हड़ताल नहीं हुई थी। किन्तु भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड भोपाल के कर्मचारियों ने कुछ मांगों के संबंध में जुलाई, 1977 में 14 दिन की औजार बन्द (टूल-डाउन) हड़ताल की थी। मांगें निम्नलिखित थीं :--

(1) बी०एच०ई०एल० की पदोन्नति नीति संशोधित की जानी चाहिए और सभी श्रमिकों को हर तीन वर्षों में पदोन्नति दी जानी चाहिए।

(2) सभी कर्मचारियों को मकान दिए जाने चाहिए।

(3) अवकाश यात्रा रियायत का नकदीकरण।

(4) उन अनुसचिवीय और अन्य कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति दी जाए जिनके काम के घंटे 1974 में 41 से बढ़ाकर 48 प्रति सप्ताह कर दिए गए हैं।

(5) उन सभी कर्मचारियों, जिनके पास वाहन है, को अधिकारियों के बराबर सवारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों को सवारी-सहायता दी जानी चाहिए, चाहे उन्हें बस्ती में मकान दिए गए हैं या नहीं।

श्रमिक संघों की परिषद् के साथ 26 जुलाई, 1977 को हुए समझौते के परिणामस्वरूप यह औजार बंद हड़ताल समाप्त कर दी गई थी। पदोन्नति नीति में संशोधन करने की विशेष मांग के संबंध में, सामान्य पदोन्नति नीति पर विचार-विमर्श के प्रति निष्पक्ष, बी०एच०ई०एल० एक विशेष मामले के रूप में उस वर्ष 1394 श्रमिकों को इस धारणा पर अतिरिक्त पदोन्नतियां देने के लिए सहमत हो गया कि इसे दृष्टांत के रूप में उद्धृत नहीं किया जायेगा। समझौते में यह निर्णय किया गया था कि पदोन्नति नीति में

परिवर्तन के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता है क्योंकि इसका प्रभाव बी०एच०ई०एल० के अन्य एककों और अन्य सरकारी उपक्रमों पर भी पड़ता है। इसलिए इस मामले पर बाद में दिल्ली में एक उपयुक्त फोरम में विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक था। ऐसे फोरम की गठन की शर्तों को संयुक्त परिषद् के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाना था। श्रमिक संघों की संयुक्त परिषद् की यह इच्छा थी कि फोरम के लिए उनके 6 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाय।

(ख) श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच फोरम के लिए 6 प्रतिनिधियों को नामित करने पर समझौता न होने पर पदोन्नति-नीति की पुनरीक्षा पर विचार-विमर्श करना असम्भव हो गया था। श्रमिक संघों की संयुक्त परिषद् के संयोजक से अनुरोध किया गया था कि वह 6 सदस्यों को नामित करे जो परिषद् की संघों के सभी घटकों को स्वीकार्य हों, लेकिन वह अब तक सदस्यों को नामित नहीं कर सके हैं। किन्तु बी०एच०ई०एल० की एक शीर्ष स्तरीय संयुक्त समिति है, जिसमें श्रमिकों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया जाता है और निर्णय लिया जाता है जो सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है। अक्तूबर, 1977 में गुप्त मतपत्र द्वारा हुए चुनावों के परिणामस्वरूप इस शीर्षस्तरीय निकाय को हाल ही में पुनर्गठित किया गया है। इस फोरम में भोपाल में जुलाई, 1977 की हड़ताल के समझौते की मांगों पर विचार किया जायेगा। यह भी उल्लेख किया जाता है कि सभी संघों जो भोपाल में श्रमिक संघों की परिषद् के घटक हैं और जिनमें कम से कम 10 प्रतिशत सदस्य हैं, का इस फोरम में प्रतिनिधित्व है।

(ग) कर्मचारियों ने मिलकर 21 जनवरी, 1978 को सांकेतिक हड़ताल नहीं की थी।

Textile Mills closed in West Bengal

2970. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of textile mills which are still/closed in West Bengal and the reasons therefor;

(b) whether Government would take over these mills under National Textile Corporation; and

(c) the details of the schemes for small and heavy industries for the industrialisation of the backward areas of the country and the time by which these would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) There are two cotton textile mills lying closed in West Bengal as at present, for reasons of labour-management and financial difficulties.

(b) There is no proposal for taking over these two mills for management under the National Textile Corporation.

(c) A statement is attached.

Statement

Small scale units are established and operated by private entrepreneurs and Government encourages such units by providing the needed guidance and technical credit, raw material and marketing assistance. In order to further accelerate the develop, ment of small scale industries it is proposed to establish in each district a single agency to be known as District Industries Centre, to deal with all requirements of small and village industry units. Promotional effort through these centres would include economic investigation of the districts, raw materials and other resources, supply of machinery and equipment, provision of raw materials, arrangement for credit facilities and effective set-up for

marketing and a cell for quality control, research and extension. These District Industries Centres are likely to be established in the course of the financial year, 1978-79.

2. As regards heavy industries, information is being collected and laid on the Table of the House.

3. In order to encourage and accelerate the pace of industrialisation of backward areas, Central investment subsidy to the extent of 15% is available on the fixed capital investment and transport subsidy at the rate of 50% of the transportation cost on raw materials and finished goods to and from the rail head nearest to certain hilly and remote areas is also available.

Issue of permits to S.C. and S.T. for the DTC buses.

†2971. **Shri Ramji Lal Suman** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the number of permits decided to be given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the buses proposed to be operated under the Delhi Transport Corporation; and

(b) whether Government after discussing it with the State Government, propose to issue them instructions for according preference in giving permits to persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

Minister of Shipping & Transport (Shri Chand Ram) : (a) Out of 400 additional private buses decided to be hired by the Delhi Transport Corporation under the Kilometrage Scheme with 250 guaranteed kilometres per day, excluding those already operating under kilometrage scheme on 1-8-77 & those converted from A.O.C.C. Scheme to kilometr age scheme, 60 have been earmarked for members of Scheduled Castes/Tribes.

(b) A proposal to amend the Motor Vehicles Act to provide for reservation in grant of permits to persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the same ratio as laid down by the State Government concerned with regard to direct recruitment to public services under that State is being processed by Government.

साबुन के उत्पादन के लिये मांस चर्बी का आयात

2972. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साबुन का उत्पादन करने के लिए मांस चर्बी के आयात को रोकने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा कारण क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) संगठित क्षेत्र से इतर साबुन उत्पादकों को भेड चर्बी का आयात करने की अनुमति दी जाती है। इस नीति का अनुसरण साबुन बनाने में अखाद्य और गैर पारम्परिक तेलों को उपयोग को बढ़ावा देने के उद्योग से किया जाता है।

Manufacture of Power Tiller

2973. **Shri Chandradeo Prasad Verma** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state whether for the benefit of small and marginal farmers efforts are being made by a Government to manufacture such a power tiller as may not cost more than rupees ten thousand?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): Efforts have been promoted for developing low cost power tillers. One firm has introduced a power tiller of simple design fitted with 5. H.P. light diesel engine and a few prototypes have been sold by the firm at about Rs. 8,000/- each. The firm has been requested to get this power tiller tested at the Tractor Training and Testing Station, Budni for assessing its suitability. Another firm has also developed a power tiller which is being sold at about Rs. 10,000/-. The Indian Council of Agricultural Research is also engaged in the development of a suitable design of a low cost power tiller.

सौर-ऊर्जा पर भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त वर्कशाप

2974. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सौर ऊर्जा के बारे में भारत-आस्ट्रेलिया वर्कशाप शीघ्र ही काम करना आरम्भ करेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सौर ऊर्जा के बारे में भारत-आस्ट्रेलिया वर्कशाप नई दिल्ली में 12 से 14 जनवरी, 1978 तक हुई थी। इसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए उपयुक्त ऐसी परियोजनाओं का अभिनिर्धारण किया गया जिन पर दोनों सरकारें विचार करेंगी।

सेवा निवृत्त सैनिकों को सरकारी उपक्रमों में प्रशिक्षण

2975. **श्री शंकरसिंह जी वघेला** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त सैनिकों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के चुने हुए उपक्रमों में सिविल जीवन से रोजगार प्रशिक्षण देने की कोई योजना है अथवा सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका पूरा विवरण क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सैनिकों को अपनी सेवा के अन्तिम वर्ष में विभिन्न सरकारी तथा केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रशिक्षण देने की एक योजना पर प्रारम्भिक विचार किया जा रहा है ।

Circular Issued in Hindi

2976. **Shri Ram Prasad Deshmukh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether provisions of Section 3(3) of the rules formulated under the Official Languages, Act, 1963 are being fully complied with in his Ministry;

(b) if so, the total number of general orders, circulars, notices, tenders and permits issued during the last six months of 1977 and the number of orders etc. out of them issued both in Hindi and English; and

(c) if the provisions of the said section are not being complied with fully; the reasons therefor and the steps taken for complying with it?

Minister of Information & Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a), (b) and (c) : The requisite information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

Alleged Missing of Files Pertaining to Cases Before Enquiry Commissions

2977. **Chaudhury Ram Gopal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some files pertaining to the cases under consideration of Enquiry Commissions appointed by present Government have been found missing ;

(b) full details in this regard; and

(c) the action taken in this respect?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a),(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Paper Prices

2978. **Shri Ganga Bhakt Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the names of mills which have raised paper prices arbitrarily with effect from 5th January, 1978.

(b) action proposed to be taken against them; and

(c) proposals being considered by Government to meet paper shortage?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) M/s. Orient Paper Mills & Titaghur Paper Mills are reported to have raised the prices of certain varieties of paper after 31-12-1977.

(b) Although there is no statutory control on prices of paper, Government have been discouraging the Paper Industry from resorting to unilateral increases in prices without adequate justification. Government's unhappiness at the pice increases effected by these paper mills without consulting Government has been conveyed to the Industry.

(c) The Paper (Regulation of Production) Order, 1978 has been issued on 8th March, which stipulates inter alia that paper mills with an installed capacity of 25 tonnes per day or mor eare required to produce white printing paper to the extent of 30% of total production and five other varieties of writing and printing paper (Cream laid or Wove Paper, Coloured Printing Paper, duplicating Paper, offset or litho paper and typing paper to the extent at least 33 per cent of total production, of which not less than 20 per cent shall be cream laid or wove paper. This is expected to lead to increased availability of commonly used varieties of paper and consequent easing of the price situation.

गढ़वाल डिवीजन के लिये नियंत्रित किस्म के कपड़े का वितरण

2979. **श्री जगन्नाथ शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गढ़वाल डिवीजन के लिए नियंत्रित किस्म के कपड़े के नियतन तथा वितरण के लिए कपड़ा के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं, विशेषतया गढ़वाल डिवीजन की, को पूरा करने के लिए प्रत्येक कपड़ा मिल द्वारा कितना कोटा दिया जाना निश्चित किया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती प्रभा माईति) : (क) विभिन्न राज्यों को, मिलों द्वारा उत्पादित नियंत्रित कपड़े का आवंटन उनकी जनसंख्या के प्रतिव्यक्ति के आधार पर प्रत्येक माह आबंटित किया जाता है तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण करने का दायित्व राज्य सरकारों का है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Members of Union Public Service Commission

2980. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of members of the Union Public Service Commission and the number of members belonging to Harijans, Adivasis, women and backward classes out of them; and

(b) if there are no members belonging to these categories, whether Government propose to appoint such members and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a) and (b) The sanctioned strength of the Union Public Service Commission is nine. At present there are eight members, one of whom belongs to a Scheduled Caste. In making appointments to the Commission, the need for having persons with diversity of experience and talent in different disciplines so as to enable adequate handling of the various problems coming up before the Commission is kept foremost in view. Subject to this, due attention is paid to the desirability of representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other such classes, the different regions of the country, women etc. while considering appointments of the Commission.

भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा

2981. **श्री पूर्ण सिन्हा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा में आगे और भर्ती नहीं होगी अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा का वर्तमान संवर्ग भारत के सीमावर्ती राज्यों में सेवा के लिए पर्याप्त समझा गया है;

(ख) इस समय भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा में भारत तथा विदेशों में कितने अधिकारी सेवारत हैं और यदि उनके कार्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों से भिन्न है तो उनके कार्यों और कृत्यों का स्वरूप क्या है; और

(ग) यदि सरकार का विचार भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा के लिए आगे और भर्ती करने का नहीं है तो भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ विलय करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल): (क) भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा में आगे और भर्ती करने के विचार नहीं है । भारतीय प्रशासनिक सेवा भारत के सीमान्त राज्यों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों में नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है ।

(ख) इस समय भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा में 17 अधिकारी हैं । उनके पद उन पदों से भिन्न नहीं हैं, जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियमित रूप से आसीन हैं।

(ग) भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा का भारतीय प्रशासनिक के साथ विलय करने के विचार नहीं है ।

छठी योजना अवधि में टेलीविजन केन्द्र

2982 **श्री एन्यु साहू :**

श्री पद्माचरण सामान्त सिन्हेरा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में किन स्थानों पर टेलीविजन केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ख) क्या उड़ीसा राज्य में विशेषतया सम्बलपुर तथा कोरापुट जैसे पिछड़े क्षेत्रों में जहां प्रसारण केन्द्र उपलब्ध हैं, नये टेलीविजन केन्द्र खोलने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सम्बलपुर (उड़ीसा) और मुजफ्फरपुर (बिहार) में दो दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र, कानपुर में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र और जलन्धर में एक दूरदर्शन केन्द्र 1978 के दौरान चालू होने की उम्मीद है । छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए देश में नए दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के कतिपय प्रस्ताव किए गए हैं, किन्तु उनके कार्यान्वयन के बारे में निर्णय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि और योजना आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

उड़ीसा में रेडियो जाल में अन्यों के साथ-साथ, दो सहायक केन्द्र एक सम्बलपुर में और दूसरा कोरापुट जिले में जेपोर में शामिल है ।

Cadre for Hindi Employees

2983. **Shri Ramjiwan Singh :**
Shri Roop Nath Singh Yadav :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) when Government propose to create a cadre for Hindi employees; and

(b) whether before creation of such a cadre, Government will ensure that all Ministries are covered under it so as to bring about uniformity?

Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) Action to create a cadre is being taken. It is expected that the cadre will be created shortly.

(b) With a view to bringing about uniformity all Ministries had been requested to join the cadre. All the Ministries/Departments except the Ministry of Railways and the Revenue Department have agreed to join this cadre.

अधिकारियों को गोपनीय रिपोर्टें

2984. **श्री विनायक प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न अधिकारियों को गोपनीय फाइलें, गोपनीय पत्र और गोपनीय रिपोर्ट उनके निजी सहायकों अथवा निजी सचिवों के माध्यम से खुले आम भेजी जाती है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टाफ के प्रभावित कर्मचारियों को अपनी शिकायतों के बारे में अपने मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिव के सीधे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनू सिंह पाटील) : (क) सुरक्षा अनुदेशों के अनुसार, सभी वर्गीकृत दस्तावेजों को जब तक कि उन्हें किसी अधिकारी द्वारा स्वयं नहीं ले जाया जाए, ताले बन्द सन्दूकों अथवा मुहरबन्द लिफाफों में भेजा जाना चाहिए । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को इन अनुदेशों के उल्लंघन के संबंध में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) सामान्यतया वरिष्ठ अधिकारियों तक उनके कर्मचारियों की पहुंच होनी चाहिए, जिससे कि वे उनकी शिकायतें सुन सकें । इस विभाग को जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि जहां कर्मचारियों को इस संबंध में कठिनाई का अनुभव करना पड़ा हो ।

मैसर्स कोर्स द्वारा आयात

2985. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स कोर्स इण्डिया विदेशों से सामग्री आयात करती रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में आयात की गई सामग्री का भारतीय मुद्रा में मूल्य क्या है और आयात किन देशों से किया गया;

(ग) क्या सम्पूर्ण आयातित सामग्री का प्रयोग उनके कारखानों द्वारा देश में ही किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उस तैयार माल का मूल्य क्या है जिसमें आयातित सामग्री का उपयोग होता है; और

(ङ) यदि उक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक है तो आयातित वस्तुओं का निपटान किस प्रकार किया जाता है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अंदमान मेनलैण्ड एण्ड लक्षद्वीप शिपिंग सर्विस द्वारा भाड़े और यात्री किराये में वृद्धि

2986. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदमान मेनलैण्ड एण्ड लक्षद्वीप शिपिंग सर्विस ने 24 घंटे पूर्व की सूचना देकर 22-1-78 से भाड़े तथा यात्री किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि कर दी है ;

(ख) क्या इसके भारी विरोध के बारे में सरकार की कोई सूचना प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस भाड़े में वृद्धि से सरकार को सभी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की आंशका है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या भाड़े में वृद्धि से उद्योगों में गंभीर संकट आएगा और उद्योगों को संकट से बचाने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ; और

(ङ) क्या भाड़े की दरों में वृद्धि होने से इस क्षेत्र के विकास कार्य काफी कम हो जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को किसी बड़े पैमाने पर विरोध किए जाने के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) : सरकार को उद्योगों में न तो भारी संकट आने और न ही विकास कार्यों में कमी होने की आशंका है । दूसरी ओर किराये और भाड़े में वृद्धि से भारतीय नौवहन निगम को इस सेवा पर अपने भारी घाटे के कुछ अंश को पूरा करने के लिए सहायता मिलेगी ।

आरक्षित रिक्त पदों का भरा जाना

2987. **डा० भगवान दास राठौर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के आरक्षित रिक्त पदों को अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों से भरने के बारे में, विशेषतया ऊंचे वेतनमान वाले पदों को, भारत सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करने में सरकार के कौन से विभाग और मंत्रालय दोशी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है : और

(ख) किन विभागों तथा मंत्रालयों द्वारा रोजगार को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को नहीं लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) : विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 1-1-1977 को समूह 'क', 'ख', 'ग', तथा 'घ' (श्रेणी-I, II, III, तथा IV) के कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की संख्या के आंकड़े तथा उनकी आनुपातिक प्रतिशतताएं अनुबन्ध में दी गई हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण समय-समय पर भरी जाने वाली रिक्तियों पर लागू होते हैं, न कि किसी सेवा अथवा संवर्ग की कुल पद संख्या पर । हालांकि, कुल पद संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व विभिन्न वर्गों में आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतताओं तक न पहुंच पाया हो, फिर भी आवश्यक रूप से इसका अर्थ यह नहीं होगा कि आरक्षणों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों को संबंधित मंत्रालयों अथवा विभागों द्वारा लागू नहीं किया गया है । सभी आरक्षित रिक्तियों, खासकर इंजीनियरों आदि जैसी तकनीकी, विशिष्ट अथवा व्यावसायिक अर्हताओं की अपेक्षा रखने वाले उच्चतर सेवाओं में रिक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं।

आरक्षणों की व्यवस्था के लिए तथा उस संबंध में अनुपालन को विस्तृत कार्यविधियों को निर्धारित करने वाले समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है और किसी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा उनका पालन न करने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता । निर्धारित कार्याविधियों अथवा अनुदेशों का बहुत से अधीनस्थ नियोक्ता प्राधिकारियों की ओर से पालन किए जाने में, यदि कोई कमी रह जाती है तो उनसे संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उसकी जांच की जाती है । मंत्रालयों/विभागों को इस आशय से अनुदेश भी जारी किए जा चुके हैं कि आरक्षणों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित अन्य आदेशों के अनुपालन के मामले में पाई गई असावधानी अथवा कमियों के

मामलों पर कड़ी नजर रखी जाए और उन्हें समुचित प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाये और उन पर तत्परता से उपयुक्त कार्रवाई की जाए ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1815/78]।

रेलवे बोर्ड के कार्यालय में असिस्टेंट का वेतन निर्धारण

2988. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के कार्यालय में कार्यरत कुछ प्रभावित असिस्टेंटों के वेतन के प्रोफार्मा निर्धारण के बारे में एक मामले पर विचार किया गया था और बहुत पहले संयुक्त सलाहकार वर्ग के अन्तर्गत विभागीय परिषद द्वारा असहमति रिकार्ड की गई थी

(ख) क्या संयुक्त सलाहकार तंत्र योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले को तीन मंत्रियों, अर्थात् गृह, रेलवे तथा श्रम, द्वारा न्याय निर्णय के लिए भेजने का निर्णय किया गया था ;

(ग) क्या मामले पर न्याय निर्णय के विचारार्थ कार्मिक विभाग द्वारा इस बीच कोई तारीख निश्चित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो मामले पर निर्णय करने के लिए ऐसे न्यायनिर्णय में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री सोनुसिंह पाटील) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) यह मामला कर्मचारी पक्ष को अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का एक अवसर देने के बाद, निर्णय के लिए गृह, रेल तथा श्रम मंत्रियों को एक समिति के समक्ष है ।

(ग) तथा (घ) : संबंधितों के पहले ही कार्यव्यस्त होने के कारण, समिति को पूर्व निर्धारित बैठकें आस्थगित कर दी गई थी । मंत्रियो की समिति की एक बैठक किए जाने की व्यवस्था की जा रही है

कोटापुरम-मूठाकुन्नम पुल का निर्माण

2989. **डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) प्रस्तावित कोटापुरम-मुठाकुन्नम पुल (राजमार्ग संख्या 17 पर) निर्माण योजना किस चरण तक पहुंच गई है :

(ख) इस निर्माण के पूरा होने के लिए समय सारणी क्या है : और

(ग) समस्त निर्माण कार्य के लिए अनुमानित राशि क्या है और कितनी राशि क्या है और कितनी राशि आवंटित की जा चुकी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी मंत्री (श्री चांद राम) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर कोटापुरम-मुठाकुन्नम पुल के निर्माण संबंधी परियोजना बहुत ही प्रारम्भिक चरण में है । केरल सरकार के साथ काफी अर्से तक पत्र व्यवहार करने के बाद प्रस्तावित पुल के स्थान को हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है । चयन किए गये स्थल के लिए पुल के जल और तल का विस्तृत सर्वेक्षण अभी किया जाना है ।

(ख) पुल के निर्माण का कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं किया गया है । यह तब निश्चित किया जायेगा जब सभी आवश्यक बातें पूरी हो जांएं, जैसे स्थल जांच, विस्तृत डिजाईन और अनुमान तैयार

करना, निविदाएं मांगना, कार्य सौंपना और विभिन्न वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है ।

(ग) जल और तल की विस्तृत जांच के बाद ही राज्य सरकार के लिए पुल की लागत का अनुमान और डिजाईन तैयार करना संभव होगा । इस समय परियोजना की संभावित लागत को आंकना बहुत कठिन है फिर भी बहुत ही मोटा अनुमान है कि केवल पुल विशेष पर ही लगभग 2 करोड़ रु० की लागत आयेगी ।

कलकत्ता पत्तन पर कानून और व्यवस्था की स्थिति

2990. **श्री रामानन्द तिवारी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1978 के 'नेशनल हेरेल्ड' में "शिपर्स एस० ओ० एस० टु० सेंटर" शीर्षक के अन्तर्गत कलकत्ता पत्तन पर ठेकेदारों के वांचमैनों द्वारा उत्पन्न की गई कानून और व्यवस्था की खतरनाक स्थिति के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा ठेकेदारों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि मामला कानून तथा व्यवस्था की स्थिति से संबंधित था अतः इसे पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उठाया गया जिन्होंने कहा कि नौवहन कम्पनी के कुछ अधिकारियों पर इक्के-दुक्के हमले की वारदातें हुई तथा इन सभी मामलों पर कानून के अनुसार कार्यवाही की गई । राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निवारक उपाय किए गए बताये गये हैं और फिर से शान्ति स्थापित हो गई है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हुई हानि

2991. **श्री अरविन्द वाला पजनौर : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कितना लाभ/हानि हुई;

(ख) क्या यह सच है कि 12 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के निवेश के बावजूद व्यय की गई राशि के अनुपात में आधुनिकीकरण नहीं हुआ है; और

(ग) धनराशि के उचित उपयोग के बारे में की गई किसी जांच के क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अप्रैल, 1975 से जनवरी, 1978 की अवधि के दौरान हुई हानि का ब्यौरा इस प्रकार हैं:—

वर्ष	निवल हानि (अनन्तिम) (रुपये करोड़ में)
1975-76	62.28
1976-77	42.52 (इसमें 1976-77 वर्ष की बोनस की 6.79 करोड़ रु० की राशि का अक्तूबर/नवम्बर, 1977 में किया गया भुगतान शामिल है) ।
1977-78 (जनवरी 1978 तक)	27.05

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 31 दिसम्बर, 1977 को 105.00 करोड़ रु० की लागत के आधुनिकीकरण कार्यक्रम अनुमोदित/स्वीकृत किये । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 65.00 करोड़ रु० की मशीनें प्राप्त हो गई हैं और मिलों में लगा दी गई हैं । इस आंशिक आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मिलों के कार्यकरण की कुशलता में सुधार आया है, जो नीचे दिये गये विगत तीन वर्ष के आंकड़ों से जाना जा सकता है :—

	1975-76	1976-77	अप्रैल-दिसम्बर'77 (9 महीने)
उपयोग (प्रतिशत)			
तकुवे	68.1	71.7	70.1
करघे	64.6	68.8	66.3
कताई में उत्पादकता (40 एस ग्रा०) . . .	52.6	53.6	54.9
लूम शेड कुशलता (प्रतिशत) . .	67.6	67.9	69.2
(यार्न रिअलाइजेशन प्रतिशत)	82.2	85.0	87.8
उत्पादन :			
मार्मिट यार्न (दस लाख कि० ग्रा०) . . .	49	57	42.5
कपड़ा (दस लाख मीटर) . . .	764	816	624

(ग) आधुनिकीकरण के लिए दी गई निधियों के समुचित उपयोग की देख-रेख धारक कम्पनी द्वारा, अपनी सहायक शाखाओं से प्राप्त सांवधिक कार्यान्वयन रिपोर्टों द्वारा रखी जाती है इस विषय पर ऐसी कोई जांच नहीं की गई है ।

ड्राई डॉक की संख्या

2992. **श्री अहमद एम० पटेल : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कम्म कर रहे ड्राई डॉकों की संख्या कितनी है और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) आगामी पंचवर्षीय योजना में नये ड्राई डॉक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ।

(ग) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) उनके मुख्य कार्य क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) इस समय वाणिज्यिक नौवहन का प्रबन्ध करने के लिए 9 सूखी गोदी हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

बम्बई .	3
कलकत्ता . .	5
विशाखापतनम .	1

एक और सूखी गोदी कोचीन शिपयार्ड में निर्माणाधीन है ।

(ख) जी हां।

(ग) योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(घ) सूखी गोदी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

1. पानी के नीचे मरम्मत, तलों की सफाई और रंगाई ।
2. गारंटी मरम्मत तथा सुपुर्दगी-पूर्व डाकिंग ।
3. विशेष सर्वेक्षण तथा निरीक्षण ।

मनोरंजनार्थ इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों के कल-पुर्जों के मूल्यों में वृद्धि

2993. **श्री एम० कल्याण सुंदरम्** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनोरंजनार्थ उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों के कल-पुर्जों की निर्माता एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने इनके मूल्य बढ़ा दिये हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) तथा (ख) : जी, हां । लघु उद्योगों की संस्था के महासंघ ने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा निर्मित किए जानें वाले इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों की कीमतों में वृद्धि हुई है ।

(ग) चूंकि इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों को अनिवार्य वस्तुओं के रूप में घोषित नहीं किया गया है, अतः सरकार का उनकी कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है । तथापि इस क्षेत्र में पर्याप्त औद्योगिक क्षमता स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इन संघटक पुर्जों के अस्थायी अभाव की पूर्ति के लिए और साथ ही बफर-स्टाक रखने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रोद्योगिकी विकास निगम (ई० टी० टी० डी० सी०) के माध्यम से इन वस्तुओं का आयात किया जाता है; तथा इलेक्ट्रानिक उपस्कर के निर्माताओं के 'वास्तविक प्रयोक्ता' लाइसेंसों पर उपयुक्त अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं । यह आशा की जाती है कि सरकार द्वारा किए गए इन उपायों के फलस्वरूप बाजार में इन संघटक पुर्जों का मूल्य स्तर बनाए रखने में प्रभावशाली मदद मिलेगी ।

"जयदेश" वाराणसी द्वारा साम्प्रदायिक तनाव भड़काने वाले लेख प्रकाशित करना

2994. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र "जयदेश" ने 1977 के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान ऐसे समाचार और लेख छापे थे जिनसे साम्प्रदायिक तनाव पैदा हुआ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रकार के प्रकाशनों को रोकने के लिए सरकर द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि वाराणसी के एक स्थानीय समाचार-पत्र "जयदेश" द्वारा 1977 में साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में प्रकाशित कुछ लेखों की जांच की जा रही है और यदि यह आवश्यक तथा उपयुक्त समझा जाता है तो विधि के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

विकास परिषदों का कार्यकरण

2995. **श्री सौगत राय** क्या : **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत गठित "18" विकास परिषदों के भली-भांति काम न करने के बारे में औद्योगिक विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन दल से कोई शिकायत उनके मंत्रालय को प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या इस अध्ययन दल ने इन परिषदों को सक्रिय बनाने और उसके कृत्यों को व्यापक बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) औद्योगिक विनियमन और कार्याविधि संबंध अध्ययन दल ने यह देखा है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत गठित विकास परिषदों का काम सन्तोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है । अध्ययन दल ने विकास परिषदों को सक्रिय बनाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं, जिससे यह परिषदें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सौंपे गए अपने समग्र कार्यों को पूरा कर सकें। अध्ययन दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें 2 फरवरी, 1978 को सरकार द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट में दिये गये हैं, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

Power Generation in Patratu Thermal Power Station

†2996. **Shri Virendra Prasad** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the per day power generating capacity of the Patratu Thermal Power plant in Bihar and the per day power generated in 1977; and

(b) whether the actual power generation has been much less than the installed capacity causing a heavy loss to the industries and agriculture in Bihar?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) The generating capacity of Patratu Thermal Power Station is 510 MW. The average MW generation during April to December, 1977 was 239 MW. During the period April to December, 1977, the average energy generation was 5.28 MU per day against a possible generation of 6.51 MU per day.

(b) The actual generation is not commensurate with the installed capacity. The lower power availability does affect industrial and agriculture production, but it is not possible to assess the extent of loss in production solely because of reduced generation at this power station as there are a number of other factors like shortage of raw material, labour unrest, lack of materials etc. which also result in lower industrial/agricultural production.

ग्रेशम तथा क्रेवन कर्मचारी यूनियन द्वारा कम्पनी के स्वतन्त्र अस्तित्व के बारे में अभ्यावेदन

2998. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रेशम और क्रेवन कर्मचारी यूनियन से अभ्यावेदन मिले हैं जिसमें सुझाव दिया गया है कि कम्पनी का स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए रखा जाये और इसका मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड के साथ विलय नहीं किया जाये;

(ख) अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अभ्यावेदनों पर बिचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां ।

(ख) यह वर्णन किया गया है कि मे० ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड के ग्रेशम एण्ड ब्रेवन प्रभाग को अलग एक सरकारी कम्पनी के रूप में गठित किया जाए ।

(ग) तथा (घ) जी, हां। सरकार ने निर्णय किया है कि इस प्रभाग को एक नई सरकारी कम्पनी में निहित कर दिया जाए ।

बिजली की कमी

2999. **श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की निरन्तर कमी का कारण आयोजना और उसकी क्रियान्विति का दोषपूर्ण होना है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं कि देश में बिजली की अपार क्षमता का अभी तक विकास नहीं किया जा सका तथा अधिष्ठापित क्षमता का केवल आंशिक उपयोग किया जाता है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) चौथी योजना के उत्तरार्ध से देश में विद्युत् की जो कमी चल रही है उसके कारण ये हैं :

— मुख्यतः परियोजना के कार्यान्वयन में कमी के कारण प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता में वृद्धि पर्याप्त न होना;

— कुछ ताप विद्युत् केन्द्रों का कार्यनिष्पादन घटिया होना;

— मानसून की असमानता जिससे कुछ जल विद्युत केन्द्रों का उत्पादन प्रभावित हुआ ;

— कुछ राज्यों की क्षेत्रीय प्रणालियों में अपर्याप्त पारेषण क्षमता ।

उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लक्ष्य में कमी, जो देश के कई भागों में विद्युत् सप्लाई की चिन्ताजनक स्थिति के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, निम्नलिखित कारणों से रही : पूर्व आयोजना की कमी, संयंत्र और उपस्कर की सुपुर्दगी में देरी, उपस्कर की सुपुर्दगी यथाक्रम न होना, आवश्यक निर्माण सामग्री की कमी, सिविल कार्यों के निर्माण में देरी, परियोजना को देर से तथा अपर्याप्त निधि दिया जाना आदि ।

(ख) किसी विद्युत् विकास कार्यक्रम के लिए एक विशिष्ट समय पर विद्युत् की मांग को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए और उस मांग को पूरा करने के लिए सर्वाधिक मितव्ययी विकल्प का चुनाव किया जाना चाहिए । भारत में मुख्यतः कोयले पर आधारित ताप विद्युत् और जल विद्युत ही साधन हैं और विद्युत् की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनका विकास एक लम्बी अवधि में किया गया है यद्यपि भाग (क) के उत्तर में बताई बाधाओं जैसी बाधाएं रही हैं ।

विद्युत् प्रणालियों में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जा सकता :—

— बायलरों के नियतित कानूनी अनुरक्षण के लिए तथा मुख्य और आनुषंगिक उपस्कर की मरम्मत के लिए ताप विद्युत् यूनिटों की बंदी।

— जल शीर्ष का नीचा हो जाना और जल की उपलब्धता कम हो जाना तथा जल विद्युत् केन्द्रों की मरम्मत के लिए उत्पादन यूनिटों की बन्दी ।

— मरम्मत के लिए आनुषंगिकों की बंदी के कारण आंशिक बंदी ।

— प्रणाली के अव्यस्ततम घंटों के दौरान भार कम हो जाना जिसमें उत्पादन कम करना पड़ता है।

इसके अलावा, नई चालू की गई किसी भी ताप विद्युत् यूनिटों को सुस्थिर होने में समय लगता है और प्रारम्भिक अवधि में उससे उत्पादन कम होता है ।

प्रणाली प्रयोक्ताओं से संगणक रख-रखाव निगम द्वारा वसूल किया गया शुल्क

3000. **डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद**: क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 फरवरी, 1978 के "फाइनेनशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित यह वक्तव्य सच है कि संगणक रख-रखाव निगम आई० बी० एम० प्रणाली के प्रयोक्ताओं से आई० बी० एम० की अपेक्षा 300 प्रतिशत अधिक शुल्क वसूल कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रयोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं; लागत निर्धारित करने का आधार भिन्न है तथा इसलिए उसकी तुलना नहीं की जा सकती ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिवाजी कालेज दिल्ली के कैम्पस में इमारतों का गिराया जाना

3001. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शिवाजी कालेज, दिल्ली के कैम्पस में जहां "ग्रंथ साहिब" रखा गया था, कुछ इमारतों को गिराने के आदेश दिये हैं;

(ख) क्या इसके कारण आन्दोलन और गिरफ्तारियां हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग) शिवाजी कालेज के कुछ छात्रों और स्टाफ के सदस्यों ने 4-2-1978 को गुरूद्वारें की चार दीवारी गिरा दी। थाना पंजाबी बाग में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/427/379/295/34 के अन्तर्गत एक मामला एफ० आई० आर० संख्या 144 दिनांक 4-2-1978 दर्ज किया गया और 5 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । अन्य 9 व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/447/448/279/34 के अन्तर्गत एक मामला एफ० आई० आर० संख्या 162 दिनांक 7-2-1978 में गिरफ्तार किये गये । बाद में 33 व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किये गये । प्रधानाचार्य शिवाजी कालेज और गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों के बीच 9-2-78 को हुई एक संयुक्त बैठक में समझौता हुआ जिसके परिणामस्वरूप गुरूद्वारे को दूसरा स्थल आबंटित कर दिया गया ।

पेपर, टेरीलिन आदि के मूल्यों में वृद्धि

3002. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों और उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन महीनों में पेपर, टेरीलीन आदि के मूल्य बढ़ाये है;

(ख) इस बारे में सरकार को मिले अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे पेपर, टेरीलीन आदि के मूल्यों में वृद्धि का कोई औचित्य सरकार की नजर आया है; और

(घ) उद्योगपतियों को इस बात पर मजबूर करने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की गई है कि वे इसके मूल्यों में और वृद्धि न करें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) गत तीन महीनों में पोलिएस्टर फाईनर टेरीलीन ब्रिटेन के आई० सी० आई० के पोलिएस्टर फाइबर का व्यापारिक नाम है के मूल्य में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कागज के संबंध में यह सूचना मिली है कि ओरिएन्ट पेपर मिल्स और टीटागढ़ पेपर मिल्स ने जनवरी, 1978 में कागज की कुछ किस्मों के मूल्य बढ़ा दिए हैं । इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मुद्रकों को पुस्तकें तैयार करने के लिए उचित मूल्यों पर कागज प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं।

(ग) और (घ) कागज के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है इसलिए सरकार उद्योग को बिना किसी प्रर्याप्त औचित्य के मूल्यों में एकपक्षीय वृद्धि करने की प्रवृत्ति से निरुत्साहित कर रही है । सरकार से परामर्श किए बिना कुछ मिलों द्वारा बढ़ाये गए मूल्य पर सरकार की अप्रसन्नता कागज उद्योग को बता दी गई है । सम्भरण की स्थिति सुधारने और मूल्यों को कम करने के लिए लिखने व छापने के कागजों की साधारण किस्म की प्राप्यता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं । जहां तक पोलिएस्टर फाइबर का संबंध है उस पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है लेकिन इसके चालू मूल्य औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा तय किए गए उचित मूल्यों के आसपास ही हैं।

साहूकारों द्वारा निकाले गए बी० सी० सी० एल० के आदिवासियों की बहाली

3003. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद, बिहार में वर्ष 1975 में बी० सी० सी० एल० की तेनतुलमाड़ी कोयला खान के 9 आदिवासी श्रमिक साहूकारों द्वारा कोयला खान से निकाल दिए गए थे और उनके स्थान साहूकारों के व्यक्तियों से बदल दिये गये थे ;

(ख) क्या मजिस्ट्रेट द्वारा जांच से यह बात प्रमाणित हो गई थी कि और इस षड़यंत्र के आरोप पर एक सहायक प्रबन्धक को गिरफ्तार किया गया था;

(ग) क्या इन 9 आदिवासियों को अभी तक सेवा में बहाल नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन आदिवासियों को बहाल करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) तेतुलमाड़ कोलियरी के 9 आदिवासी कामगार 4 से 8 महीने की अवधि तक अनधिकृत रूप से गैर-हाजिर हो रहे थे और उनकी लम्बी गैर-हाजिरी का लाभ

उठाते हुए कुछ अन्य लोगों ने उनकी जगह पर उन्हीं के नाम से काम करना शुरू किया । पता चलने पर इन लोगों को निकाल दिया गया था ।

(ख) कुछ लोगों ने पुलिस में जब ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि नकली नाम से काम करने वालों को काम पर रखने में कोलियरी के सहायक प्रबंधक का भी हाथ है, तो पुलिस ने कोलियरी के सहायक प्रबन्धक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था । इस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया था और बाद में पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर बागमारा, धनबाद के उप-प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे आरोप से मुक्त कर दिया था ।

(ग) व (घ) : इन कामगारों को काम पर वापस नहीं लिया गया क्योंकि वे लम्बे अर्से तक अनधिकृत रूप से गैरहाजिर रहे थे ।

Provident Fund amount outstanding against Coalmines in Bihar

3004. **Shri Rajendra Kumar Sharma**: Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) the amount of provident fund pertaining to 1975-76, 1976-77 and 1977-78 outstanding against all coalmines in Bihar, separately and the names of these coalmines as also the action being taken to realise this amount;

(b) whether many coalmines have been closed down in Bihar as a result of which a number of workers have been rendered jobless and in some of the mines wokers have been retrenched; and

(c) whether payment of provident fund has not been made to the retrenched workers and if so, when this amount is likely to be paid to them ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) The public sector coal mines in Bihar are up-to-date in payment of provident fund.

(b) and (c) : Except in the Santhal Parganas District, there has been no closure of public sector coal mines. In Santhal Parganas a few highly uneconomic mines were closed down but no regular workers from these mines were retrenched and they were absorbed in other mines.

गंगा भागीरथी और हुगली नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना

3005. **श्री रोबिन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गंगा, भागीरथी और हुगली नदियों को "राष्ट्रीय जल-मार्ग" घोषित करने पर विचार कर रही है जैसा कि सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों ने सिफारिश की है :

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) (ख) तथा (ग) कुछ जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए विधान बनाने, और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गंगा, भागीरथी तथा हुगली को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । परन्तु इस समय यह बताना संभव नहीं कि प्रस्ताव पर कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा क्योंकि विभिन्न वित्तीय, कानूनी तथा प्रशासनिक पहलुओं की जांच की जानी है ।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ की लम्बाई

3006. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई 5.9 कि० मी० प्रति 1000 कि० मी० है जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है ;

(ख) क्या यह सच है कि चौथी और पांचवीं योजना अवधि के दौरान इस राज्य में एक भी पथ को राष्ट्रीय राजपथ घोषित नहीं किया गया ;

(ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से कतिपय मार्गों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के बारे में प्रस्ताव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 2670 कि० मी० है जो कि राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की दूसरी सबसे बड़ी लम्बाई है । यह क्षेत्रफल का 6.01 कि० मी० प्रति 1000 वर्ग कि० मी० आती है । जोकि केरल, जम्मू तथा कश्मीर और मणिपुर जैसे अनेक राज्यों की तुलना में कम नहीं है ।

(ख) और (ग) : जी, हां । परन्तु फिर भी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा ।

(घ) वित्तीय कठिनाइयों तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण भारत सरकार इस समय मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में कोई नई सड़क शामिल नहीं कर सकती है ।

कृषि तथा सिंचाई के लिये नियतन

3007. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **योजना** मंत्री कृषि तथा सिचाई के लिए नियतन के बारे में दिनांक 13 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3287 के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 के बजट के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के लिए इस बीच राज्यवार, अतिरिक्त परिव्यय का नियतन तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) : 1977-78 के बजट में बताए गए अतिरिक्त परिव्यय के आवंटन राज्यवार तैयार किए गए हैं, जिनमें (1) बड़ी मझौली सिंचाई, (2) ग्रामीण जलपूर्ति, (3) ग्रामीण सड़कें, (4) पम्पसैटों को बिजली चालित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण, और (5) दस्तकारी उद्योग तथा रेशम उद्योग से संबंधित पंजाब, हरिणाया, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के लिए अतिरिक्त परिव्यय के आवंटन शामिल हैं । इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

छोटी सिंचाई के संबंध में सहकारी और वाणिज्य बैंकों द्वारा वास्तव में दिए गए ऋण के राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए, 20 करोड़ रु० की अतिरिक्त धनराशि तंत्र सुधार और वारिता स्कीमों के लिए हैं। राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

1977-78 के बजट में अतिरिक्त परिव्ययों का आवंटन

विवरण

1. **बड़ी और मझौली सिंचाई**

पंजाब

	(लाख रु०) धनराशि
क. **सिंचाई**	
जारी स्कीमें	
शाह नहर फीडर	100.00
नहरों का अस्तरण †	250.00
नई स्कीमें	
1. शाह नहर तंत्र में विस्तार और सुधार	50.00
2. थाइन बांध	300.00
	700.00
ख. (बाढ़ नियंत्रण)	
फरीदकोट जिले में जलग्रस्तता और जल निकासी की बाधाओं को दूर कर के सिंचाई नियंत्रण क्षेत्र के सुधार के लिए स्कीम	100.00
जोड़	800.00

†अननुमोदित स्कीमें

राजस्थान

जारी स्कीमें	
1. माही बजाज सागर	200.00
2. जाखम	150.00
नई स्कीमें	
1. राजस्थान नहर चरण 2	200.000†

† राजस्थान नहर चरण 2 योजना के अन्तर्गत किया गया अतिरिक्त परिव्यय आंशिक रूप में 5 उद्वहन नहरों और आंशिक रूप में चरण 2 में मुख्य नहर के निर्माण कार्य के लिए है।

मझौली स्कीमें	(लाख रुपये)
1. पंचाना	10.00
2. सोमकामलस अम्बा	60.00
3. दैया	10.00
4. जादल	10.00
5. वार्गो दिक्परिवर्तन	65.00
6. लासोरिया	25.00
जोड़	730.00
हरियाणा	
जारी स्कीमें	
पंडित जवाहर लाल नेहरू उद्वहन सिंचाई स्कीम	500.00
आधुनिकीकरण स्कीमें	
(1) नालियों का अस्तरण† नलकूपों का विस्तार †	100.00
जोड़	600.00

†अननुमोदित स्कीमें

हिमाचल प्रदेश

शून्य

2. ग्रामीण जलपूर्ति

पंजाब	
1. ग्रामीण जल स्कीमें	100.00
2. प्रबोधन कक्षों की स्थापना	0.60
3. अन्वेषण इकाइयां	1.50
राजस्थान	
1. ग्रामीण जल स्कीमें	200.00
2. प्रबोधन कक्षों की स्थापना	0.80
3.अन्वेषण इकाई	1.50

हरियाणा

	(लाख रु०)
1. ग्रामीण जल स्कीमें	140.00
2. प्रबोजन कक्ष की स्थापना	0.60
3. अन्वेषण इकाइयां	1.50

हिमाचल प्रदेश

1. ग्रामीण जल स्कीमें	150.00
2. प्रबोधन कक्ष की स्थापना	0.60
3. अन्वेषण इकाइयां	2.00

3. ग्रामीण विद्युतीकरण

पंजाब	1210.00
राजस्थान	1225.00
हरियाणा	500.00
हिमाचल प्रदेश	360.00

4. ग्रामीण सड़कें

पंजाब	45.00
राजस्थान	135.00
हरियाणा	30.00
हिमाचल प्रदेश	35.00

5. हथकरघा उद्योग और रेशम उत्पादन

1977-78 के लिए हथकरघा उद्योग और रेशम उत्पादन के लिए स्कीमवार परिव्यय निर्धारित किए गए हैं । हथकरघा उद्योग के विकास के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

राज्य	सहकारी समावेशन का विस्तार	गहन विकास परियोजनाएं	निर्यात उत्पादन परियोजनाएं	बुनाई से पहले और बाद की प्रक्रमण सुविधाएं	राज्य शीर्ष समितियां और हथकरघा विकास निगम को सहायता
					(लाख रु०)
1. हरियाणा	—	22.50	—	—	—
2. हिमाचल प्रदेश	2.50	—	—	—	—
3. पंजाब	5.00	—	—	—	10.00
4. राजस्थान	5.00	22.50	—	—	5.00

6. रेशम उत्पादन का जहां तक प्रश्न है 1977-78 के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय की 4 करोड़ रु० की धनराशि में ऊपर बताए गए राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता की परिकल्पना नहीं है ।

बी० सी० सी० एल० और सी० सी० एल० में सी० आई० एल० के चेयरमैन के दौरों पर खर्च की गई धनराशि

3008. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान बी० सी० सी० एल० और सी० सी० एल० में सी० आई० एल० (पहले सी० एम० ए० एल०) के चेयरमैन ने कितने दौरे किये और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) क्या आपात स्थिति के दौरान सी० आई० एल० के चेयरमैन के दौरे के लिए गिड्डी कोयला खान हजारीबाग बिहार में मार्ग के सामने क्वार्टरों की अगली दिवारों पर रोगन किया गया था तथा सिर्फ दिखावट के लिए व्यर्थ धनराशि खर्च की गई थी; और

(ग) क्या आपात स्थिति के दौरान चेयरमैन के संबंध में की गई फिजूलखर्ची की सरकार विस्तृत जांच करवायेगी तथा उस पर कार्यवाही करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष ने भारत कोकिंग कोल लि० तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० का 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान क्रमशः 13 और 16 बार दौरा किया । इस संबंध में व्यय का अनुमान लगभग 1,11,000 रुपए है ।

(ख) जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा ई० सी० एल० में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कर्मचारी

3009. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनवाद जिले में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा ई० सी० एल० (निरसा भुगमा क्षेत्र) में राष्ट्रीयकरण के समय अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों की प्रतिशतता क्या थी और अब उनकी प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या आपात काल के दौरान अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के बहुत से कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई थी और नयी भर्ती में चाहे नियमित कर्मचारियों के रूप में हो चाहे प्रशिक्षु के रूप में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों की प्रतिशतता की उपेक्षा की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीयकृत कोलियरियों की हरिजन तथा आदिवासी विरोधी नीति की पूरी जांच करवाने का है ताकि श्री मकबल के दुर्बल वर्ग को न्याय मिल सके ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) चूंकि प्राइवेट मालिकों के रेकार्ड में अनुसूचित जन जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या नहीं थी अतः राष्ट्रीयकरण के समय भारत कोकिंग

कोल लि० तथा ईस्टर्न कोलफील्डस लि० के निरसा-मुगमा अंचल में ऐसे कर्मचारियों का प्रतिशत बताना संभव नहीं है । 1977 के आरम्भ में इनकी संख्या 44.7 प्रतिशत थी ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) कोल इंडिया लि० द्वारा हरिजन अथवा आदिवासी विरोधी किसी नीति का अनुसरण नहीं किया जा रहा है ।

तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए ईंधन का विकास

3010. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा शक्तिशाली यूरेनियम की सप्लाई बन्द कर दिए जाने की स्थिति में तारापुर परमाणु बिजली घर को चलाने के लिए देश में प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम का मिला-जुला ईंधन तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में सार्वजनिक गाड़ियों के ड्राइवरों के खिलाफ शिकायतें

3011. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 9 मास में दिल्ली में आटो रिक्शा, टैक्सियों तथा मिनी बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों के दुर्व्यवहार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं :

(ख) गत 9 मास में आटो रिक्शा/टैक्सी और मिनी बसों के ड्राइवरों की लापरवाही और अन्धाधुन्ध चलाने के कारण कितनी दुर्घटनाओं (घातक और साधारण) की रिपोर्ट मिली; और

(ग) दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) गत 9 मास में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

आटो रिक्शा ड्राइवर	3296
टैक्सी ड्राइवर	782
मिनी बस ड्राइवर तथा कंडक्टर	48

(ख) गत 9 मास में दुर्घटनाओं के स्वरूप के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

घातक	43
घायल	341
घायल नहीं हुए	16

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कार्यवाई की गई हैं:—

1. यातायात पुलिस गति से अधिक तथा लापरवाही से चलाने के लिए आक्समिक जांच कर रही है तथा अपराधियों पर मुकदमा चला रही है।

2. घटनास्थल पर मुकदमों के लिए चलते-फिरते न्यायालयों की संख्या उसे बढ़ा कर 5 कर दी गई है।

3. सड़क सुरक्षा शिक्षा का एक अति विशाल अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के दौरान सड़क सुरक्षा संबंधी संदेश रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमों, सताइजों लेक्चरों तथा इश्तहारों के वितरण से प्रसारित किए जाते हैं।

4. कुछ सड़कों पर माल चढ़ाने तथा उतारने तथा वाहन ठहराने तथा एक तरफ से प्रवेश के लिए प्रतिबंध लगाये जो रहे हैं।

5. सड़कों को चौड़ा करने तथा सुधारने तथा साइकिलों के लिए अधिक मार्गों के निर्माण के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

आकाशवाणी के बारे में वर्गीज प्रतिवेदन

3012. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्तशासी निगमों में बदलने के प्रश्न की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) जी हां।

(ख) सिफारिशें रिपोर्ट में निहित हैं जो सदन की मेज पर पहले ही रखी जा चुकी हैं;

(ग) सरकार को रिपोर्ट पर अभी विचार करना है।

दिल्ली परिवहन निगम के मार्गों पर प्राइवेट बसों का चलाया जाना

3013. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के मार्गों पर भारी यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम के प्रबन्धकों ने सभी मार्गों पर बसें चलाने के लिए प्राइवेट बसों के मालिकों को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राइवेट बसों के मालिकों की उन मार्गों पर बसें चलाने की अनुमति नहीं दी गई है जहां नई दिल्ली नगरपालिका रीगल से लोदी कालोनी, सरोजिनी नगर मार्केट, नारोजी नगर, किदवई नगर और नानकपुरा के मार्गों पर (रूट संख्या 40, 50, 52 और 630) अपनी बसें चला रही हैं;

(ग) गत नौ महीनों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम और प्राइवेट बसों के मालिकों ने और नई कितनी बसें चलाई हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) बस सेवा में संपूर्ण सुधार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी मंत्री (श्री चांद राम) : (क) कुछ मार्गों पर नियमित यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम द्वारा किलोमीटर योजना के अन्तर्गत निजी परिचालकों की बसें लगाई गई हैं।

(ख) रूट संख्या 40, 50, 52 तथा 630 पर दिल्ली परिवहन निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से बसें लगाई जा रही हैं। सभी प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली नगर पालिका की सेवाओं का परिचालन किसी भी अन्य निजी परिचालक के परिचालन के समान समझा जाता है।

(ग) जून, 1977 से फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम ने अपने बेड़े में 20 बसों की वृद्धि की है तथा 71 बसें बेड़े से निकाल दी गई । उस अवधि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत निजी बसों की संख्या बढ़ कर 412 हो गई।

(घ) बसों की वृद्धि से दिल्ली परिवहन निगम अधिक यात्री ले जा रहे हैं तथा प्रतिदिन अधिक कि० मी० तय कर रहा है जिससे शहर की परिवहन समस्या आसान हो गई है।

लारेंस रोड के प्रतिदिन आने जाने वाले यात्रियों द्वारा एक नये रूट की मांग

3014. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लारेंस रोड जो निम्न आय वर्ग की एक डी० डी० ए० कालोनी है के दिल्ली परिवहन निगम के प्रतिदिन आने-जाने वाले बस यात्री सराय रोहिल्ला ऊपरी पुल से होते हुए केन्द्रीय सचिवालय के लिए एक नये रूट और उनके पुराने रूट नम्बर 54 बी० को भी फिर से दहाल करने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी मंत्री (श्री चांद राम) : (क) ऐसी कोई मांगें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लक्षद्वीप का औद्योगिक विकास

3015. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के औद्योगिक विकास के लिए गत पांच वर्षों के दौरान बजट में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या बजट में नियत राशि का उपयोग किया गया है; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार के संघ राज्य क्षेत्र के लक्षद्वीप में लघु उद्योग अथवा कुटीर उद्योग स्थापित करने के कोई प्रस्ताव हैं; यदि हां, तो वे क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) : पिछले पांच वर्षों के संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(रुपये लाखों में)

	अनुमोदित	व्यय
1973-74	1.70	1.50
1974-75	1.70	2.87
1975-76	2.00	2.06
1976-77	2.75	2.54
1977-78	3.60	3.37 (प्रत्याशित)
	11.75	12.34

उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि जबकि 1973–74 से 1977–78 के वित्तीय वर्षों के लिए स्वीकृत परिव्यय 11.75 लाख रु० था लेकिन 31-3-1978 तक अनुमानित व्यय 12.34 लाख रुपये तक का होगा।

(ग) लघु और कुटीर उद्योगों के विकास में सरकार की भूमिका मुख्यतः संवर्धनकारी है। सारे संघ शासित क्षेत्र को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है जिससे कि यह रियायती वित्त और केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना का पात्र है। 1978-79 की वार्षिक योजना में लघु उद्योग, कयर उद्योग और हस्तशिल्प के विकास के संवर्धन की योजनाएं शामिल हैं। 1978-79 की वार्षिक योजना में लघु उद्योग, कयर उद्योग और हस्तशिल्प के विकास के लिए 5.14 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है जबकि 1977-78 में अनुमानित व्यय 3.37 लाख रुपये का है।

लक्षद्वीप के विकास के बारे में ज्ञापन

3016. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप संघ-राज्य क्षेत्र के प्रशासक ने उपरोक्त क्षेत्र के भावी विकास के संबंध में पृष्ठभूमि बताने वाले कागजात और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त कागजात और ज्ञापन के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) नहीं श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लक्षद्वीप द्वीपसमूह में नगरपालिकाओं की व्यवस्था करना

3017. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए कावरट्टी में नगरपालिका की और लक्षद्वीप संघ-राज्य क्षेत्र के अन्य द्वीपों में अन्य स्थानीय स्वायत नगर निकायों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह मामला कब से विचाराधीन है;

(ग) निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में कब तक निर्णय किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) कावरट्टी में नगरपालिका की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र में बसे सभी द्वीपों में पंचायतें बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख), (ग) तथा (घ), मार्च 1976 में हुई अपनी बैठक में लक्षद्वीप के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति ने लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र में पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। लक्षद्वीप प्रशासन के परामर्श से तैयार किये गये विनियम का प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया जा रहा है।

नेफ्था झांकी पन बिजली परियोजना

3018. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारें सतलुज नदी पर नेफ्था झांकी पन बिजली परियोजना के मामले में सहयोग करने के लिए सहमत हो गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस बातचीत में क्या रुकावट है; और

(ग) इस परियोजना में तेजी लाने के लिए सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) : यद्यपि नेफ्था झांकी जल-विद्युत् परियोजना में सहयोग के संबंध में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की भूतपूर्व सरकारों में जनवरी/फरवरी 1977 में कुछ बात-चीत हुई थी परन्तु कोई औपचारिक समझौता अभी तक नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) पता चला है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार अन्य राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के साथ जल-विद्युत् परियोजनाओं में सहयोग के सिद्धान्तों संबंधी सम्पूर्ण मामले पर पुनर्विचार कर रही है और इस मामले पर केन्द्र सरकार के साथ यथाशीघ्र विचार-विमर्श करेगी।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 400 किलोवाट श्रेणी का ट्रांसफार्मर बनाया जाना

3019. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 400 किलोवाट श्रेणी के कितने ट्रांसफार्मरों का निर्माण किया तथा किन तापीय बिजली घरों के लिए किया;

(ख) क्या यह उत्पादन देश की आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा; और

(ग) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से उसके उत्पादनों में निर्यात हेतु विदेशों से पूछ-ताछ की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क) : वर्ष 1977-78 की अवधि में बी० एच० ई० एल० द्वारा निर्मित किये गये 400 के० वी० श्रेणी के ट्रांसफार्मरों का विस्तृत ब्यौरा तथा किसके लिए बनाये गये इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

400 के० वी० श्रेणी पावर ट्रांसफार्मर	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड के ओबरा ताप बिजली घर के लिए एक।
400 के० वी० श्रेणी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर	17 नग इन्स्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मरों में से 10 नग महाराष्ट्र राज्य विद्युत् बोर्ड तथा शेष 7 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड के लिए बनाये गये थे।

(ख) अन्य एककों विशेषत: केरल राज्य क्षेत्र का एकक ट्रांसफार्मर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (टैल्क) सहित बी० एच० ई० एल० की उत्पादन क्षमता देश की मांग को पूरा कर सकती है।

(ग) जी हां।

वार्षिक योजना परिव्यय में कमी

3020. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 11,900 करोड़ रुपये के प्रस्तावित वार्षिक योजना परिव्यय में 280 करोड़ रुपये की कमी करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कटौती का प्रभाव मुख्यत: केन्द्रीय क्षेत्र के बड़े पैमाने के उद्योग पर पड़ा है; और]

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वार्षिक योजना परिव्यय को अभी राष्ट्रीय विकास परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना है और उसको संसद के सम्मुख 1978-79 के बजट में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माल पोत-लदान

3021. **श्री के० प्रधानी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान देश के प्रमुख पत्तनों पर पोत-लदान तथा माल चढ़ाने-उतारने से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) बड़े पत्तनों पर 1976-77 के दौरान धरा उठाई किया गया अनुमानित माल :

पत्तन	लदान	उतार	कुल
			(लाख टनों में)
बम्बई	52.00	121.00	173.00
कलकत्ता	31.57	48.61	80.18
मद्रास	30.70	47.70	78.40
कोचीन	11.98	35.70	47.68
विज़ाग	61.39	25.60	86.99*
कान्डला	1.84	31.29	33.13
पारादीप	31.49	1.51	33.00*
मारमुगाव	128.43	6.19	134.62
तूतीकोरीन	3.05	3.25	6.30
मंगलौर	1.27	3.03	4.30

*भेजे गए माल को छोड़कर।

(ख) बड़े पत्तनों के लिए 1976-77 के वर्ष में विदेशी मुद्रा की राशि के आंकड़े समेकित नहीं किए जा रहे हैं।

Loss and Profit of DTC

†3022. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 564 on the 16th November, 1977 regarding loss and profit of DTC and state :

(a) Whether a loss of Rs. 1242.99 lakhs and Rs. 1040.04 lakhs has been suffered in 1975-76 and 1976-77 respectively; if so, the main reasons the reof;

(b) the nature and the value of the goods purchased in 1974-75, 1975-76 and 1976-77 upto December separately and whether a report of misappropriation in these purchases and goods has been received by Government; if so, the amount thus misappropriated;

(c) the steps taken by Government to reduce and make up the loss suffered;

(d) whether it is also a fact that goods are not purchased after inviting tenders for the purpose and as a result thereof inferior quality goods are purchased at higher rates; and

(e) the number of cases detected by Government in which the goods supplied by the dealers were old and of inferior quality?

Minister of State incharge of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) The loss suffered by D.T.C. during the relevant years is as under :

Year	Loss (Rs. in lakhs)
1975-76	1242.99
1976-77	1040.04

The main reason for the losses is the present fare structure of the Corporation, which is much lower than the level of operational costs.

(b) The information required is given below :

Year	Nature of goods purchased	Value of goods (Rs.)
1975-76	Auto Spares	1,46,18,852.13
	Misc. Stores	26,39,809.26
	POL	1,14,43,326.58
	Diesel	4,10,99,000.00
	Tyres, Tubes & Retreading Material	1,99,20,397.15
		8,97,21,385.12
1976-77	Auto Spares	1,94,69,745.00
	Misc. Stores	25,75,823.07
	POL	1,29,42,711.76
	Diesel	5,24,20,000.00
	Tyres, Tubes & Retreading material	2,15,75,602.68
	TOTAL	10,89,83,882.51
1977-78 (upto 31-12-77)	Auto Spares & Misc. Stores	2,16,37,604.17
	POL	1,27,17,168.33
	Diesel	3,84,30,000.00
	Tyres, Tubes & Retreading material	2,31,16,181.21
	TOTAL	9,59,00,953.71

No specific complaint or report has been received about misappropriation of funds in the course of the purchases.

(c) To cover the working losses in future, proposals received from the Corporation for revision of fare structure for the city services are under consideration of Government. Steps have also been taken by the Corporation to improve its performance all round with a view to optimising the operations.

(d) Only urgent requirements are procured by the Corporation on cash basis and the Corporation proposes to keep down such purchases to the minimum.

(e) All the goods received from the firms are subjected to inspection. The number of cases in which the material supplied by the firms was rejected, after inspection, is indicated below :—

Year	No. of cases	Value
1975-76	625	Rs. 10,98,812.38
1976-77	579	Rs. 5,36,423.11
1-4-77 to 31-12-77	465	Rs. 4,53,936.96

उद्योगों का विकेन्द्रीकरण क्षेत्र में अन्तरण

3023. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़े उद्योगों को साबुन, जूते और बुनाई जैसे कुछ उद्योगों को दस वर्षीय चरणबद्ध कार्यक्रम में छोड़ देने के लिए कहने हेतु सरकार ने कौन-सी योजना बनाई है जिससे इन उद्योगों की पूरी क्षमता विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में अन्तरित की जा सके।

(ख) देश में कितने बड़े उद्योग हैं जो जूते, साबुन और कपड़ा बनाते हैं और प्रत्येक उद्योग में कितनी पूंजी लगी हुई है और कितने श्रमिक काम कर रहे हैं; और

(ग) साबुन, कपड़े और जूते की बड़े उद्योगों द्वारा नियन्त्रित कुल बिक्री का 'मार्केट शेयर' कितना है और उसमें विदेश नियन्त्रित बड़े उद्योगों का शेयर कितना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) (ख) और (ग) नई औद्योगिक नीति में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में विस्तृत रूप से फैले कुटीर एवं लघु उद्योगों को कारगर ढंग से बढ़ावा देने के पर खास तौर से जोर दिया गया है। इस उद्देश्य के अनुसरण में केवल लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की एक सूची का पर्याप्त रूप में विचार किया गया है और इसमें 500 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं जहां बड़े पैमाने के एकक भी भले ही वे बड़े घरानों से सम्बद्ध हों अथवा नहीं पहले से ही उन वस्तुओं का उत्पादन करने में लगे हैं। जो अब लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दी गई हैं वहां उनकी क्षमता में विस्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ इन एककों के अंश को इन वस्तुओं की कुल क्षमता में धीरे-धीरे करके कम किया जाएगा तथा लघु एवं कुटीर क्षेत्र के अंश को बढ़ाया जायेगा। नीति में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि संगठित मिलों और विद्युत्करघा क्षेत्र की बुनाई क्षमता का और अधिक विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एककों की संख्या अधिष्ठापित क्षमता और साबुन, चमड़े और रबड़ के जूतों के वर्ष 1975 और 1976 का वार्षिक उत्पादन के बारे में जानकारी उद्योग मंत्रालय के वर्ष 1976–77 की रिपोर्ट में जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, दी गई हैं। काम कर रही कपड़ा मिलों की संख्या और उनके वर्ष 1975–76 और 1976–77 के उत्पादन के विषय में जानकारी वाणिज्य मंत्रालय के वर्ष 1976–77 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है। प्रत्येक औद्योगिक इकाई की पूंजी एवं उनमें नियोजित श्रमिकों तथा इन वस्तुओं की बड़े उद्योगों और विदेशी नियंत्रण वाले उद्योगों में नियंत्रित कुल बिक्री के विपणन अंश संबंधी सांख्यकीय विवरण केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते।

विदेश प्रसारण सेवा

3024. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत से बाहर को रेडियो प्रसारण के लिए कितनी चेनलों तथा भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और इन प्रसारणों को एक दिन में कितना समय दिया जाता है;

(ख) आकाशवाणी की विदेश सेवाओं को सुनने वाले अनुमानतः कितने लोग हैं और कितने देशों के लिए यह प्रसारण किये जाते हैं;

(ग) विदेश सेवाओं में प्रसारित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनसे किस उद्देश्य की पूर्ति की आशा की जाती है; और

(घ) उन विदेशी प्रसारणों का ब्यौरा क्या है जो विदेशों में भारत की वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किये जाते हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) (1) अधिकांश कार्यक्रम दो या अधिक ट्रांसमीटरों (अर्थात् 3, 4 या 5) पर प्रसारित किए जाते हैं तथासभी सेवाओं के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले ट्रांसमीटरों की कुल संख्या 17 है। सिन्हाला तथा पंजाबी में कार्यक्रम एक-एक ट्रांसमीटर पर प्रसारित किए जाते हैं।

(2) विदेश सेवाओं के कार्यक्रम अंग्रेजी तथा आठ भारतीय भाषाओं सहित 16 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं। एक दिन के सभी प्रसारणों का कुल समय 56 घंटे है।

(ख) किसी व्यवस्थित अध्ययन के अभाव में विदेशों में विदेश प्रसारणों के श्रोताओं की अनुमानित संख्या देना कुछ कठिन है। तथापि, 1976 तथा 1977 के दौरान श्रोताओं से प्राप्त पत्रों की संख्या क्रमशः 1,74,144 तथा 1,75,420 थी। इन आंकड़ों में पूरे उप-महाद्वीप से उर्दू सेवा के संबंध में प्राप्त पत्र की शामिल हैं। अतः यह निश्चय से कहा जा सकता है कि श्रोताओं की वास्तविक संख्या उनसे कहीं अधिक है जो विदेश सेवा प्रभाग को पत्र लिखते हैं।

विदेश प्रसारण निम्नलिखित देशों के लिए किए जाते हैं:—

क्रम संख्या	भाषा	लक्ष्य क्षेत्र
1.	समुद्र पारीय सेवा (अंग्रेजी)	पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया, उत्तर-पूर्वी एशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, बरतानिया, पश्चिम यूरोप, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम तथा उत्तरी अफ्रीका।
2.	फ्रेंच	पूर्वी एशिया, उत्तर तथा पश्चिमी अफ्रीका।
3.	रूसी	सोवियत संघ
4.	उर्दू	पाकिस्तान
5.	पंजाबी	पाकिस्तान
6.	सिन्धी	पाकिस्तान
7.	बलूची	पाकिस्तान
8.	नेपाली	नेपाल तथा भारत के नेपाली भाषी क्षेत्र।
9.	तिब्बती	तिब्बत, भूटान तथा भारत के तिब्बती भाषी क्षेत्र।
10.	बर्मी	बर्मा
11.	सिन्हाला	श्रीलंका
12.	बंगला	बांगलादेश
13.	चीनी	चीन
14.	इण्डोनेशियाई	इण्डोनेशिया
15.	अरबी	मिस्र, सीरिया, जोर्डन, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कतार, ओमन, बहरीन, कुवैत, मोरोको, लीबिया, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरितानिया, नाइजीरिया, सूडान, लेबनान।

क्रम संख्या	भाषा	लक्ष्य क्षेत्र
16.	फारसी	ईरान
17.	पश्तो	अफगानिस्तान
18.	दारी	अफगानिस्तान
19.	स्वाहिली	पूर्वी अफ्रीका, तंजानिया, कीनिया, उगांडा ।
20.	हिन्दी (पूर्वी)	दक्षिण-पूर्वी एशिया, बर्मा, थाईलैंड, कम्बोडिया, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, बांगलादेश।
21.	हिन्दी (पश्चिमी)	पूर्वी अफ्रीका, तंजानिया, उगांडा, केन्या, जाम्बिया मोरीशस।
22.	गुजराती	पूर्वी अफ्रीका
23.	तमिल	दक्षिण एशिया (मलाया, बोर्नियो, सुमाटा, इंडोनेशिया, सिंगापुर)।
24.	कोंकणी	पूर्वी अफ्रीका

(ग) विदेश सेवाओं के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस प्रकार हैं:—

भारतीय संगीत/हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक (शास्त्रीय, सुगम, वाद्य, भक्ति, फिल्म तथा लोक)।

लक्ष्य देशों का संगीत।

समाचार बुलेटिन, कमेंट्रियां, प्रेस समीक्षाएं।

सांस्कृतिक ऐतिहासिक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विषयों पर वार्ताएं,

चर्चाएं और इन्टरव्यू।

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की भारत यात्राओं तथा भारतीय गणमान्य व्यक्तियों की विदेशों की यात्राओं की रेडियो न्यूज़/रीलें/रेडियो] रिपोर्ट/प्रसारण पश्तो और अंग्रेज़ी के श्रोताओं के लिए हिन्दी पाठ।

पाकिस्तान तथा अरब देशों में श्रोताओं के लिए कुरान से पाठ तथा भक्ति संगीत।

नाटक और रूपक, संगीत नाटिकाएं और रूपक, परिवार कल्याण पर कार्यक्रम, विज्ञान पत्रिकाएं तथा खेल कूद पत्रिकाएं।

विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की प्रतिशतता मोटे तौर से इस प्रकार है:—

संगीत	50 प्रतिशत
भाषित शब्द	30 प्रतिशत
समाचार तथा सामयिक मामले]	10 प्रतिशत
अन्य	10 प्रतिशत

(घ) विदेश सेवा प्रभाग की विभिन्न भाषायी यूनिटों द्वारा प्रसारित दैनिक कमेंटियों और प्रेस समीक्षाओं में, जब भी संभव होता है, देश की वाणिज्यक एवं औद्योगिक छवि प्रकट करने का प्रयत्न किया जाता है। इन प्रसारणों के अलावा समाचारों, रूपकों, वार्ताओं, क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों, इन्टरव्यूओं, चर्चाओं, इत्यादि का भी विदेशों में भारत की वाणिज्यिक तथा औद्योगिक छवि प्रकट करने के लिए उपयोग किया जाता है।

निदेशालय के निरीक्षण एकक से सम्बद्ध कर्मचारियों की संख्या

3026. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निदेशालय के निरीक्षण एकक के साथ कितने कर्मचारी सम्बद्ध हैं; उनके पदनाम क्या हैं और उनकी सिब्बन्दी पर कितना वार्षिक व्यय होता है;

(ख) एकक द्वारा 1974, 1975, 1976 और 1977 के दौरान कुल कतने निरीक्षण किये गये; और

(ग) इन निरीक्षणों से प्रशासकीय अनियमितताओं, वित्तीय अनियमितताओं आदि के रूप में सरकार को क्या लाभ हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) एक विवरण जिसमें निदेशालय के निरीक्षण एकक से सम्बन्द्ध कर्मचारियों की संख्या, उनके पदनाम तथा उनकी सिब्बन्दी पर किया गया वार्षिक व्यय दिया गया है, सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट 'क')।

(ख)

वित्तीय वर्ष	किए गए निरीक्षणों की संख्या
1974–75	11
1975–76	2
1976–77	12
1977–78	15

(ग) निरीक्षणों के दौरान जो प्रशासकीय कठिनाइयां तथा अनियमितताएं ध्यान में आती हैं, उनकी लिखित में कार्रवाई टिप्पणियों के माध्यम से कार्यालय के प्रमुख के ध्यान में लाया जाता है और उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं। ऐसे निरीक्षण केन्द्रों/कार्यालयों के प्रमुखों को प्रत्यायोजित अधिकारों के दुरुपयोग पर काफी रोक रखते हैं तथा वित्तीय अनियमितताओं तथा प्रशासनिक कदाचारों को रोकते हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक तथा वित्तीय दक्षता आती है। निरीक्षणों के दौरान केन्द्र के कार्यक्रमों की भी जांच की जाती है और यदि आवश्यक समझा जाता है तो उनमें परिवर्तन किया जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	पद श्रेणी	वेतनमान	पदों की संख्या	1977-78 के दौरान किया गया व्यय
1		2	3	4
				रुपये
1.	उप-महानिदेशक	समूह 'क' के पद : 2000-125/2-2250 रुपये	1	29,603.00
2.	सहायक केन्द निदेशक	900-40-1100-द. रो.-50-1400 रु०	1	16,398.40
3.	लेखा निरीक्षक	समूह 'ख' के पद : 840-40-1000-द. रो.-40-1200 रु०	3	54,555.10
4.	लेखाकार	समूह 'ग' के पद : 425-15-500-द. रो.-15-560-20-700 रुपये	6	55,317.40

1	2	3	4
5. स्टेनोग्राफर	330-10-380-द. रो.-12-500-द. रो.-15-560 रुपये	2	13,775.50
6. अवर श्रेणी लिपिक	260-6-290-द. रो.-6-326-8-360-द. रो-8-390-10-400 रुपये	3	17,119.55
7. दफ्तरी	समूह 'घ' के पद : 200-3-206-4-234-द. रो.-4-250 रु०	1	4,868.60
			1,91,637.55

मध्य प्रदेश में औद्योगिक उपक्रमों में बिजली की खपत

3027. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों में बिजली की कुल किपनी खपत होती है; और

(ख) क्या उपरोक्त केन्द्रीय उपक्रमों को बिजली देने हेतु मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों से महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) अप्रैल से सितम्बर, 1977 के दौरान मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों में 791 मिलियन यूनिट की खपत हुई, जो कि कुल बिक्री का लगभग 35 प्रतिशत है।

(ख) जी, नहीं। केवल केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कारण ही नहीं बल्कि अन्य उपभोक्ताओं के कारण भी मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड बिजली की खरीद, मांग को पूरा करने में रहने वाली कुल कमी को पूरा करने के लिए, पड़ोसी प्रणालियों से करता है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को बिजली का सप्लाई

3028. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरोली में प्रस्तावित संयंत्र से बिजली के उत्पादन का 42 प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश राज्य को मिलेगा;

(ख) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा बनाये जाने वाले कोरबा संयंत्र से केवल 29 प्रतिशत तापीय बिजली मध्य प्रदेश राज्य को मिलेगी; और

(ग) ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) केन्द्रीय सेक्टर में पिटहेडों के समीप स्थापित किए जा रहे विशाल ताप विद्युत् केन्द्रों का अभिप्राय क्षेत्र के संघटक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को लाभ

पहुंचाना है। पन्द्रह प्रतिशत क्षमता अनाबंटित रखी गयी है जो आवश्यकताओं के आवधिक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को दी जाएगी। बिजली की शेष मात्रा का आबंटन, राज्य को दी गयी केन्द्रीय सहायता और उसकी ऊर्जा खपत को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र के राज्यों में स्थायी आधार पर कर दिया गया है।

इस आधार पर, सिंगरोली में प्रतिष्ठापित की जाने वाली 2000 मेगावाट की चरम क्षमता में से उत्तर प्रदेश की 850 मेगावाट क्षमता आबंटित की गयी है। कोरबा परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। 1000 मेगावाट के प्रथम चरण में से, मध्य प्रदेश को 290 मेगावाट का आबंटन किया गया है। बाद के 1100 मेगावाट के चरण का काम जब शुरू किया जाएगा तो मध्य प्रदेश को इसी प्रकार का आबंटन कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बरता गया है और दोनों ही मामलों में, बिजली के आबंटन के लिए, समान मानदण्ड अपनाया गया है।

प्रादेशिक सेना में मध्य प्रदेश से अधिकारियों की नियुक्ति

3029. **श्री निहार लास्कर**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1960 से मध्य प्रदेश से कितने श्रम तथा रोज़गार अधिकारियों को प्रादेशिक सेना में सेवा के लिए बुलाया गया है, और

(ख) उनके सेवा में संरक्षण जैसे स्थायीकरण और पदोन्नति, सेवा में वेतन वृद्धियां: और सिविल सेवा में वापिस जाने पर उनके वेतन के निर्धारण के बारे में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) एक।

(ख) प्रादेशिक सेना में सेवा करने वाले सिविलियन कर्मचारियों के लिए प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 की धारा 7-क के अन्तर्गत संरक्षण की व्यवस्था है।

Appointment of persons from all States in Doordarshan

3030. **Shri D. Y. Ram Shakya**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to State:

(a) whether it is a fact that by giving preference to the graduates of the Film and Television Technology Institute, Madras in the matter of appointments by the Director-General Doordarshan, the Hindi speaking persons and north Indians will not be appointed because there is no film training centre in those States; and

(b) whether Government will make arrangements to ensure that persons from all States are appointed in Doordarshan Department?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) & (b) Candidates irrespective of the States to which they belong, are considered for appointment in Doordarshan. Preference, however, is given to diploma holders of Film & Television Institute of India, Pune and the institute of Film & Television Technology, Madras in the appointment of Cameraman, Film Editor and Sound Recordist. Admission to these institutes is open to all including Hindi speaking persons and north Indians.

Appointment of Cameramen in T.V.

3031. **Shri D. Y. Ram Shakya:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) The number of Cameramen appointed in Television during the period from January, 1970 to January, 1978; and

(b) whether Government would give perference to experienced persons while making appointments in Television till such time a film Institute is established in Northern India?

Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) 142 Cameramen Grade II have been appointed during the period January, 1970 to January, 1978. 12 Cameramen Grade II were promoted as Cameraman Grade I during this period.

(b) All appointments to the post of Cameraman are made in accordance with the Recruitment Rules for the posts which are as under :—

ESSENTIAL :

(i) Matriculation or equivalent.

(ii) Diploma or degree in Cinematography from a recognised Institute.

Preference will be given to diploma holders from:–

(*a*) The Film and Television Institute of India, Pune.

(b) The Institute of Film and TV Technology, Madras.

All appointments are made irrespective of the consideration of place of residence of applicants. Any exception made on regional basis will not be appropriate.

Allocation of Funds for Tribal Sub-Plan Project for Gujarat

3032. **Shri Chhitubhai Gamit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount allocated for Mandvi-Songarh and Wansda tribal sub-plan project in Gujarat upto March, 1978 and the details thereof ;

(b) the amount spent so far and the details thereof; and

(c) the steps taken and proposed to be taken for economic and social uplift of Adivasi agricultural labourers and most backward castes in Adivasis and to ensure full employment to them?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) to (c) The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.

Foreign Names in Andaman and Nicobar Islands

3033. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the names of the islands in Andaman and Nicobar group of islands and roads therein still bear the names of foreigners; and

(b) if so, whether Government propose to change their names and name them after the names of those freedom-fighters who have suffered in jails there?

Minister of State in the Miinstry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) Some of the islands in the Andaman and Nicobar group of Islands bear the names of foreigners. However no road bears such a name.

(b) The matter is under consideration of Government.

दिल्ली परिवहन निगम का दो स्तरीय किराया

3034. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की बसों के लिए 30 पैसे और 60 पैसे का वर्तमान दो स्तरीय किराया नियत करने में किन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है;

(ख) क्या रूटों पर, जिनकी टर्मिनल से टर्मिनल तक की दूरी 20 किलोमीटर के अन्दर है, चलने वाली बसों का किराया 30 पैसे है; और

(ग) यदि हां, तो लारेंस रोड से रीगल टर्मिनल तक चलने वाली बस रूट नम्बर 920 का किराया 60 पैसे लेने के क्या कारण हैं जबकि दिल्ली परिवहन निगम के रिकार्ड के अनुसार इसकी दूरी 20 किलोमीटर के अन्दर है तथा जिसके आधार पर निगम किलोमीटर योजना के अन्तर्गत प्राइवेट बसों के मालिकों को भुगतान कर रहा है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) 16 कि० मी० तक और विशेष कर उन मामलो में 16 कि० मी० की दूरी से अधिक परन्तु 20 कि० मी० से कम की दूरी वाले मार्गों/सेवाओं पर भी सफर करने के लिए प्रति व्यक्ति 30 पैसे का एकसा किराया लिया जाता है। मुद्रिका सेवा और 20 कि० मी० अथवा इसके अधिक की दूरी पर 16 कि० मी० तक के सफर के लिए 30 पैसे प्रति व्यक्ति और 16 कि० मी० से अधिक की दूरी के लिए 60 पैसे किराया लिया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) रूट सं० 920 की सही दूरी का पता लगाने के लिए निगम द्वारा एक ताज़ा सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके आधार पर, यदि आवश्यक हुआ, शुद्धियां की जायेंगी।

दूसरे प्रेस आयोग की नियुक्ति

3035. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरा प्रेस आयोग नियुक्त करने का विचार है;

(ख) क्या प्रस्तावित प्रेस आयोग के निर्देश पद व्यापक बनाने का विचार है;

(ग) क्या प्रेस आयोग समाचार पत्रों के स्वामित्व को अलग करने के प्रश्न पर भी विचार करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) : जी हां। -

(ख), (ग) तथा (घ) विचारणीय विषयों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

हावड़ा के बन्द औद्योगिक संयंत्र को अधिकार में लेना

3036. **श्री के० ए० राजन :**

श्री सौगत राय :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा हावड़ा स्थित बन्द औद्योगिक संयंत्र लि० को अपने अधिकार में लिए जाने के बारे में केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वह इसके लिए गैस्ट कीन विलियम लिमिटेड से सम्पर्क करें; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा उसके कारण क्या हैं और उस पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने नवम्बर, 1977 में केन्द्र सरकार को लिखकर सुझाव दिया था कि मे० इंडस्ट्रियल प्लांट्स लि० हावड़ा, जिसमें दिसम्बर, 1974 से तालाबंदी है, के मामलों की उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन जांच की जाए। प्रतिष्ठान को चलाने के लिए वित्तीय तथा प्रबंधकीय दायित्वों के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाई के बारे में निर्णय किया जाएगा।

कोयला खानों के मुहानों पर कोयला जमा हो जाना

3037. **श्री के० ए० राजन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में कोयला खानों के मुहानों पर कोयला जमा होना प्रारम्भ हो गया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन मास के स्टाक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान कोयले के उत्पादन में सुधार होने के कारण कोयले के स्टाक में वृद्धि हुई है।

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान खान मुहानों पर महीनों के अंत के स्टाक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

	(मिलियन टनों में अनन्तिम आंकड़े)
दिसम्बर, 1977	9.79
जनवरी, 1978	10.30
फरवरी, 1978	11.59

(ग) कोयले की वर्तमान मांग को देखते हुए कोयले का इतना स्टाक बिल्कुल उचित ही है।

आई० बी० एम० के कर्मचारियों को व्यापार चलाने के लिये सहायता

3038. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व आई० बी० एम० के कर्मचारियों ने भारत में इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा अब तक चलाए जा रहे संगणक केन्द्रों और चार संगणना केन्द्रों में चलाए जा रहे कार्ड निर्माण व्यापार को चलाते रहने के लिए सहायता देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उनके तथा बहुराष्ट्रीय समूह के बीच हाल ही में हुई बैठक में सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि आई० बी० एम० को शेयर में कमी किये बिना व्यापार चलाते रहने की अनुमति दी जाये; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों के रोज़गार के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) : यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जुलाई 1977 में इन्टरनेशनल बिजनेस मर्शान्स (आइ० बा० एम०) न मर साथ अपनी बैठक में भारत में अपना व्यापार चालू रखने के लिए अपने प्रस्ताव पेश किए थे जिसका आधार यह था कि वह अपनी साम्या पूंजी (ईक्विटी) को कम किए बगैर भारत में अपने व्यापार को चालू रखना चाहते थे। सरकार को यह बात मान्य नहीं थी और तब आई० बी० एम० ने भारत में अपने कार्य-व्यापार को धीरे-धीरे बन्द करने का निर्णय किया। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी, कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम ने आई० बी० एम० के 'ग्राहक इंजीनियरी विभाग' के सभी कर्मचारियों को नियुक्त करने की पेशकश की है और इन कर्मचारियों में से अधिकांश ने इस पेशकश को पहले ही स्वीकार कर लिया है।

"कम्प्यूटर प्रोडक्शन हैल्ड अप" शीर्षक समाचार

3039. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

डा० वसन्त कुमार पंडित :

क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इंडियन एक्सप्रेस' दिनांक 20 फरवरी, 1978 में 'कम्पयूटरों का उत्पादन रुक जाना' (कम्पयूटर प्रोडक्शन हैल्ड अप) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत में कम्प्यूटरों के उत्पादन की प्रक्रिया को गति देने तथा इस बारे में विशेष दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाई करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) फरवरी, 1971 में इलेक्ट्रॉनिकी आयोग के गठन के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने जो उपाए किए उनमें पहला कदम यह था कि मैसर्स इलेक्ट्रॉनिकी कारपोरेशन ऑफ इंडिया

लिमिटेड नामक सरकारी क्षेत्र के निगम को पर्याप्त मात्रा में अनुसंधान तथा विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था ताकि उक्त निगम अपने टी० डी० सी०-312 और टी० डी० सी०-316 किस्म के लघुकाय कम्प्यूटर (मिनी कम्प्यूटर) कार्यक्रमों के लिए हार्डवेयर (यंत्र सामग्री) तथा साफ्टवेयर (यंत्रेतर सामग्री) का विकास कर सके। आज तक ऐसे 70 मिनी कम्प्यूटर बेचे जा चुके हैं।

तथापि, लघुकाँय कम्प्यूटरों के इस आधार को और विस्तृत करने और उसकी किस्म में विविधता लाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने जून, 1972 में मिनी कम्प्यूटरों पर एक पैनल गठित किया। इस पैनल को जो मूल-भूत कार्य सौंपे गए थे वे इस प्रकार हैं: इस देश की आवश्यकताओं के अनुरूप मिनी कम्प्यूटरों के क्या उपयोग हो सकते हैं, इस बात का पता लगाना, उस आधार पर इस बात का अनुमान लगाना कि पांचवीं योजना अवधि के दौरान इन मशीनों की ओर उनके साथ लगने वाले उपान्त उपस्करों की कुल कितनी मांग होगी; और उनको स्थायी रूप से निर्मित करने के लिए प्रभावी योजना तैयार करना। उक्त पैनल ने सितम्बर, 1973 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में दो प्रमुख सिफारिशें कीं जो देश में मिनी कम्प्यूटर उद्योग को आरम्भ करने और उसे सुदृढ़ बनाने में अपनाई जाने वाली नीति के संबंध में थीं। प्रथमतः हमारे आर्थिक और विशेषकर औद्योगिक विकास के वर्तमान स्तर के कारण और समग्र रूप से हमारे सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों, विशेषकर नौकरी के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्यों को देखते हुए, हमें जिस किस्म के मिनी कम्प्यूटरों और उनके प्रयोग क्षेत्र की आवश्यकताएं होंगी वे मूलतः औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों की आवश्यकताओं से भिन्न हैं। दूसरे, चूंकि भारत में कम्प्यूट्रीकर की प्रक्रिया अपनी प्रारम्भिक व्यवस्था में है अतः मिनी कम्प्यूटर तथा सूक्ष्म संसाधित्रों (माइक्राप्रोससेर्स) के क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की दृष्टि से उन्नत देशों में जो प्रमुख प्रौद्योगिकीय विकास हो रहा है उनका पूरा लाभ उठाया जाए, विशेषकर जिस किस्म का निर्माण आधार हम बना रहे हैं उसके संदर्भ में प्रौद्योगिकीय विकास का पूरा लाभ उठाया जाए।

किन्तु जहां तक मिनी कम्प्यूटरों के लिए संसाधित्रों (प्रोसेसर्स) तथा उपान्त उपस्करों (पेरिफिरल्स) का प्रश्न है इन दोनों ही मामलों में विश्व में प्रौद्योगिकी की स्थिति परिवर्तनशील थी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने इस बात का निर्णय करने से पहले कि हमारे मिनी कम्प्यूटर उद्योग का प्रौद्योगिकीय आधार और औद्योगिक स्वरूप क्या होगा, यह महसूस किया है कि प्रौद्योगिकी में कुछ स्थिरता तो आनी ही चाहिए। इसके अतिरिक्त सितम्बर, 1973 का समय वह समय था जब देश में तेल का संकट उपस्थित हो गया। इसलिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने निर्देश दिया कि विदेशी मुद्रा की विषम स्थिति को देखते हुए ऐसे नये उद्योगों को स्थापित करने से पूर्व जिसमें बड़ी मात्रा में आयात की अपेक्षा हो, बड़ी सावधानी बरती जानी चाहिए। मिनी कम्प्यूटरों पर गठित पैनल ने यह अनुमान लगाया था कि एक विशिष्ट टाइप की मिनी कम्प्यूटर प्रणाली का आयात करने में इसके लिए जिन संसाधित्रों (प्रोसेसर्स) और उपान्त उपस्करों (पेरिफिरल्स) की आवश्यकता होगी उनका आयात करने में औसतन लगभग 2.5 लाख रुपयों की ज़रूरत होगी। इसका आशय यह हुआ कि मिनी कम्प्यूटरों का निर्माण करने के प्रारम्भिक प्रयास में, जिसके अन्तर्गत 200 मिनी कम्प्यूटरों के वार्षिक 'उत्पादन' का लक्ष्य रखा गया था, प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती। जिस मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है उसको देखते हुए यह नितान्त अनिवार्य हो गया कि मिनी कम्प्यूटर उद्योग की शुरुआत करने से पहले पर्याप्त रूप से देशी पुर्ज़े बनाए जाएं। एक विशिष्ट प्रकार की मिनी कम्प्यूटर प्रणाली की कुल लागत का लगभग 60 से 70 प्रतिशत का अंश उपान्त उपस्करों पर व्यय करना होता है। अतः यह अनुमान लगाया गया कि मिनी कम्प्यूटर प्रणालियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने के पूर्व उपान्त उपस्करों के कम से कम एक न्यूनतम रेंज के लिए देश में ही उत्पादन क्षमता तैयार की जाए। अन्यथा, मिनी कम्प्यूटर के निर्माण के लिए औद्योगिक अनुमोदन प्रदान करने का अर्थ आयातित उप-प्रणालियों के आधार पर केवल "किट संयोजन" ही होगा और इसके साथ वे सभी दुष्प्रभाव आ जायेंगे जो आमतौर पर ऐसे किट संयोजनों के साथ सम्बद्ध होते हैं, उदाहरण के तौर पर, उनके निर्माण में विदेशी मुद्रा बड़ी मात्रा में खर्च करनी पड़ेगी

जिसकी तुलना में स्थानीय मूल्य नाममात्र का ही होगा, संसाधित्रों तथा उपान्त उपस्करों (पेरिफिरल्स) के मानकीकरण का अभाव होना तथा यंत्र सामग्री (हार्डवेयर) पर यंत्रेत्तर सामग्री (साफ्टवेयर) की तुलना में अधिक बल देना किंतु यंत्रेतर सामग्री (साफ्टवेयर) का इस क्षेत्र में काफी महत्व है।

लगभग 2 वर्ष पहले जब लघुकाय उपान्त उपस्करों (मिनी पेरिफेरल्स) की प्रोद्योगिकी में स्थिरता आई, उस समय इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सरकारी क्षेत्र की प्रमुख कम्पनियों और सरकारी प्रयोगशालाओं में उपान्त उपस्करों (पेरिफेरल्स) के न्यूनतम रेंज पर अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं आरम्भ कीं और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की और बड़े तथा लघु दोनों प्रकार के निजी क्षेत्रों की कम्पनियों में भी इसी प्रकार के विकास कार्यक्रम उन्हीं के परिसर में आयोजित करने को बढ़ावा दिया। उसके फौरन बाद इन उपान्त उपस्करों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस भी जारी किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप जून, 1977 तक मिनी कम्प्यूटर उद्योग की उपान्त उपस्करों (पेरिफेरल्स) संबंधी कम से कम प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 10 कम्पनियों को तैयार किया गया। तीसरे, विभाग ने मिनी कम्प्यूटर उद्योग के लिए आवश्यक यंत्रेतर सामग्री (साफ्टवेयर) बनाने की दिशा में सक्रिय संवर्धनात्मक उपाए किए। मिनी कम्प्यूटरों के उत्पादन के लिए उद्योग को तैयार करने में जो चौथा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वह था कम्पनियों को इलेक्ट्रॉनिकी परिकलित्र बनाने के लिए लाइसेंस देना और उनमें विविधता लाकर ऐसे सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) पर आधारित प्रोग्रामन योग्य परिकलित्रों (केलकुलेटरों), केश रजिस्टरों तथा लेखांकन तथा बीजकांकन मशीनों का निर्माण करना है, जो मिनी कम्प्यूटरों के लिए बीच की किस्म के उत्पाद हैं। इसके परिणाम स्वरूप ठोस परिणाम हासिल हुए हैं और कई निर्माताओं ने पिछले 12 से 18 महीनों में बाजार में इस प्रकार के उत्पाद पेश किए हैं।

मिनी कम्प्यूटर पैनल की सिफारिश के आधार पर मिनी कम्प्यूटर उद्योग को आत्म-निर्भर बनाने के लिए आधार तैयार करने के उद्देश्य से जब ये सभी उपाय पूरे कर लिए गए तब इलेक्ट्रॉनिकी वि ाग ने हाल ही में मिनी कम्प्यूटरों का उत्पादन शुरू करने के लिए एक व्यापक नीति के ढांचे और कार्य संचालन संबंधी कार्यविधियों के बारे में इलेक्ट्रॉनिकी आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। इस अनुमोदन के आधार पर, मिनी कम्प्यूटर उद्योग के विकास के लिए सरकारी नीति की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी।

यह उल्लेखनीय है कि जब कभी मिनी कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए पिछले आवेदन पत्र विचारार्थ प्राप्त हुए तब उन्हें या तो रद्द कर दिया गया अथवा उन पर कार्यवाही समाप्त कर दी गई, क्योंकि इस उद्योग को शुरू करने में ऊपर उल्लिखित कारणों से विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता थी।

जहां तक पिछले पांच वर्षों में मिनी कम्प्यूटर प्रणालियों के आयात का प्रश्न है, केवल 35 मिनी कम्प्यूटर प्रणालियों का ही आयात किया गया है। इनमें से कई प्रणालियां अत्यन्त विशिष्ट रूप के अनुप्रयोगों के लिए थीं, जिनमें विशिष्ट साफ्टवेयर पैकेजेज़ शामिल थे और मामलेवार विस्तृत जांच करने के बाद ही आयात का सहारा लिया गया। इसके अतिरिक्त, वे ऐसी प्रणालियां रही हैं जो कम्प्यूटर के निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी हमारे इलेक्ट्रॉनिकी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाए गए टी० डी० सी०-312 तथा टी० डी० सी०-316 किस्म के मिनी कम्प्यूटरों की अपेक्षा कहीं अधिक सक्षम रही हैं। यदि आम तौर पर मिनी कम्प्यूटर उद्योग पहले स्थापित हो जाता तो भी इनमें से किसी भी आयात से बचा नहीं जा सकता था।

बंबई के निकट भारतीय जहाज को हानि

3040. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में बम्बई बन्दरगाह के निकट गम्भीर दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय जहाज एम० ई० रेडियन्ट के मालिकों को उचित क्षतिपूर्ति दिलाने के बारे में क्या प्रयत्न किए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में की गई पूछताछ तथा जांच की रिपोर्ट क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) चूंकि यह मामला दो निजी पार्टियों का है, अतः जहाज-मालिकों को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न करने का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु मालिकों के एजेन्टों (कोलिस लाइन प्रा० लि०) से पता चला है कि उन्होंने 9.8 मिलियन रु० (जिसमें क्षतिग्रस्त जहाज को हटाने का मूल्य भी शामिल है) की क्षतिपूर्ति के लिए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। मालिकों को मुकदमें में न्यायपाल के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी।

(ख) प्रारंभिक जांच प्रगति में है।

Setting up of Industries in Katihar, Purnea, Saharsa and Santhal Parganas

3041. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the action taken so far to implement the industrial policy announced by him in Lok Sabha on the 23rd December, 1977;

(b) whether some industrial units are proposed to be set up in the most backward districts of Bihar such as Katihar, Purnea, Saharsa and Santhal Parganas this year; and

(c) if so, the details in this regard and the time by which they will go into production?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) : The main thrust of the Industrial Policy laid before the Parliament is on effective promotion of cottage and small industries widely dispersed in rural areas and small towns. With a view to achieving this objective the Statement on Industrial Policy envisages *inter alia* establishment of District Industries Centres in each district where under one single roof all the services and support required by small and village entrepreneurs will be provided. In order to draw up a programme of establishment of District Industries Centres, discussions were held with the representatives of State Governments who have supported the proposal. Detailed schemes are being prepared by the State Governments to implement the programme.

With a view to implementing the programme in regard to "Nai Khadi" referred to in the Statement on Industrial Policy, action is being taken to amend the Khadi & Village Industries Act. A bill to this effect is expected to be introduced in the Parli ament during its Budget Session 1978.

In order to carry out periodic review of industries reserved for exclusive development in the small scale sector, different study groups have been constituted to prepare status papers on the various industries according to a time bound programme.

Chief Ministers of State Governments/Administrators of Union Territory Administrations have also been requested to take steps to implement the Industrial Policy in so far as the State Governments/Union Territories are concerned.

In regard to location of industries in metropolitan cities and urban areas, specific Instructions have been issued to the State Governments and Union Territories to ensure that the support to new industries in these areas such as those which do not require an industrial licence is denied.

Instructions have also been issued to the Chief Executives of public sector undertakings for taking follow up action particularly with reference to the programme of ancillarisation envisaged in the Policy Statement.

Steps are being taken to devise suitable modalities and procedures for ensuring workers' participation in the managements of selected public sector undertakings.

(b) & (c) One letter of intent was issued in 1977 for manufacture of Oxygen and Dissolved Acetylene Gas in respect of a unit to be located in the district of Santhal Parganas and it is too early to indicate the date by which production will be started by the undertaking.

भूतपूर्व सी० आर० टी० सी० लि०, आसाम के छंटनी किए गए कर्मचारियों को रोजगार

3042. **श्री ए० के० राव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सी० आर० टी० सी० लि०, आसाम के छंटनी किए गये कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि किसी भी नये 'जाब' में रोज़गार देने में उनको प्राथमिकता दी जाएगी;

(ख) क्या आसाम में पंचग्राम में केन्द्र सरकार की सहायता के साथ एक कागज़ मिल की स्थापना की जानी है; और

(ग) क्या सरकार इस नई परियोजना में भर्ती के समय उन छंटनी किए गए कर्मचारियों के मामले पर विचार करेगी?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) अगर कोई नई परियोजना प्रारंभ की गई तो सरकार सी० आर० टी० सी० के भूतपूर्व कर्मचारियों को उस परियोजना में अधिकाधिक खपाने के लिए अनुरोध करेगी।

Construction of Bango Dam in Bilaspur district

†3043. **Shri Chhabi Ram Argal :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the construction of Bango Dam for irrigation and power supply in Bilaspur district will be completed within a period of 4–5 years; and

(b) whether 2000 megawatt power thermal project of the National Thermal Power Corporation and 1000/1200 megawatt thermal power project of M.P. Power Board under construction of the western bank of Hasdeo river in Korba will be seriously affected in the absence of water till the Bango dam is completed?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) According to the project report, works on the Dam are likely to be completed in a period of seven years from the commencement of works.

(b) The first stage installation of 1100 MW of the Central sector Korba Project and the 420 MW installation so far sanctioned at Korba of the Madhya Pradesh Electricity Board, have been approved on the basis of water availability without the Bango Dam.

Further expansion at these sites would require supplementary storage upstream to be provided by the proposed Bango Dam.

Supply of Electricity to Madhya Pradesh from Korba Thermal Power Plant

†3044. **Shri Chhabi Ram Argal** : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh has made a request to Government for the allotment to the State of at least 500 megawatt electricity i.e. 50 per cent of the total installed capacity of 1000 megawatt in the first phase of Korba Thermal Power Plant of National Thermal Power Corporation ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Yes, Sir.

(b) Korba Super Thermal Station under installation in the Central Sector is a regional Station. It is intended that the States and Union Territories in the region would mainly derive the benefits from this station. The allocation of power has been made keeping in view the Central assistance to the States and the actual energy consumed. The allocation now made is in respect of the first stage 1000 MW capacity. Fifteen per cent of the capacity is being kept unallocated to be released to States after a periodic assessment of requirements and 100 MW capacity has been earmarked for the Union Territory of Goa, which has no generation capacity of its own. Out of the remaining 750 MW, Madhya Pradesh is being allocated 290 MW.

अनुसंधान विकास संगठन द्वारा भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम का मनोनयन

3045. **श्री किशोर लाल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और विकास संगठन ने 140 रुपये प्रति मद की दर से माइक्रोफोन ग्रिड्स के उत्पादन के लिये भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम लिमिटेड को अपनी एजेंसी मनोनीत किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त माइक्रोफोन ग्रिड का उत्पादन छोटे निर्माताओं द्वारा किया जा सकता है और क्या किसी व्यक्ति ने 90 रुपये प्रति मद की दर से इसकी पेशकश की है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह उद्योग कुटीर उद्योग के अन्तर्गत आता है और यह 40,000 रुपये की पूंजी से आरम्भ किया जा सकता है और सरकार इस पर बहुत अधिक धनराशि व्यय कर रही है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त कार्य भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम लिमिटेड को वर्ष 1976 में सौंपा गया था और अब तक कोई उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां । भारतीय इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड और प्रापण एजेन्सी के बीच मूल्य के बारे में बात-चीत चल रही है ।

(ख) और (ग) इसका उत्पादन छोटे निर्माताओं द्वारा किया जा सकता है । ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष 1000 ग्रिडों के उत्पादन की क्षमता के लिए उत्पादन कार्य शुरू करने के लिए एक लाख रुपए लगाने की आवश्यकता पड़ेगी । इसके लिए किसी भी छोटे निर्माता ने मूल्य की कोई पेशकश नहीं की है । इस परियोजना में कार्य कर रहे रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के एक कर्मचारी ने 100 रुपए+5 प्रतिशत की पेशकश की है । भारतीय इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के पास इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं हैं ।

(घ) इस मद के उत्पादन का कार्य भारतीय इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की मई 1976 में दिया गया था। भारतीय इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड उत्पादन के लिए पूरी तरह से तैयार है। केवल पैक करने और ग्रिड्स को आगे भेजने के बारे में अनुदेशों की औपचारिकताओं को अन्तिम रूप दिया जाना है।

भारतीय नौवहन निगम के कर्मचारियों का मांग-पत्र

3046. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम लि० के पास मजूरी वृद्धि, महंगाई भत्ते तथा सेवा की अन्य स्थितियों से संबंधित मांग-पत्र उसके विचारार्थ और निर्णयार्थ गत 1 जनवरी, 1975 से पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय नौवहन निगम लि० में इस समय जो सेवा की स्थिति विद्यमान है, वे गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्यमान सेवा स्थिति से भी कहीं बेहतर है ;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने विवाद को 31 अक्तूबर, 1978 तक या इससे पहले निबटाने के लिए आश्वासन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ख) जी हां, केवल उच्च स्तरों में ही।

(ग) सरकार को ऐसे किसी आश्वासन की जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय नौवहन निगम के कर्मचारियों (अधिकारियों को छोड़कर) के मांग-पत्र पर सरकार के निर्णय की सूचना 26 अगस्त, 1976 को भारतीय नौवहन निगम को भेजी गई। इन निर्णयों के आधार पर प्रबंध द्वारा दिए गए समझौते के प्रस्ताव को कर्मचारी यूनियन ने स्वीकार नहीं किया। गतिरोध जारी है।

2. विवाद का मूल कारण सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते का संशोधित फार्मूला है जिसको विभिन्न सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के वेतन-मानों तथा अन्य सेवा शर्तों के संशोधन के मामलों में लागू किया जा रहा है। इस फार्मूले के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शिमला) के आधार पर महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है और बातचीत के दौरान तय की गई तारीख से 1.30 रु० की दर से प्रति अंक में वृद्धि को निष्प्रभावी बना दिया जाता है। भारतीय नौवहन निगम के महंगाई भत्ते के मौजूदा फार्मूले को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (महाराष्ट्र) (आधार 1934) और मूल वेतन के स्तर के साथ संबद्ध कर दिया गया है। इस फार्मूले के अधीन 1-1-1978 की स्थिति के अनुसार भारतीय नौवहन निगम के सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी को 560 रु० महंगाई भत्ता मिलता था और 300 रुपये और इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी 1130 रु० महंगाई भत्ता लेते

थे । भारतीय नौवहन निगम एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां उच्च वेतन दिया जाता है । यदि महंगाई भत्ते का वर्तमान फार्मूला जारी रखा जाता है तो इस प्रतिष्ठान और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों के बीच वेतन में असमानता और अधिक बढ़ जाएगी ।

दिल्ली में यमुना पर पुल

3047. **श्री किशोर लाल : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के पास यमुना नदी पर पुल को मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी ;

(ग) इस पर कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है ; और

(घ) वह कब पूरा हो जाना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गए एक अनुमान के अनुसार कार्य पर 11.689 करोड़ रु० लागत आने का अनुमान है, जिसके अन्तर्गत पुल गाइडबंध और अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल के पास रिंग रोड पर प्रस्तावित फ्लाईओवर आते हैं । परन्तु इस अनुमान को दुबारा बनाने की आवश्यकता है और तदनुसार अनुमान आवश्यक संशोधन के लिए दिल्ली प्रशासन को वापस भेज दिया गया है । अनुमान की स्वीकृति जारी होने के बाद और निविदाएं मंगाने व उन्हें अन्तिम रूप देने के बाद ही काम शुरू हो सकता है । काम प्रारम्भ होने के बाद लगभग 4 वर्षों में पुल के पूरा हो जाने की संभावना है ।

विदेशों में नौकरी करने के लिये सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं

3048. **श्री के० ए० राजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल सरकार अपने कर्मचारियों को विदेशों में नौकरी करने के लिए बिना भत्तों के पांच वर्ष तक की छुट्टी सहित सभी सुविधाएं दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी विदेशों में निर्धारित अवधि के लिए नौकरी करने के लिए वैसी ही सुविधाएं दी जायें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटील) : (क) केरल सरकार ने सूचित किया है कि कुछ शर्तों के अध्यधीन विदेशों में नौकरी करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी दी जा सकती है ।

(ख) जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है जिनका विदेशों में नियुक्तियों के लिए चयन किया जाता है उन्हें इन नियुक्तियों के साथ अपने पदों पर तीन से पांच वर्षों की अवधि के लिए अपना धारणाधिकार (लियन) रखने की अनुमति दी जाती है ।

Criteria for Declaring a Highway into National Highway

†3049. **Shri Surendra Jha Soman :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the criteria adopted in declaring a highway as National Highway ;

(b) whether in view of transport problems in Bihar particularly in North Bihar, Government have any proposal for the development of National Highways ;

(c) whether Bihar Government has urged the Central Government to declare some highways as National Highways ; and

(d) if so, the names of those highways and Government's reaction thereto ?

Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) The criteria for the declaration of roads as National Highways are indicated below :—

(1) They should be the main higways running through the length and breadth of the country ;

(2) They should connect foreign higways ;

(3) They should connect capitals of States ;

(4) They should connect major ports and large industrial or tourist centres ;

(5) They should meet strategic requirements.

While taking into account these criteria, due regard is also given to the economic considerations as well.

(b) Development of National Highways is a continuous process and due attention being paid to the development and maintenance of existing National Highways in Bihar within the available resources. Amounts aggregating Rs. 29.37 crores and Rs. 12.84 crores were paid for the development and maintenance of NHs in Bihar respectively during the last five years (1973-74 to 1977-78).

(c) & (d) Yes Sir. The Bihar Govt. proposed the following roads for being declared as NHs in the 5th Plan :

(1) Patna-Muzaffarpur-Sitamarhi-Sonbersa road.

(2) Mokameh-Farakka road.

(3) Ranchi-Chaibasa-Orissa border.

(4) Ranchi-Gumla-Raidih upto Madhya Pradesh border.

(5) Belhar-Sultanganj-Maheshkhunt-Pansalwa-Sonbersaganj-Pipra-Motipur-Pratapganj road.

(d) It has however not been possible to accede to the request due to financial constrains and other priorities.

लघु उद्योग फर्मों द्वारा निर्यात

3050. **श्री नार्मो सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री 1 मार्च 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1137 के उत्तर के सम्बन्ध में, जिसमें यह बताया गया है कि 1-1-1978 को तकनीकी विकास महानिदेशक के पास 3456 एकक पंजीकृत थे, जबकि तकनीकी विकास महानिदेशक के 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन में (पृष्ठ 25, पैरा 2क) बताया गया है कि तकनीकी विकास महानिदेशक के पास दर्ज 6000 तथा उससे अधिक एकक मासिक विवरणियां भर रहे हैं, यह अन्तर कितना और क्यों है और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6000 एककों (उद्योगों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, 1976-77 का परिशिष्ट-III) द्वारा भरे जाने वाले मासिक उत्पादन विवरणी के स्वरूप से पता चलता है कि इन विवरणियों में निर्यात उत्पादन का भी समावेश है—विवरणी भेजने वाले एककों में से कितने एकक 1-1-78 को वास्तव में

निर्यात-उत्पादन में लगे थे और क्रमशः, पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में निर्यात के लिए उत्पादन करने वाली ऐसी एककों की अनुमानतः कितनी संख्या थी ; और

(ख) तकनीकी विकास महानिदेशक के 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन ने किस आधार पर पृष्ठ 40 पैरा 2 में यह बताया गया है कि इंजीनियरी एककों का 90 प्रतिशत निर्यात तथा रसायन क्षेत्र का 70 प्रतिशत निर्यात तकनीकी विकास महानिदेशक के एककों के कारण हुआ और पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तिम वर्ष के संबंध में अनुमानित प्रतिशततायें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त एकक तथा लाइसेंसीकरण के उपबन्धों से मुक्त लेकिन उनके पास पंजीयित दोनों प्रकार के एक सम्मिलित हैं। तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में आने वाले 6000 से कुछ अधिक एककों में पंजीयित एकक भी शामिल हैं।

(क) उद्योग के मार्गदर्शी सिद्धांत 1976-77 के परिशिष्ट-13 के अनुसार नए प्रकार की मासिक उत्पादन विवरणियां वर्ष 1976 में ही शुरू की गई हैं तथा यह केवल उन्हीं उद्योगों के लिए हैं जिन्हें विभिन्न चरणों में चुनकर प्रगामी रूप से संगणक आंकड़े प्रणाली में जाना है इन उद्योगों में से 190 एककों ने अपनी विवरणियों में अलग-अलग मात्रा में निर्यात दिखाया है। अनेक अन्य एकक भी निर्यात-क्रियाकलापों में लगे हुए हैं।

वर्ष 1976 से पूर्व उत्पादन विवरणियों में निर्यात हेतु किये जाने वाले उत्पादन का अलग से उल्लेख नहीं किया जाता था ? इस कारण प्रथम एवम् तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अंत में निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले एककों की अनुमति (लगभग) संख्या उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) लघु उद्योगों एवम् संगठित क्षेत्र के एककों का तुलनात्मक योग दान विकास आयुक्त लघु उद्योगों द्वारा लघु उद्योगों कि की गई गणना की अखिल भारतीय रिपोर्ट पर आधारित है। विभिन्न निर्यात सम्वर्द्धन परिषदों एवं उद्योग संघों द्वारा गणना के लिए आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। विगत वर्षों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के तुलनात्मक योगदान के बारे में इस प्रकार कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

राज्य विद्युत बोर्डों का कार्यकरण

3051. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री ने हाल में राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकरण के बारे में असंतोष व्यक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो अकुशलता के कारण क्या हैं और सरकार ने उन्हें क्या सुधारात्मक उपाय करने को कहा है ;

(ग) क्या अधिकांश हानि का कारण बोर्ड के पास निधि की कमी का होना है ; और

(घ) यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकारों को कोई सुझाव दिये हैं यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) राज्य बिजली बोर्ड के असंतोषजनक कार्यकरण के कारण हैं :—समय-समय पर टैरिफ में संशोधन करने के लिए बोर्डों की बाध्यता क्षमता का अपर्याप्त समुपयोजन उच्च प्रणाली हानियां आयोजना प्रचालन माल-सूची नियंत्रण शुल्क की वसूली कार्मिक प्रबंध बजट व्यवस्था के लिए आधुनिक

प्रबंध तकनीकों का न होना। जनवरी 1978 में नई दिल्ली में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाने तथा राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में सुधार के लिए व्यावहारिक सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक अखिल भारतीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का निष्पक्ष चयन करने के लिए मशीनरी स्थापित करने की सलाह राज्यों को दी गई है ताकि राज्य बिजली बोर्ड अपनी प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें तथा इस प्रकार प्रबंध में सुधार कर सकें।

(ग) और (घ) यह कहना सही नहीं है कि अधिकतर हानियां बोर्डों के पास निधि की कमी के कारण होती है। विद्युत् परियोजनाओं को चालू करने में पिछड़ने का एक कारण यद्यपि निधि की कमी होना है तथापि हानियों के मुख्य कारण तथा सुझाए गए उपचारात्मक उपाय भाग (ख) के उत्तर में पहले ही दे दिए गए हैं।

शोलापुर में आकाशवाणी केन्द्र

3052. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के बारे में तैयार किए गए प्रस्ताव पर इस बीच कियान्वित के लिए विचार किया गया है ;

(ख) क्या इसे तैयार की जा रही विकास योजनाओं में शामिल करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य में शोलापुर में रेडियो स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल किया गया है। तथापि, इसका कार्यान्वयन योजना आयोग की स्वीकृति, वित्तीय आबंटनों की उपलब्धि तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश से जाने वाले नदी मार्ग को पुनः खोला जाना

3053. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य सरकार ने बंगला देश से जाने वाले नदी मार्ग को पुनः खोलने की संभावना की जांच के बारे में सरकार से अनुरोध किया है क्योंकि नदी मार्ग के बन्द होने से कम मूल्य की भारी वस्तुओं के मितव्ययता से लाने-ले-जाने पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और असम में मूल्य स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) नदी मार्ग को पुनः खोलने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है / करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) भारत सरकार और बंगला देश द्वारा अन्तर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर हस्ताक्षरित प्रोटोकोल के अधीन नवम्बर, 1972 में बंगला देश से होकर आने वाला कलकत्ता और असम के बीच का नदी मार्ग नदी सेवाओं के लिए खोला गया। अब इस मार्ग को खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही इस संबंध में असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है। परन्तु, 1977 में पर्याप्त माल के अभाव में

इस मार्ग पर केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा संचालित सेवाएं बन्द कर दी गईं । निगम असम सरकार के साथ परामर्श से, यदि पर्याप्त उपलब्ध माल होता है, तो इन सेवाओं को पुनः चालू करने की संभावना की खोज कर रहा है ।

आसाम में लघु उद्योगों पर प्रतिबन्ध

3054. **श्री अहमद हुसैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने आसाम राज्य में इस्पातपुनर्वेलन, अवरोधन (वाइट ड्राइंग) प्लास्टिक जैसे लघु उद्योगों की श्रेणी में आने वाले कुछ उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, कम से कम स्थानीय आवश्यकताओं और उत्पादन मांग पर आधारित एककों की स्थापना पर से प्रतिबन्ध हटाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :(क) आसाम राज्य के लिए विशेष रूप से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है यद्यपि, इस्पात पुनर्वेलन की अतिरिक्त क्षमता निर्माण करने पर प्रतिबंध है । लेकिन जिन राज्यों में ऐसे एकक नहीं हैं वहां यह प्रतिबंध लागू नहीं होता ।

18 एस० डब्ल्यू० जी० से अधिक मोटाई वाले गेजों में तार बनाने के मामले में, पिछड़े जिलों तथा ग्रामीण उद्योग परियोजना क्षेत्रों के अलावा किसी नये एकक को अनुमति नहीं दी गई ।

जहां तक प्लास्टिक का प्रश्न है, लो डेनसिटी पोलीथीलीन और पोली विनाइल क्लोराइड (एल डी पी एण्ड पी वी सी) पर आधारित वस्तुओं के उत्पादन के लिये नये एककों की स्थापना पर कोई प्रतिबंध नहीं है । यद्यपि, हाई डेनसिटी पोलीथीलीन (एच डी पी) पर आधारित वस्तुओं के निर्माण के लिए पिछड़े जिलों तथा ग्रामीण उद्योग परियोजना क्षेत्रों को छोड़कर नये एककों को अनुमति नहीं दी जाती ।

अतएव असम के पिछड़े जिलों और ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं क्षेत्रों के सम्बन्ध में 18 एस डब्ल्यू जी से अधिक मोटाई वाले गेजों में तार बनाने तथा एच डी पी पर आधारित वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रतिबंध पर छूट प्राप्त है ।

(ख) आवधिक संवीक्षा की प्रणाली के कारण प्रतिबंध आवश्यकतानुसार लगाये अथवा हटाये जाते हैं ।

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था

3055. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था के रख-रखाव के लिए उनके मंत्रालय द्वारा दी गई निधि का निर्धारण अखिल भारतीय आधार पर निर्धारित एक "सामान्य सिद्धांत" के आधार पर किया जाता है और इस संबंध में किसी राज्य की, विशेषकर असम की विशेष प्रकार की भूवैज्ञानिक, भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी स्थिति पर विचार नहीं किया जाता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सिद्धांत के आधार पर देय निधि भी कई बार राज्य को नहीं दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय में विचार भविष्य में असम को निधि का आबंटन करते समय उसकी विशेष प्रकार की भूवैज्ञानिक, भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी स्थिति को ध्यान में रखने का है ; और

(ङ) निकट भविष्य में असम की सड़क की स्थिति में किस प्रकार सुधार करने/सहायता देने का सरकार का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए धन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए 1968 में बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांत में क्षेत्र, जलवायु और यातायात का समुचित ध्यान रखा गया था और इस वर्ष से, असम सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए धन का आबंटन कुल उपलब्ध आबंटनों के अनुसार किया गया, जिसमें उन सिद्धांतों तथा सामग्री और श्रम-मंजूरी इत्यादि की समय-समय पर बदलने वाली मूल्य स्थिति को भी ध्यान में रखा गया । धन की उपलब्धता मुख्य कारण रहा है जो सभी पक्षों को प्रभावित करती है । इस प्रकार आसाम में राष्ट्रीय राजमार्गों के भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और जलवायु संबंधी सभी पहलुओं का पहले से ध्यान रखा जाता है और निकट भविष्य में भी रखरखाव के लिए धन के आवंटन के मामले में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति के लिए प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कुल धन के भीतर अन्य राज्यों की आवश्यकताओं के साथ-साथ इन पहलुओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

(ङ) चौथी योजना के प्रारम्भ से लगभग 1900.00 लाख रु० मूल्य के लगभग 200 सड़क और पुल कार्यों की मंजूरी दी गई है । इन कार्यों के अन्तर्गत यानमार्गों को चौड़ा करना, सुदृढ़ करना, पुलों/पुलियों का निर्माण/पुनर्निर्माण करना, पुलों व उपमार्गों इत्यादि के पहुँच मार्ग आते हैं। मार्च, 1977 तक, अनुमानतः 1535.00 लाख रुपये पहले ही व्यय किए जा चुके हैं और 400.00 लाख रुपये इस वर्ष के दौरान खर्च करने की संभावना है । अगली पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान भी राज्य में राजमार्गों के सुधार कार्य जारी रहेंगे ; जो उस योजना के लिए निर्धारित किए गए कार्यक्षेत्र तथा परिव्यय और वार्षिक आधार पर मिलने वाले वित्तीय आबंटनों पर निर्भर करेंगे ।

हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के विकास के लिये राज्यों को दी गई केन्द्रीय राज सहायता

3056. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-सरकार ने हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के विकास के लिये विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली राज सहायता की दरें बढ़ा दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों को 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में कितनी राज सहायता दी गई ;

(ग) क्या इन राज्यों ने अनुचित ढंग से पूंजी परिव्यय करके, अनिमित विक्रियों द्वारा और विक्रय केन्द्रों के माध्यम से सप्लाई करने तथा निधियों को अन्य तरीकों से इधर-उधर लगाकर केन्द्र सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों के विकास के लिये गई राजसहायता का उचित उपयोग नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों के विरुद्ध क्या विनियमन उपाय किये गये हैं और इस बात को देखने के लिये किन उपायों पर विचार हो रहा है कि केन्द्रीय राज सहायता अब और व्यर्थ न जायें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी नहीं ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है, सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) कोई प्रतिकूल जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा टर्बोजेनेरेटर सेटों का निर्माण

3057. **श्री रोबिन सेन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 200 मेगावाट से 100 मेगावाट तक की क्षमता के टर्बोजेनेरेटर सेटों के निर्माण हेतु तकनीकी जानकारी देने के लिये पश्चिमी जर्मनी की फर्म "क्राफ्टवर्क यूनियन" के साथ हाल में किये समझौते का पता है ;

(ख) यदि हां, तो समझौता कितने मूल्य का है, कितनी अवधि के लिये है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 'क्राफ्ट वर्क यूनियन' को अदायगी किस ढंग से की जायेगी ;

(ग) क्या पूरे यूनिटों का निर्माण भारत में होगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो आयातित उपकरणों का अंश क्या होगा और पूर्ण स्वदेशीकरण कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां ।

(ख) करार की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

अवधि	15 वर्ष
प्रभार	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी० एच० ई० एल०) द्वारा किया जाने वाला 7.3 मिलियन डी० एम० का भुगतान ।
भुगतान-विधि	मै० क्राफ्ट यूनियन (के० डब्ल्यू० यू०) को 4 मिलियन डी० एम० का नकद भुगतान 4 किश्तों में निम्न प्रकार होना है:— एक तिहाई, समझौते पर हस्ताक्षर होने के 30 दिनों के अन्दर ; एक तिहाई, डाकूमेंटेशन का सम्भरण पूर्ण होने पर परन्तु समझौता स्वीकृत होने के एक वर्ष से पूर्व नहीं ।
	24% प्रशिक्षण के 9240 श्रमिक कार्यदिवस पूरे होने पर तथा शेष 4.0 मिलियन डी० एम० लगभग 10% टी० जी० सेट का पहला पर्याप्त भाग व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने पर । शेष 3.3 मिलियन डी० एम० की राशि का भुगतान बी० एच० ई० एल० द्वारा निर्मित तथा के० डब्ल्यू० यू० को उपकरणों की बिक्री के रूप में किया जाएगा ।
	उपर्युक्त भुगतान के अलावा बी० एच० ई० एल० नीचे दी हुई दर पर रायलटी भी देगा :—
	के० डब्ल्यू० यू० डिजाइन पर पहले 5 टी० जी० सैटों का निवल बीजक मूल्य का 4% अगले 5 टी० जी० सैट के निवल बीजक मूल्य का 3%, 10वें सैट के पश्चात् बनाये गये सभी सैटों के निवल बीजक मूल्य का 2%.
	बी० एच० ई० एल० द्वारा बेचे जाने वाले टी० जी० सैट के उपकरण तथा पुर्जों पर 4% की दर से रायलटी का भुगतान

किया जाएगा । दूसरे मूल्यों के टी० जी० सैटों में इस्तेमाल किये गये तथा बी० एच० ई० एल० द्वारा बेचे गये उपकरणों पर $2\frac{1}{2}\%$ रायलटी का भुगतान किया जाएगा । निर्यात किये जाने वाले टी० जी० सैट और/अथवा उपकरण का निवल बीजक मूल्य का 5% । इसके अलावा बी० एच० ई० एल० के अन्य उत्पादों में प्रयुक्त लपेटन की कीमत का 5% के० डब्ल्यू० यू० को भुगतान करना होगा चूंकि के० डब्ल्यू० यू० की तकनीकी प्रणाली को निगमित करती है ।

निर्यात के अलावा के० डब्ल्यू० यू० की इन्सूलेशन सिस्टम को इस्तेमाल की सम्पूर्ण रायलटी के० डब्ल्यू० यू० की सप्लाई किये जाने वाले बी० एच० ई० एल० द्वारा निर्मित उपकरणों के रूप में की जाएगी ।

(ग) तथा (घ) : के० डब्ल्यू० यू० डिजाइनों के टी० जी० सैट बी० एच० ई० एल० देश में ही बनायेगा तथा देश में उपलब्ध न होने वाले उपकरण और सामग्री का ही आयात किया जाएगा । देशीकरण की प्रगति तथा आयात की सीमा कई बातों जैसे कितने सैट के आदेश दिये गये, तथा मांग, सुपुर्दगी, प्रौद्योगिकी का खपाना आदि पर निर्भर करेगी । स्वदेशीकरण 5 वर्ष की अवधि में पूरा हो जाने की आशा है ।

Radio Station at Surat

3058. **Shri Chhitubhai Gamit** : Will the Minister of **Information and Boardcating** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to set up a Radio Station at Surat in Gujarat ;

(b) if so, the details thereof, and if not, the reasons thereof ; and

(c) steps being taken for the purpose and when the said station is likely to be opened ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a), (b) and (c) The proposal for setting up of a Radio Station at Surat in Gujarat States has been included in the Draft Sixth Plan 1978—83. Implementation, however, will depend upon the approval by the Planning Commission, availability of financial allocations and relative priorities.

Purchase of fuses worth Rs. 50 Lakhs

3059. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether fuses worth Rs. 50 lakhs were purchased by a Major General from a Birla firm in 1973-74 even after they were rejected by the Technical officers ; and

(b) whether an inquiry was conducted by the Central Bureau of Investigation in this regard and if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh) : (a) A supply order for supply of a certain number of fuses was placed by the Deptt. of Defence Supplies on a firm belonging to the Birla Group in 1972, for supply by March, 1974. The purchase was made by the Department of Defence Supplies for and on behalf of the Government of India. The Technical Authorities accepted a certain number of lots worth about Rs. 30 lakhs under deviations, after technical evaluation.

(b) No, Sir.

कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के दामाद के विरुद्ध आरोप

3060. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विशेष पुलिस संगठन ने अपराधों के आरोपों के मामले दर्ज किए हैं जिनमें वे सभी लोग अन्तर्ग्रस्त हैं जिनका कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री देवराज अर्स के दामाद को 20 एकड़ भूमि प्रदान करने से संबंध था, जैसा कि ग्रोवर जांच आयोग के पहले प्रतिवेदन में उल्लेख है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अनुवर्ती कार्यवाही में श्री देवराज अर्स को भी शामिल किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमुसिंह पाटील) : (क), (ख) तथा (ग) ग्रोवर जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत पहली रिपोर्ट, जिसे उसमें दिए गए निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई के विचारार्थ कर्नाटक सरकार को भेजा गया था, की जांच करने के बाद, राज्य सरकार ने उस पर प्राप्त कानूनी राय को ध्यान में रखकर, उक्त रिपोर्ट के अन्तर्गत आने वाले एक आरोप को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने का अनुरोध किया था, जो श्री देवराज अर्स के दामाद डा० एम० डी० नटराज को 20 एकड़ भूमि दिए जाने के संबंध में है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) के साथ पठित धारा 5(2) के साथ पठित धारा 120-बी आई० पी० सी० के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए श्री डी० देवराज अर्स, डा० एम० डी० नटराज तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जांच करने के लिए एक नियमित मामला दर्ज कर लिया है ।

Bales of Full Length Cloth and Cut Pieces sold by Jam Textile Mills, Bombay

3061. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2251 on Ist December, 1977 regarding Bales of full length cloth and cut pieces sold by Jam Textile Mills, Bombay and state :

(a) whether the length of the cloth manufactured by Jam Textile Mills, Bombay are found short of the length mark and more than the price marked thereon when sold in market ; and

(b) whether Government are aware that in order to evade excise duty thousands of bales of cloth are sold by the said mill in the name of cut pieces by cutting long cloth length into pieces and if so, the number of such bales sold during the last three year as also the number of the bales of full length cloth sold ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) and (b) Necessary information is being collected and shall be laid on the Table of the Sabha shortly.

Purchase of Dyeing Colour and Chemicals by Textile Corporation, Madhya Pradesh

3062. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) The number of chemicals, dyeing material and various types of other material purchased for each mill from dealers by the Textile Corporation of Madhya Pradesh for use in machines during the past three years ;

(b) whether payment for the material purchased is not made promptly and when payment is made ; it is made after deducting the amount of commission ; and

(c) the policy in this regard and the period within which the payment is normally required to be made ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) The reference presumably is to N.T.C. (MP). Purchase of 24 items, comprising chemicals, dyeing material and other material used by the mills as listed in the statement attached has been centralised in the National Textile Corporation (Madhya Pradesh). Other items required are purchased by the mills direct.

(b) & (c) Payments are made in accordance with the terms settled with the suppliers. The normal terms of payment are as under :—

(i) full cash payment in respect of items of critical and properietory nature ;

(ii) 100% payment after enjoying 30 to 60 days credit ; and

(iii) 75% payment against supplies and 25% payment after enjoying 30 to 60 days credit. Payments for the items are made by the mill directly as per terms of payments agreed to with supplier. No commission is deducted while making the payments.

Statement

1. Lamps and tubes,
2. Plastic Bobbins,
3. Wooden Bobbins,
4. Leather Beltings,
5. Cotton Healds,
6. Steel Reeds,
7. Shuttles,
8. Picking Bands,
9. Picking Sticks,
10. Straw Board/Grey Boards,
11. French Chalk,
12. China Clay,
13. Whitening Agent,
14. Acetic Acid,
15. Polythene Rolls and Bags,
16. Gum,
17. Lubricant Oils and Greases,
18. Mutton Tallow,
19. Maize Startch,
20. T.S. Powder,
21. Hessian Cloth,
22. Leather/Plastic 4B Pickers,
23. Napthol and Bases ; and
24. Sulphur Black.

कुल राष्ट्रीय उत्पादन (जी० एन० पी०) में कमी की प्रवृत्ति

3063. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में हुई कमी के परिणामस्वरूप कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इसकी प्रतिशतता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) सकल राष्ट्रीय उत्पादन में (स० रा० उ०) में कोई गिरावट नहीं हुई है और न ही औद्योगिक उत्पादन में कोई कमी हुई है । सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 1976-77 में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उसके 1977-78 में 5 प्रतिशत और अधिक बढ़ने की आशा है ।

औद्योगिक उत्पादन में 1976-77 में 10.4 प्रतिशत की तुलना में 1977-78 में 5 से 6 प्रतिशत तक वृद्धि होने की आशा है । 1977-78 में औद्योगिक उत्पादन में कम वृद्धि के कारणों में विद्युत् की कमी एक कारण थी ।

विद्युत् उत्पादन क्षमता के त्वरित कार्यक्रम की योजना की जा रही है । कुछ उद्योगों में बद्ध विद्युत् क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है जिससे कि विद्युत् उपलब्धता में घट-बढ़ से उन्हें विसंवाहित किया जा सके । इन उपायों के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में 1978-79 में सुधार होने की आशा है ।

सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि उत्पादन का बड़ा भाग होता है । इसलिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि कृषि उत्पादन की प्रवृत्तियों से काफी प्रभावित होती है और कृषि उत्पादन कुछ सीमा तक, मौसम में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होता है ।

विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करार

3064. **श्री सरत कार :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत छः महीनों में विदेशी फर्मों से प्रौद्योगिकी के आयात के लिए कितने सहयोग करार किए हैं ; और

(ख) उनमें से कितने में वित्तीय साझेदारी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) सितम्बर, 1977 से फरवरी, 1978 तक के गत छः महीनों में विदेशी फर्मों से प्रौद्योगिकी के आयात के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का 14 सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत किए गये ।

(ख) किसी भी प्रस्ताव में विदेशी वित्तीय सहभागिता का निहित नहीं है ।

ससुराल वालों द्वारा जवान महिलाओं की हत्या

3065. **श्री सरत कार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में दिल्ली में कितनी जवान महिलाओं की उनके ससुराल वालों ने इस कारण हत्या कर दी क्योंकि उन महिलाओं के माता-पिता दहेज की मांग को पूरा करने में असमर्थ थे ;

(ख) क्या गत दो वर्षों की तुलना में इन घटनाओं के आंकड़ों में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इन अपराधों के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उन पर मुकदमा चलाया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) चालू वर्ष के दौरान 28-2-1978 तक ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आयोग के समक्ष शपथपूर्वक गवाही न देने पर दण्ड

3066. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्रीलंका ने इस आशय से कमीशन बनाया है कि जो व्यक्ति किसी आयोग के समक्ष शपथपूर्वक गवाही नहीं देंगे उन्हें संसद के लिए चुनाव लड़ने के अधिकार सहित नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है ;

(ख) क्या उन व्यक्तियों के लिए जो कानूनी तौर पर स्थापित किए गए जांच आयोग के समक्ष शपथपूर्वक गवाही देने से इन्कार करते हैं इसी प्रकार का कानून बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क), (ख) तथा (ग) तत्संबंधी सूचना प्राप्त की जा रही है ।

कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्तमान वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के संबंध की नियुक्ति

3067. **श्री सुशील मार धारा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्तमान वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी का एक निकट संबंधी मैसर्स जैस्पस एण्ड कंपनी के अधिकारीवर्ग में भरती हुआ था और मैसर्स जैस्पस एण्ड कंपनी हल्दिया गोदी के लिए ठेके पर काम करने वाली एक बड़ी फर्म है ;

(ख) क्या वर्तमान वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी कलकत्ता पत्तन न्यास के अतिरिक्त लेखा अधिकारी के रूप में हल्दिया लेखों के साथ सीधे संबद्ध थे ;

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि क्या कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्तमान वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के उपरोक्त संबंधी को नौकरी देने के लिए मैसर्स जैस्पस एंड कंपनी पर कोई अनुचित दबाव डाला गया था ; और

(घ) क्या मैसर्स जैस्पस एण्ड कंपनी की बिक्री कर की अदायगी के मामले में कलकत्ता पत्तन न्यास के अध्यक्ष तथा वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी श्री आर० एन० राय ने सांठगांठ की और अदायगी करने के आदेश दिए, जिसे बाद में हल्दिया के लेखा अधिकारी ने कानूनी रूप से अदेय पाया और उसने इस अदायगी का विरोध किया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) वर्तमान वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी श्री आर० एन० राय के सुपुत्र ने 18 मार्च, 1977 को मैसर्स जैस्पस एण्ड कम्पनी के प्रबंध संवर्ग में एक योग्यता प्राप्त चार्टर्ड लेखाकार के रूप में सेवा आरम्भ की

और 31 अक्तूबर, 1977 को उन्होंने वह सेवा छोड़ दी । मैसर्स जैस्पस एण्ड कंपनी, भारत सरकार का प्रतिष्ठान, हल्दिया गोदी परियोजना के लिए ठेके पर काम करने वाली फर्म है ।

(ख) उप प्रबंधक (वित्त), हल्दिया एक ऐसे अधिकारी हैं जो हल्दिया के लेखा संबंधी मामले के सीधे इंचार्ज हैं । इस पद को भरे जाने से पहले, वरिष्ठ लेखा अधिकारी हल्दिया लेखा (इस पद पर वही अधिकारी नियुक्त थे जो अब उप प्रबंधक (वित्त) हैं), सीधे इंचार्ज थे । श्री आर० एन० राय, वर्तमान वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी ने अन्य लेखा संबंधी तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के साथ-साथ हल्दिया के वित्त और लेखा संबंधी मामलों में भी तत्कालीन वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी की सहायता की ।

(ग) श्री आर० एन० राय के सुपुत्र को नियुक्त करने के लिए मैसर्स जैस्पस एण्ड कंपनी से संपर्क नहीं किया गया । उनकी भर्ती कंपनी की चयन संबंधी सामान्य पद्धति के द्वारा की गई जब श्री आर० एन० राय के सुपुत्र मैसर्स जैस्पस एण्ड कंपनी में भर्ती हुए, तब उन्हें चार्टर्ड लेखाकार की पूरी अर्हता प्राप्त थी । वह वाणिज्य में भी आनर्स स्नातक हैं । इंटरमीडिएट और सी० ए० की अंतिम परीक्षाओं में उन्होंने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए (कुछ मुख्य पेपरों में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करके) और इंटरमीडिएट परीक्षा में अखिल भारतीय योग्यता-क्रम आधार पर उन्हें विशेष स्थान प्राप्त हुआ । 30 जुलाई, 1976 को उन्होंने पूर्ण चार्टर्ड लेखाकार की अर्हता प्राप्त की ।

(घ) नौवहन और परिवहन मंत्रालय में 27 अप्रैल, 1977 को हुई हल्दिया गोदी परियोजना की संचालन समिति की बैठक में भारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधि ने मै० जैस्पस एण्ड कंपनी को बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रश्न उठाया । कलकत्ता पत्तन न्यास ने आपत्ति उठाई कि टर्न-की कार्यों के लिए बिक्री-कर संभवत: देय नहीं होता और यह पत्तन प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह के अनुसरण में था । परन्तु, भारी उद्योग विभाग ने संतुष्ट किया कि मैसर्स जैस्पस एण्ड कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह के अनुसार खरीदे गए माल के मामले में बिक्री-कर देय होता है । इस बैठक में बताया गया कि मैसर्स जैस्पस ने पहले ही 12 लाख रु० बिक्री कर की अदायगी की थी और इसकी प्रतिपूर्ति में विलम्ब करने से कंपनी की वित्त व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा था । यह निर्णय किया गया कि संविदाकार और पत्तन न्यास मिलकर समस्या का हल खोजेंगे । संचालन समिति की बैठक में लिए गए उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, मै० जैस्पस एण्ड कंपनी को बिक्री-कर की अदायगी करने के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी को आदेश जारी किए गए । इसके साथ-साथ उक्त कंपनी को लेखापरीक्षा संबंधी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की भी सलाह दी गई । इन दस्तावेजों और सूचना की लेखापरीक्षा जांच होने पर, एक कानूनी प्रश्न उत्पन्न हो गया । कानूनी सलाहकार की टिप्पणियां प्राप्त होने पर बिक्री-कर की अदायगी के प्रश्न पर अंतिम निर्णय किया जाएगा।

ईरानी विद्यार्थियों को देश छोड़ने का आदेश

3068. **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अनेक ईरानी विद्यार्थियों को इस देश से वापिस जाने के आदेश दिये हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनों को ; और

(ग) उनके विरुद्ध की गयी अथवा की जा रही ऐसी कार्यवाही के क्या कारण हैं ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) नहीं श्रीमान् जी ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शाह आयोग को पंजाब से प्राप्त शिकायतें

3069. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात् स्थिति में हुई ज्यादतियों के बारे में गृह विभाग और शाह आयोग को पंजाब से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ;

(ख) शिकायतकर्ताओं के नाम क्या हैं और क्या एक शिकायकर्ता ने संरक्षण की मांग की थी, यदि हां, तो क्या उसे संरक्षण दिया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि शाह आयोग पंजाब सरकार को 27 शिकायतें भेज रहा है ; और

(घ) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने शिकायतों की सूची में से क्रम संख्या 13 को दबा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं,

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) शाह जांच आयोग और गृह मंत्रालय को पंजाब से 1210 शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) स्थानीय पुलिस द्वारा तंग किये जाने से संबंधित श्री किशन चन्द गुप्त नामक एक व्यक्ति की शिकायत ध्यान में आई है । शिकायत पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई थी ।

(ग) तथा (घ) शाह आयोग ने पंजाब सरकार को 969 शिकायतें भेजी हैं । श्री हरीसिह ठाकुर नामक व्यक्ति की शिकायत 27 शिकायतों वाली एक सूची में क्रम संख्या 13 पर है । बाद में श्री ठाकुर ने आरोप लगाया था कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा उन्हें तंग किया जा रहा है । शाह आयोग द्वारा अब यह निर्णय किया गया है कि शिकायत की जांच पड़ताल स्वयं आयोग द्वारा की जायेगी ।

हरियाणा के लिए वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना

3070. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **योजना** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे :

(क) क्या योजना आयोग ने हरियाणा राज्य के लिए वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना को इस बीच अपनी मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य की प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ग) क्या बांढ़ नियंत्रण उपायों के लिए कोई राशि निश्चित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । राज्य की 1978-79 की वार्षिक योजना के लिए 210 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

(ख) योजना परिव्यय क्षेत्रवार अनुमोदित किए जाते हैं । अनुमोदित परिव्यय के क्षेत्रवार वितरण का विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, हां।

(घ) अनुमोदित योजना में निम्नलिखित स्कीमों के लिए बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 18.82 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है :—

(करोड़ रुपए)

(1) उज्जिना अपवाहिका दिवपरिवर्तन	8.50
(2) मसानी बराज	3.00
(3) अन्य स्कीमें	7.32
जोड़ . .	18.82

विवरण

वार्षिक योजना, 1978-79 हरियाणा

(लाख रु०)

क्षेत्र/विकास शीर्ष	अनुमोदित परिव्यय
1	2
कृषि	
(क) अनुसंधान और शिक्षा	132
(ख) फसल सुधार	503
(ग) (1) विपणन (2) भंडार और माल गोदाम	—
(घ) ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम .	229
जोड़ (क+ख+ग+घ)	**864**
भूमि सुधार	12
छोटी सिंचाई	400
भू-संरक्षण	82
क्षेत्र विकास	35
पशुपालन	124
डेरी विकास	54
मोन उद्योग	25
वन . .	100
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	200
सामुदायिक विकास और पंचायतें	40

(लाख रु०)

1	2
1. कृषि और संबद्ध सेवाएं	**1936**
2. सहकारिता	**332**
सिंचाई	6004
बाढ़ नियंत्रण	1882
विद्युत्	6523
3. जल और विद्युत विकास	**14409**
उद्योग	100
ग्राम और लघु उद्योग	191
खनन और धातुकर्मीय उद्योग	7
4. उद्योग और खनन	**298**
नागर विमानन	4
सड़कें और पुल	745
सड़क परिवहन	670
पर्यटन	59
5. परिवहन और संचार	**1478**
सामान्य शिक्षा (कला और संस्कृति को छोड़कर)	757
कला और संस्कृति तकनीकी शिक्षा	32
कर्मचारी राज्य बीमा को छोड़कर चिकित्सा कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम लोक स्वास्थ्य और सफाई	466
मल व्यवस्था और जलपूर्ति	550
पुलिस आवासों को छोड़कर आवास पुलिस आवास	220
शहरी/विकास	
(क) स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	30
(ख) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	275
सूचना और प्रसारण	10

(शेष पृ०)

1	2
श्रम और श्रम कल्याण . .	25
अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	38
समाज कल्याण	7
पोषाहार .	14
6. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	**2424**
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं . .	7
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं . . (आर्थिक सलाह और सांख्यिकी को छोड़कर) . आर्थिक सलाह और सांख्यिकी .	6
7. आर्थिक सेवाएं	**13**
लेखन-सामग्री और छपाई	6
लोक निर्माण	104
8. सामान्य सेवाएं .	**110**
कुल जोड़ :	**21000**

पुस्तकों के लिये कागज का अकाल

3071. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री के० ए० राजन् :
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तक प्रकाशन विशेषज्ञों ने सरकार को यह चेतावनी दी थी कि यदि कागज उद्योग को अनुशासित करने के लिये तुरन्त कदम न उठाये गये तो देश में कागज का अकाल पड़ जायेगा; और

(ख) यदि हां तो देश में कागज से अकाल को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) प्रकाशकों से इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कागज निर्माताओं ने अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी थी तथा प्रकाशकों को पुस्तक छापने के लिए उचित मूल्य पर कागज मिलने में कठिनाई हो रही है ।

(ख) शिक्षा के क्षेत्र के लिये रियायती दर पर कागज की सप्लाई की मात्रा बढ़ाने के लिये कदम उठाये गये हैं । कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1978, 8 मार्च, 1978 को जारी कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि 25 मी० टन दैनिक या इससे अधिक अधिष्ठापित क्षमता वाली कागज मिलों को उत्पादन का 30 प्रतिशत तक छपाई का सफेद कागज तथा

कुल उत्पादन के 33 प्रतिशत तक लिखाई व छपाई की कागज की 5 अन्य किस्में, क्रीम लेड या बोव कागज, छपाई का रंगीन कागज, डुप्लिकेटिंग कागज, टाईप का कागज, जिसमें क्रीम लेड या बोव कागज 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा, का उत्पादन करना होगा । आशा की जाती है कि इससे आम प्रयोग में आने वाले विभिन्न किस्मों का अधिक कागज मिल सकेगा तथा इसके फलस्वरूप कीमतों में भी कमी आयेगी ।

प्रकाशन विभाग द्वारा निकाले गये प्रकाशन

3072. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान निकाले गये प्रकाशनों के नाम क्या हैं ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक पर कितना व्यय तथा हानि हुई ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री जगवीर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । पिछले तीन वर्षों के दौरान निकाले गए प्रकाशनों की बिक्री में हुई हानियां, यदि कोई हो का हिसाब लगाया जा रहा है और इसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा । पत्रिकाओं की बिक्री में हानियों का मुख्य कारण सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए इन पत्रिकाओं की कीमतें कम रखना तथा इनकी प्रतियों का काफी संख्या में निःशुल्क वितरण रहा है ।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 1816/78]

'टुडे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम हेतु सामग्री भेजने वाले सम्वाददाताओं को अदा की गई राशि

3073. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन संवाददाताओं ने 1977 में 'टुडे इन पार्लियामेंट' तथा 'संसद समीक्षा' कार्यक्रमों के लिए सामग्री भेजी ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक को पारिश्रमिक के रूप में कुल कितनी राशि अदा की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

जिन संवाददाताओं ने 1977 में 'संसद समीक्षा' के लिए स्क्रिप्टें लिखी उनके नाम तथा उन्हें दी गई धन-राशि

क्रम सं०	संवाददाताओं के नाम	दी गई धन-राशि (रुपये)
1	2	3
1.	श्री एन० के० त्रिखा	1,125.00
2.	श्री सतीश जुगरान	900.00
3.	श्री एल० पी० सिंह श्री वास्तव	1,050.00
4.	श्री राम शंकर अग्निहोत्री	750.00
5.	श्री चतुर्भुज मिश्र	450.00
6.	श्री जी० एस० इंदुर्कर	825.00

1	2	3
7.	श्री आनन्द जैन	375.00
8.	श्री दीवान सिंह मेहता	975.00
9.	श्री जे० पी० चतुर्वेदी	900.00
10.	श्री आई० बी० वाजपेयी	300.00
11.	श्री शरद द्विवेदी	825.00
12.	श्री रामजी प्रसाद सिंह	825.00
13.	श्री आर० पी० सूद	375.00
14.	श्री एम० के० माठे	375.00
15.	श्री सत्य सुमन	975.00
16.	श्री विक्रम राव	225.00
17.	श्री आर० सी० पण्डित	375.00

जिन संवाददाताओं ने 1977 में 'टुडे इन पार्लियामेंट' के लिए स्क्रिप्टें लिखी उनके नाम तथा उन्हें दी गई धनराशि

क्रम संख्या	संवाददाताओं के नाम	दी गई धनराशि (रुपए)
1.	श्री जे० एम० देव	525.00
2.	श्री जे० डी० सिंह	825.00
3.	श्री डी० सेन	300.00
4.	श्री सुनील राय	1,050.00
5.	श्री अशिम चौधरी	1,200.00
6.	श्री डी० वी० देसाई	750.00
7.	श्री एम० एम० जार्ज	975.00
8.	श्री एम० के० धर्मराजा	750.00
9.	श्री एच० एन० कौल	825.00
10.	श्री एच० के० दुआ	375.00
11.	श्री एम० एल० कोटरू	525.00
12.	श्री गोपीनाथन नायर	825.00
13.	श्री वी० वी० ईश्वरन	1,200.00
14.	श्री आर० पी० चड्डा	675.00
15.	श्री टी० वी० वेंकटचलम्	525.00
16.	श्री पी० एन० लक्ष्मण	300.00

सेवाओं में आरक्षण के लिए आर्थिक पिछड़ेपन की कसौटी

3074. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवा में आरक्षण देने के लिए आर्थिक पिछड़ेपन की कसौटी को अपनाने तथा कुछ समुदायों को अन्य सुविधायें देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे कब लागू किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में आरक्षण के लिए आर्थिक पिछड़ेपन की कसौटी को अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने और भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा प्रथम श्रेणी की अन्य सेवाओं के लिए परीक्षापूर्ण प्रशिक्षण केन्द्रों में इन जातियों के उम्मीदवारों के दाखले के लिए 9000 रु० वार्षिक आय की कसौटी पहले से ही लागू है। इसी प्रकार विमुक्त, खानाबदोश तथा अर्धखानाबदोश जनजातियों और आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों को समुद्रपार छात्र-वृत्तियां देने के लिए क्रमशः 1000 रु० मासिक तथा 500 रु० मासिक आय की कसौटी भी निर्धारित की गई है।

पिछड़े क्षेत्रों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

3075. **श्री दुर्गा चन्द : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों की परिभाषा करने हेतु नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) तक प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कल्याण कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण

3076. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दी गई सुविधाओं तथा कल्याण कार्यक्रमों के परिणाम-स्वरूप उन लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत पांच वर्षों में, वर्षवार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के कल्याण पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने कितनी धनराशि खर्च की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) कल्याण योजनाओं जैसे शिक्षा, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा अध्ययन किए जाते हैं ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-लड़ाकू रक्षा कर्मचारियों को सिविल कार्यों के लिए नियुक्त किया जाना

3077. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-लड़ाकू रक्षा कर्मचारियों को सिविल काम के लिए नियुक्त करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे गैर-लड़ाकू रक्षा कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो किसी काम पर नहीं लगे हुए हैं ; और

(घ) क्या ऐसे कर्मचारियों को इंजीनियरी और चिकित्सा सेवाओं में नियुक्त करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) शून्य ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Functions of Producers and Programme Executives

3078. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether in the meeting of the Ministry held on the 16th December, 1977, it was stated by the Department in reference to item No. 49 that the number of Producers and Programme Executives is shown separately in the centres and that the functions of these two categories are also different ;

(b) if so, the functions of Producers and those of Programme Executives ;

(c) the criteria adopted in deciding the number of Producers and Programme Executives for a particular station ; and

(d) whether the Producer is considered to be an expert whereas the Programme Executives include persons promoted from among librarians, Programme Secretaries, etc. ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) & (b) It is proposed to amend the last sentence of para No. 12, item No. 49 of the minutes of the meeting of the Consultative Committee held on 16th December, 1977, as under :—

"Strength of Producers and Programme Executives is indicated separately. Both the categories are responsible for planning and production of programmes."

(c) No ratio between the number of Producers and Programme Executives has been fixed. Posts of Producers are sanctioned after reviewing the requirements of a station in respect of some specialised fields of programmes. The strength of Programme Executives is based on the number of regular civil posts sanctioned at the station. Posts of Programme Officers—the term includes both Producers and Programme Executives—are sanctioned on the basis of SIU norms.

(d) Both Producers and Programme Executives are expected to be Experts in planning and production and to have extensive knowledge in some field.

75% posts of Programme Executives are filled by direct recruitment through the Union Public Service Commission and 25% by promotion. The posts of Producers are filled 100% by limited selection from various categories of Staff Artists in AIR, failing which by direct recruitment.

Alleged Detention of Traders of Rabupura Town in Bulandshahr District

3079. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the assurance given in reply to Unstarred Question No. 1380 on 22nd June, 1977 and to information placed on the Table on 18th July, 1977 in pursuance thereof and state :

(a) whether the President of Youth Congress Committee, Rabupura had lodged a false report against Govind Prakash S/o Shankar Lal Maheshwari ;

(b) whether the State Government have completed an enquiry into the matter ;

(c) if so, the outcome thereof and the action taken against the persons responsible for the irregular and illegal act ; and

(d) the reaction of the present Government to the behaviour of President of Youth Congress and also to the action by Officers in this connection ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a), (b), (c) & (d) The Government of Uttar Pradesh are taking action to move the concerned court of law under section 195 (1)(b)(i) of the Code of Criminal Procedure, 1973 for taking action against Shri Girjesh Kumar Bhardwaj under section 211 of the I.P.C. as an inquiry has revealed that he had lodged a false report against Shri Govind Prasad of Rabupura. A case under section 342/220/218 of the IPC is also being registered against the Sub Inspector of Police who had investigated this case against Shri Govind Prasad.

दिल्ली में टेलीविजन केन्द्र में काम करने वाले कैमरामैनों की संख्या

3080. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उपग्रह केन्द्र सहित स्थानीय टेलीविजन कार्यालयों में नियमित और 'स्टाफ आर्टिस्ट' आधार पर काम करने वाले कैमरामैनों की संख्या क्या है ;

(ख) चीफ कैमरामैन के क्या-क्या कार्य हैं ; और

(ग) वर्ष 1974-1975, 1976 और 1977 के दौरान चीफ कैमरामैन ने स्थल पर जाकर वास्तव में कितनी बार फोटोग्राफी की ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से संचालित अमृतसर दूरदर्शन केन्द्र और बेस प्रोडक्शन सेंटर, दिल्ली में काम करने वाले कैमरामैनों की कुल संख्या 40 है । ये सभी स्टाफ आर्टिस्ट हैं ;

(ख) चीफ कैमरामैन के नाम का कोई पद नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बंबई में भारतीय नौवहन निगम द्वारा टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था

3081. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंबई में भारतीय नौवहन निगम द्वारा कुल कितने रिहायशी टेलीफोन कनैक्शनों की व्यवस्था की गई ; और

(ख) वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान अधिकारियों के घरों पर लगे टेलीफोन के संबंध में टेलीफोन बिलों की कुल राशि कितनी थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) 161

		रु०
(ख)	1974-75 .	2,68,450.78
	1975-76 .	2,35,757.79
	1976-77	3,43,268.83

भारतीय नौवहन निगम के लिए कामन कार पूल

3082. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई और कलकत्ता में भारतीय नौवहन निगम के उपयोग के लिए एक कामन कार पूल है, यदि हां, तो वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान बंबई तथा कलकत्ता स्थित कार पूलों के लिए पैट्रोल-डीजल, मरम्मत, रखरखाव और अन्य मामलों पर कितना खर्च हुआ है ; और

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम अपने अधिकारियों को कार भत्ता देती है, और यदि हां, तो क्या पूल से कारों का उपयोग करने वाले अधिकारी कार भत्ता भी साथ-साथ प्राप्त करते हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

गत तीन वर्षों में कार के पूरे बेड़े पर पेट्रोल, डीजल, मरम्मत, रखरखाव इत्यादि पर व्यय नीचे दिया गया है (बंबई और कलकत्ता दोनों का एक साथ) :—

	1974-75	1975-76	1976-77
पैट्रोल और डीजल .	624384	612092	641692
मरम्मत, रखरखाव इत्यादि .	533768	613163	429671

(ख) भारतीय नौवहन निगम उन अधिकारियों को सेवा-शर्तों के अनुसार कार भत्ता देता है जो अपनी निजी कार रखते हैं और सरकारी कार्य के लिए भी उसे प्रयोग में लाते हैं । ये अधिकारी कार्यालय की कार का प्रयोग नियम के रूप में नहीं करते ।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

3083. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास महानिदेशालय नामक संगठन एक प्रभावी संगठन है और क्या उसने गत दो वर्षों में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में कितनी भूतपूर्व सैनिकों को बसाया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) पुनर्वास महानिदेशालय ने पिछले दो वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बसने के लिए निम्नलिखित भूतपूर्व सैनिकों की सहायता की है :--

(1) औद्योगिक भू-खण्डों का आबंटन	84
(2) कृषि-उद्योगों और लघु उद्यमों की स्थापना	67
(3) ट्रेकटरों का आबंटन	1983
(4) एजेन्सियों का आवंटन तथा विभिन्न मदों के वितरण का अधिकार देना	375
(5) परिवहन कार्य	300
(6) स्थायी पुनर्वास के लिए वृहत निकोबार में भेजना	49
(7) व्यावसायिक (सेवानिवृत्ति पूर्व) प्रशिक्षण दिया	3605
(8) नौकरियां देना	6649

इन आंकड़ों से भूतपूर्व सैनिकों को दी गई सहायता का स्वतः ही पता चल जाता है ।

दिल्ली टेलीविजन के कार्यक्रमों में 'कम्पीयर' तथा भेंटकर्ता की भूमिका देने के मानदंड

3084. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में 'कम्पीयर' भेंटकर्ता और विशेषज्ञ के रूप में किसी व्यक्ति को बुलाने के क्या मानदंड हैं ;

(ख) प्रत्येक 'कम्पीयर'/विशेषज्ञ की 1977 के दौरान मासिक उपस्थिति की सही तारीख क्या थी ;

(ग) क्या एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में बारी-बारी से जाने की पद्धति अपनाई जा रही है ; और

(घ) उक्त अवधि में कितने कम्पीयरों/विशेषज्ञों को कार्यक्रमों से निकाला गया और इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) (1) कम्पीयर को मुख्यतया निरन्तरता प्रदान करने के लिए बुक किया जाता है । अतः उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसे विषय का प्रारंभिक ज्ञान हो और उसमें सम्प्रेषण करने की योग्यता हो।

(2) भेंटकर्ता को उस विषय का ज्ञान होना चाहिए जिसमें इन्टरव्यू लिया जाना है।

(3) विशेषज्ञ को विशिष्ट विषय का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए ।

(ख) अनुमोदित पैनल में जो कम्पीयर हैं उनकी सूची संलग्न है जिसमें 1977 के दौरान उनकी बुकिंग की तारीखें भी दी गई हैं । विशेषज्ञों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की सूचना एकत्रित की जा रही है ।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 1817/78]

(ग) कम्पीयरों को विशिष्ट कार्यक्रम के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बारी-बारी बुक किया जाता है । विशेषज्ञों को कार्यक्रम की आवश्यकता और विशेषज्ञता क्षेत्र के अनुसार बुक किया जाता है ।

(घ) जैसा कि ऊपर (ख) में बताया गया है अनुमोदित कम्पीयरों का एक पैनल है । जहां तक विशेषज्ञों का सम्बन्ध है, उनका बुक किया जाना उस विषय पर निर्भर करता है जिस पर चर्चा की जानी हो । किसी कम्पीयर या विशेषज्ञ को इस रूप में निकाला नहीं गया है ।

Regularisation of Casual Staff Artistes

3085. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) full details of casual staff artistes appointed till 31st December, 1976 in Doordarshan (Television) and how many times they have been booked so far ;

(b) the number of casual staff artistes appointed in Doordarshan after 31st March, 1976 and whether fresh booking was stopped and if so, the reasons for appointing them; and

(c) when the casual staff artistes appointed in Doordarshan till 31st March, 1977 will be regularised and the reasons for delay in regularising them ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a), (b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

सरकारी कर्मचारियों को स्थायी करना

3086. श्री के० लकप्पा :
श्री विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि सरकारी कर्मचारी अनुचित रूप से लम्बे समय तक 'अस्थाई' नहीं रहने चाहियें परन्तु उन्हें सेवा में स्थायी किया जाना चाहिये जो 31 मार्च, 1977 के इंडियन एक्सप्रेस में छपा था ;

(ख) यदि हां, तो इस समय सेवा को किस न्यूनतम अवधि के बाद सरकारी कर्मचारी को सामान्य तया स्थायी किया जाता है ;

(ग) विभिन्न मंत्रालयों, अधीनस्थ कार्यालयों अथवा सम्बद्ध कार्यालयों तथा भारत सरकार के सभी स्वतन्त्र कार्यालयों में ऐसे कितने व्यक्ति प्राइवेट सेक्रेटरी पर्सनल असिस्टैंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर दो वर्षों से अधिक अवधि से सेवा में हैं और जिन्हें स्थायी नहीं किया गया है तथा उनके स्थायीकरण के बारे में क्या मानदंड है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त भाग (ग) की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को स्थायी करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटील) : (क) यह सच है कि 31 मार्च, 1977 के इंडियन एक्सप्रेस में इस प्रकार का समाचार छपा था ।

(ख) यदि व्यक्तियों को स्थायी पदों पर परिवीक्षा की निश्चित शर्तों के साथ भर्ती किया जाता है तो उन्हें परिवीक्षा की अवधि, जो सामान्यतः दो वर्ष की होती है, के सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्थायी किया जा सकता है । अन्य मामलों में स्थायीकरण, स्थायी पदों की उपलब्धता, सम्बन्धित व्यक्तियों की पात्रता, उनकी वरिष्ठता तथा उपयुक्तता जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है ।

(ग) ये संवर्ग विकेन्द्रीकृत संवर्ग है और उन पर स्थायीकरण तत्सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है । इन संवर्गों में उक्त पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या तथा उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है, के बारे में सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है । इन अधिकारियों के स्थायीकरण के संबंध में मानदण्ड वही है, जिनका उल्लेख प्रश्न के भाग (ख) उत्तर में किया गया है ।

(घ) यह आश्वासन दिया जाना संभव नहीं होगा कि ऐसे सभी व्यक्तियों को स्थायी कर दिया जाएगा ; क्योंकि स्थायीकरण तत्सम्बन्धित विभागों में स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता और सम्बन्धित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित व्यक्तियों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1308 दिनांक 1-3-78 के बारे में शुद्धि करने वाला विवरण

CORRECTING STATEMENT REG. U.S.Q. No. 1308 dated 1-3-78

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : प्रधान मंत्री सहित मंत्रिमण्डल के सदस्यों तथा राज्य मंत्रियों को 2,250 रुपए प्रति मास का वेतन प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं । वे प्रति मास 500 रुपये का सत्कार-भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी भी होते हैं । उत्तर में प्रयोग किये गये "वे" शब्द के स्थान पर "मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में (पूछताछ)

RE. CALLING ATTENTION (QUERY)

श्री के० लक्कप्पा (टुमकुर) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सम्बन्धी चर्चा के बारे में आपने कल कहा था। इसके सम्बन्ध में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस पर किसी न किसी रूप में चर्चा करने का अवसर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक दिन में एक ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये स्वीकृति देता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न करें। **(व्यवधान)***

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।
Not recorded.

प्रश्नों के बारे में
RE. QUESTIONS

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आज के लिये निश्चित मेरे प्रश्न संख्या 309 को 31 मार्च के लिये स्थगित कर दिया गया है । मैंने अनुभव किया है कि प्रश्नों का बैलट ठीक ढंग से नहीं हो रहा है । आज एक साल के बाद मेरा प्रश्न पांचवे स्थान पर है । उसे भी स्थगित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री ने और समय का अनुरोध किया था ।

प्रश्न को वाणिज्य मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह प्रश्न वाणिज्य को अंतरित नहीं होना चाहिये था । मंत्रालयों को इस बारे में उचित आदेश दिए जाने चाहियें ।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : प्रश्न को अंतरित अथवा स्थगित करने की सूचना सदस्यों को भी दी जानी चाहिये ताकि वे उस दिन दिल्ली से बाहर, यदि कोई कार्यक्रम हो, न जायें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है । श्री कामत को सूचित किया गया था ।

श्री पी० जी० मावलंकर : लेकिन मेरे मामले में ऐसी कोई सूचना नहीं दी गयी । प्रश्न मुझे सूचित किये बिना किसी दूसरी तारीख के लिये स्थगित किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा ।

बिहार की स्थिति के बारे में
RE. SITUATION IN BIHAR

श्री बी० पी० मंडल (मधेपुर) : बिहार की स्थिति विस्फोटक है । इसीलिये मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है । मुझे खुशी होगी यदि आप इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित करें ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैंने देश में बढ़ती हिंसा के बारे में ध्यानार्कषण प्रस्ताव दिया है । अनेक विश्वविद्यालयों में ऐसा हो रहा है । यदि आप ध्यानार्कषण प्रस्ताव को अनुमति नहीं देते तो कम से कम इस पर चर्चा करने की अनुमति दें ।

कुछ माननीय सदस्य : यह सब क्या है ? ये हर समय बोलते ही रहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरीके से नहीं चल सकते । **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : हर समय*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें ।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।
*Not recorded

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम, बम्बई तथा फिल्म वित्त निगम, बम्बई के वर्ष 1976-77 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एल० के० आडवानी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 1791/78]

(ख) (एक) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 1792/78]

आयातित सीमेंट नियंत्रण आदेश 1978, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा सीमेंट निगम आफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन आदि-आदि

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आयातित सीमेंट नियंत्रण आदेश 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 जनवरी 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 7(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 1793/78]

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1794/78]

(ख) (एक) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त (4) (ख) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1795/78]

विशाखापतन पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे आदि

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1796/78]

भारत हैवी प्लेटस एंड वैसल्ज लिमिटेड, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईती) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1797/78]

(ख) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1798/78]

(ग) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चुरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चुरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं०एल० टी० 1799/78]

भारत अर्थ-मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1976-77 का प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा-पटल पर नहीं रखी जा रही है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं०एल० टी० 1800/78]

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फीकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) स्वर्ण नियंत्रण (प्रमाण-पत्रों का दिया जाना) संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 14 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 93(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) स्वर्ण नियंत्रण (प्रपत्र, फीस तथा प्रकीर्ण मामले) संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 14 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 94(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 314 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 1801/78]

अध्यक्ष महोदय : ध्यानार्कषण प्रस्ताव—श्री ज्योतिर्मय बसु

श्री बसंत साठे (अकोला) : तम्बाकू तथा बिहार की स्थिति महत्वपूर्ण विषय हैं । इन पर आप अनुमति नहीं देंगे (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये कहा है ।

बिहार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये विषय को भी महत्वपूर्ण मानता हूं ।

अब हम अगला विषय लेते हैं ।

--श्री ज्योतिमय बसु ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

तम्बाकू उत्पादकों के समक्ष आ रहे गम्भीर संकट का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :--

क्रेताओं, निर्यातकों, सिगरेट निर्माताओं आदि द्वारा तम्बाकू खरीदने तथा सरकार द्वारा तम्बाकू उत्पादकों के लिये लाभप्रद मूल्य बनाये रखने में असफलता के कारण उत्पादकों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट के समाचार ।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बैग) : तम्बाकू बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार तम्बाकू उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के विषय में पूर्णतः जागरूक हैं । इस विषय में हाल ही में किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपायों का मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं ।

2. सरकार ने 1978 की तम्बाकू फसल के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतें तम्बाकू बोर्ड की सिफारिश पर बढ़ाई थी । पिछले वर्ष की कीमतों की अपेक्षा वृद्धि फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के उच्चतम ग्रेड की कीमतों में 5 प्रतिशत मध्यम ग्रेड में 10 प्रतिशत तथा निम्न ग्रेड में 2 प्रतिशत थी । सन क्योर्ड किस्म में वृद्धि पिछले वर्ष की कीमतों पर 20 प्रतिशत थी ।

3. तम्बाकू बोर्ड द्वारा खरीद मूल्य की प्राप्ति में विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से, तम्बाकू बोर्ड ने चालू तम्बाकू विपणन मौसम के दौरान तम्बाकू पत्ती खरीद वाउचर प्रणाली नामक एक योजना लागू की । बोर्ड ने यह प्रणाली उस समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अपनाई थी जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने तम्बाकू उपजकर्ताओं को विलम्ब से भुगतान किये जाने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था । यह प्रणाली मूल रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई कि माल की सुपुर्दगी पर खरीददारों द्वारा उपजकर्ताओं को खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत का तत्काल भुगतान किया जाये तथा शेष राशि उसके बाद उचित अवधि में ब्याज सहित दी जाये । मंशा यह थी कि इस प्रणाली के अंतर्गत सभी भुगतानों को चैक द्वारा देने की अनुमति दी जाये ।

4. व्यापारियों द्वारा विरोध के कारण विपणन आरम्भ करने में कुछ देरी हुई । इस नई अदायगी प्रणाली को अमल में लाने में व्यापारियों द्वारा बताई गई कठिनाइयों पर 1 फरवरी, 1978 को वाणिज्य

मंत्री ने व्यापारियों, उपजकर्ताओं तथा अन्य पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में विचार-विमर्श किया। कुछ समझौते पर और यह आश्वासन देने पर कि बढ़ी हुई ऋण सुविधाओं के संबंध में हम भारतीय रिजर्व बैंक की मार्फत उनकी मदद करेंगे, अंत में बाजार 9 फरवरी 1978 को खुला। तथापि, खरीदारियां बहुत थोड़ी हुई और इस बीच हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाओं द्वारा इस वाउचर प्रणाली को भी चुनौती दे दी गई।

5. विपणन की मंद गति और उसके कारण उपजकर्ताओं द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाई को देखते हुए तम्बाकू बोर्ड ने अंततः 26 फरवरी, 1978 को अपनी बैठक में इस स्थिति का पुनर्विलोकन किया। स्थिति पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद और उपजकर्ताओं के हित में विपणन की गति बढ़ाने के उद्देश्य से बोर्ड ने चालू मौसम में इस योजना के कार्यान्वयन में दो संशोधन किये। उसने नकद रूप में भी अदायगी की अनुमति देने का विनिश्चय किया और कम से कम 50 प्रतिशत आरंभिक तत्काल अदायगी करने के बाद शेष खरीद मूल्य की अदायगी के लिए अवधि 90 दिन से बढ़ा कर 150 दिन कर दी गई।

6. योजना में इन संशोधनों के बाद रिट याचिकाएं वापस ले ली गई और विपणन की गति भी बढ़ गई है। अब तक चालू मौसम के दौरान लगभग 50,000 मे० टन वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद की जा चुकी है। खरीद की वर्तमान दर संतोषजनक समझी जाती है और बाजार सामान्य रूप से काम कर रहा है।

7. भारतीय राज्य व्यापार निगम तम्बाकू के निर्यात व्यापार में उत्तरोत्तर अधिक भाग ले रहा है तथा निगम सहकारी समितियों तथा अन्यों के मार्फत लगभग 5,000 मे० टन मात्रा की खरीद के लिए मौसम के प्रारंभ से ही बाजार में सक्रिय है। राज्य व्यापार निगम ने जो खरीद की है वह उनकी निर्यात करने की क्षमता के अनुमान के अनुसार है।

8. तम्बाकू बोर्ड ने किसानों के स्तर पर ग्रेडों का मानकीकरण करने का प्रयास किया था तथा किसानों के मार्गदर्शन के लिए तीन महत्वपूर्ण फार्म ग्रेडों की संकेतक कीमतों की घोषणा की गई। ये कीमतें बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष घोषित की गई संकेतक कीमतों से लगभग 4 प्रतिशत ऊंची थीं।

9. लगभग 60,000 हैक्टार क्षेत्र में वर्जीनिया तम्बाकू की फसल को नवम्बर, 1977 में आंध्र प्रदेश में आये चक्रवात से भारी क्षति पहुंची थी। चक्रवात से तम्बाकू शोधित करने के 10,000 से अधिक खलिहानों को भी नुकसान पहुंचा था। तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से हमने तम्बाकू उपजकर्ताओं को तत्काल वित्तीय सहायता भेजी ताकि वे फसल को दुबारा बो सकें और खलिहानों का पुनर्निर्माण कर सकें। कुल मिलाकर लगभग 3.5 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। पुनर्रोपण सहायता पूर्णतः क्षतिग्रस्त फसल के लिए 1250 रुपये प्रति हैक्टार की दर से और अंशतः क्षतिग्रस्त फसल के लिए 625 रुपये प्रति हैक्टार की दर से दी गई। छोटे और सीमान्त किसानों के विषय में इस सहायता का 25 से 33-1/3 प्रतिशत भाग तो सीधा इमदाद के रूप में दिया गया और शेष भाग ऋणों के रूप में दिया गया, जो लौटाये जाने थे। इसी प्रकार खलिहानों के विषय में सहायता अंशतः 500 रुपये प्रति खलिहान के हिसाब से इमदाद के रूप में दी गई और शेष ऋणों के रूप में दी गई।

10. फसल को फिर से बोने के लिए हमने जो सहायता समय पर दी थी, उसके कारण वर्तमान फसल काफी अच्छी होने का अनुमान है तथा इस वर्ष लगभग 1,20,000 मे० टन वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन होने की आशा है। इस वर्ष हमारे पास बेशी उत्पादन है, पर हमारे दो प्रमुख बाजारों--ब्रिटेन तथा सोवियत संघ--से निर्यात माँग अपेक्षाकृत कम है। इसके अतिरिक्त उच्च ग्रेड के तम्बाकू का अनुपात चालू फसल में कम होने का अनुमान है तथा मध्यम एवं निम्न ग्रेड के तम्बाकू का अनुपात

अधिक होने का अनुमान है । इन तीन कारणों अर्थात् अधिक फसल, कम निर्यात माँग तथा मध्यम एवं निम्न ग्रेड की अधिक मात्रा से स्वभावतः कीमतों में कुछ मंदी आई है, यद्यपि यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि उपजकर्ताओं को मिल रही कीमतें लाभप्रद स्तर से कम हैं । तथापि तम्बाकू बोर्ड और सरकार स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक ऐसा मामला है जिसका संबंध आंध्र और कर्नाटक के लाखों लोगों से और सरकारी कोष से है ।

देश में कुल 11 करोड़ किलो तम्बाकू का उत्पादन होता है । तम्बाकू खरीदने का मौसम दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होता है और जनवरी के तीसरे सप्ताह तक चलता रहता है। इस वर्ष फरवरी के मध्य तक 90,000 टन तम्बाकू इकट्ठा हो गया था लेकिन फरवरी के अन्त तक केवल 10,000 टन तम्बाकू खरीदा जा सका । व्यापारी बिचौलिए और सिग्रेट निर्यातक--सब मिल कर एक हो गए हैं । राज्य व्यापार निगम ने अब तक बिचौलियों से 40 लाख किलोग्राम तम्बाकू खरीदा है । तम्बाकू उत्पादकों के पास 50–60 किलो के स्टाक अनबिका पड़ा है । कृषि मूल्य आयोग आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने जो उत्पादन लागत के बारे में अनुमान लगाया है वह भी तम्बाकू की वास्तविक उत्पादन लागत से बहुत कम है । लागत के बारे में अनुमान लगाते समय दो मुख्य बातों को छोड़ दिया गया है । भूमि को कीमत पर ब्याज और खाते की लागत के मूल्यह्रास तथा उसके रखरखाव पर लगने वाले ब्याज को ध्यान में नहीं रखा गया है । इन मुख्य मदों को उत्पादन लागत में से छोड़ दिया गया है । जो कुछ बताया गया है वह मनगढ़न्त है और इससे व्यापारी, मध्यस्थों, सिग्रेट बनाने वालों को लाभ होगा । यह तो दिन दिहाड़े लूट है ।

अमरीका, ब्रिटेन को 23 रुपये किलो वर्जीनिया तम्बाकू बेच रहा है । हमारे यहाँ के तम्बाकू और वहाँ के तम्बाकू में कोई अन्तर नहीं है लेकिन हमारे उत्पादकों को औसतन 8 रुपये किलो से ज्यादा नहीं मिल रहा है । और इस वर्ष तो 8 रुपये से भी कम कीमत मिलने की संभावना है । ब्रिटेन समृद्ध देश अमरीका के उत्पादक को 23 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मूल्य चुका रहा है और हमारे यहाँ के उत्पादक को 8 रुपये किलो मिल रहा है । मध्यस्थ विशेषकर एकाधिकारी निर्यातक, सिगरेट बनाने वाले स्थिति का नाजायज फायदा उठा रहे हैं । मुझे गुंटूर से एक ट्रंक काल आई है जिसमें कहा गया है कि किसानों ने पत्तियां तोड़ना, उसके बंडल बनाना और उसको पकाई इत्यादि सब काम छोड़ रखा है क्योंकि इन सब की लागत उस कीमत से पूरी नहीं होती जो आज उन्हें मिल रही है । वाणिज्य मंत्रालय और राज्य व्यापार निगम तो मूक दर्शक की भाँति है। मैंने उनसे बार-बार अनुरोध किया लेकिन सब निष्फल रहा। जनता सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने की प्रतिज्ञा की है। अब उनकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। तम्बाकू बोर्ड में निहित स्वार्थ वाले लोग भरे हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं आखिर तम्बाकू बोर्ड क्या काम कर रहा है ?

31 वर्षों में वे पहली बार प्रस्तावित प्रगतिशील उपायों का विरोध कर रहे हैं । यह जो वौचर प्रणाली शुरू की जा रही है जिसके अनुसार 50 प्रतिशत अदायगी उन्हें तुरंत कर दी जाएगी और बाकी 50 प्रतिशत 150 दिनों के भीतर की जाएगी तथा 8 फार्म ग्रेडों की स्थापना जिससे बीजक बनाने में जो हेरा-फेरी की जाती है उसको रोका जा सके तथा उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु नीलामी प्लेट-फार्मों की भी जो व्यवस्था की गई है वह उसके पक्ष में नहीं है ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ तथा एकाधिकारी तम्बाकू कम्पनियाँ एक तीर से दो निशाने साध रही है । एक तो अपने उपयोग के लिए तम्बाकू की वसूली और वे इन प्रगतिशील उपायों को काटने का प्रयास कर रहे है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं क्या सरकार अब सीधे ही दस मिलियन किलो

तम्बाकू उत्पादकों से खरीदेगी । इस कार्य में निश्चय ही उसे 4 करोड़ की हानि होगी पर तंबाकू से 35 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क की आय होगी । इसलिए तम्बाकू उत्पादकों के हित में 4 अथवा 5 करोड़ रुपया खर्चने में झिझकना नहीं चाहिए ।

कई देशों में जैसे जापान, तुर्की इत्यादि में तम्बाकू का व्यापार सरकारी एकाधिकार के हाथ में है क्या सरकार अपने यहाँ भी ऐसा तरीका अपनाएगी ताकि गैर-सरकारी उद्यमियों को इस व्यवसाय से बिल्कुल बाहर कर दिया जाए।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं माननीय सदस्य की चिंता में सहयोगी हूं । माननीय सदस्य के सहयोग से ही हमारे लिए तंबाकू बोर्ड के समूचे दृष्टिकोण का पुनर्गठन करना संभव हुआ है ।

सरकार ने पहली बार वौचर प्रणाली शुरू की है तथा नीलामी प्लेटफार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है । कल ही मंत्रिमंडल ने मेरे विधेयक को स्वीकृति दी है और मैं शीघ्र ही यह विधेयक सभा में पेश करूंगा तदनुसार समूचे देश में नीलामी में तम्बाकू खरीदने के लिए प्लेटफार्म खोले जाएंगे ।

जहाँ तक इस सुझाव का सम्बन्ध है कि राज्य व्यापार निगम को 10,000 टन तम्बाकू और खरीदना चाहिए, मैंने इस बारे में वित्त मंत्री से पहले ही बातचीत कर ली है और जितना संभव हो सके हम उतना तम्बाकू राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खरीदेंगे । मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हमें तम्बाकू उत्पादकों का पूरा ख्याल है । तम्बाकू बोर्ड ने इस वर्ष जो विभिन्न निर्णय लिए हैं उनमें सरकार के दृष्टिकोण की झलक मिल जाएगी ।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

दूसरा प्रतिवेदन

Shri H.V. Kamath (Hoshangabad) : Sir, I beg to present the second Report of the Committee on Petitions.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का चौदहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

दिल्ली में राशन की दुकानों पर घटिया किस्म का चावल दिये जाने के बारे में

RE. SUPPLY OF INFERIOR QUALITY RICE IN DELHI RATION SHOPS

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : कल मैंने खाद्य मंत्री को दिल्ली में सप्लाई किए जा रहे निम्न कोटि के चावल के बारे में पूछा था । अपने उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि मुझे इस बारे में शिकायतें मिली किन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया । कल मैंने बहुत सी राशन की दुकानों पर चावल देखा और पता चला कि सारी दिल्ली में इसी तरह के चावल की सप्लाई की जा रही है। यह बहुत गंभीर मामला है । इससे कम से कम 50 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं । मंत्री जी को तत्काल इस ओर ध्यान देना चाहिए अन्यथा गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है ।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

1. जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी धारियों के साथ धोखा-धड़ी करने का समाचार

Shri Subhash Ahuja (Betul): I want to draw the attention of the House to a news item appearing in the Navbharat Times of 13th March under the caption "Fraud on the citizens by the LIC". According to the news, prior to 1974 the policy of the LIC was that if a policy holder after depositing a premium for three years is unable to continue his policy then he will not get anything back out of the sum deposited. In 1974 the LIC changed its policy and extended the period from three years to five years. But this information was not communicated to the policy holders. The result is this that even those persons who had deposited their premiums upto 4-3/4 years and were subsequently unable to do so will lose their money and the LIC will earn crore of rupees. I would like to know from the Government whether this news item is correct or whether it has been published with a view to malign the Janata Government. In case the report is correct will the Government take any action against the senior officers of the LIC who had prevented the agents from giving the information regarding change in the rule to the policy holders.

2. आल्वा आयोग प्रतिवेदन के पहले पता लग जाने का कथित समाचार

श्री भगत राम (फिलौर) : स्वास्थ्य मंत्री श्री राज नारायण ने 2-3-1978 को सभा में एक वक्तव्य दिया था कि आल्वा आयोग के प्रतिवेदन से पता चला है कि श्री जयप्रकाश नारायण नजरबंदी के दौरान जब उन्हें स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संस्थान चण्डीगढ़ में रखा गया था तो उनके साथ जो व्यवहार किया गया वह सदमा पहुंचाने वाला है और 4 मार्च, 1978 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के चिकित्सकों पर अभियोग" समाचार से इस संस्थान के बारे में सम्पूर्ण देश में आशंकाएं व्यक्त की जा रही है । समूचा राष्ट्र यह जानने को उत्सुक है कि प्रतिवेदन में क्या कहा गया है ।

मंत्री जी ने यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने का वचन दिया है । किन्तु बाद में मंत्री जी ने निर्णय किया कि अंतरिम प्रतिवेदन को सभा में पेश नहीं किया जायेगा । इससे लोगों में असंतोष व्याप्त है ।

पी० जी० आई० के चिकित्सकों ने न्यायिक जाँच की मांग की है और समाज के सभी वर्गों ने इस बात का समर्थन किया है । इस माँग को अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि न्याय हो सके और जनता को वास्तविकता का पता लग सके । उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी को प्रतिवेदन

के सभा में पेश किए जाने से पहले प्रेस को पता लगने के बारे में स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए । हम इस समूचे मामले की न्यायिक जाँच करवाने की जबरदस्त माँग करते हैं ।

3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थिति

Shri Chandra Shekhar Singh (Varanasi): I want to draw attention of the Government to the serious situation arising in the Aligarh Muslim University as a result of the vice-chancellor's policy of dividing the University students into two groups—Azamgarhi and non-Azamgarhi and encouraging faction fights resulting in injuries to a number of student s. All the organisations of the students, teachers and employees have demanded the removal of the vice-chancellor. The situation is deteriorating day by day. The Government should take timely, proper and effective action to meet the situation.

4. टिड्डी दल के आक्रमण की आशंका

Shri Nathu Singh (Dansa): According to the World Food and Agriculture Organisation there is a likelihood of locust invasion in Africa/Arab countries and the Indian sub-continent. It is learnt that millions of locusts have already entered African countries. Government should be alert and take some timely action to prevent their entry into Indian territory. In 1958 locusts had destroyed 1.67 lakh tonnes of foodgrains. Government should act immediately to prevent this kind of loss to the country.

5. पटना में व्याप्त गंभीर स्थिति

Shri Manohar Lal (Kanpur) : In Patna an explosive situation is developing. The Congress Party has from the very beginning adopted the policy of divide and rule. Not only it followed the policy during the last 30 years but it continues to follow this policy even today after losing power. This organisation is behind certain unhappy happenings. What happened in Patna yesterday and what happened on the occasion of 'Amrit Mahotsava' of Shri Jaya Prakash Narayan is a proof of it.

The Congress remained in power during the last 30 years and no attention was paid during all these years. Now when Janata Government is paying attention to those people and want to give some facilities to them the Congress-men in collusion with the anti-social elements have started an agitation in an organised manner. Let Government be beware of these activities and put a stop to it.

सामान्य बजट 1978-79 —सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET 1978-79—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब 1978-79 के लिए बजट (सामान्य) पर आगे चर्चा होगी ।

Shri S.S. Das (Sitamarhi): Gandhiji had warned that after the departure of British the urban sector will step in. This has come true.

Broadly speaking two types of mistakes had been committed by the outgoing Government. One was about the concept of economic planning and the other was in regard to implementation. Under the previous regime planning was not meant for economic

growth. Rather, planning was meant for perpetuation of dynastic rule and political power. Through this Budget Janata Party has tried to rectify this and give a new direction to our economy. The provision of huge sums for rural areas and cottage and small scale industries is a welcome sign which will give a new turn to the whole economic pattern.

So far as the question of implementation is concerned, changes have been made at the administration level in the whole frame-work and more powers are proposed to be given to Panchayats. A Committee has been set-up under the chairmanship of Shri Asoka Mehta and its report is awaited.

Similarly, command development area has been located and for implementation of the whole plan in place of the traditional bureaucracy, a parallel voluntary agency is proposed to be evolved.

There are proposals in the Budget for tax on coal and electricity. The Finance Minister should reconsider those proposals.

प्रो० आर० के० अमोन (सुरेन्द्र नगर) : इस बजट को विभिन्न नाम दिए गए हैं जैसे मुद्रास्फीति वाला बजट या मिश्रित बजट या अकाउटैन्ट का बजट या एक काल्पनिक और प्रगति प्रधान बजट। किन्तु इस पर सही ढंग से विचार किया जाना चाहिए। इस बजट में बहुत अच्छे इरादे तथा लक्ष्य हैं और यह इतना जटिल नहीं है कि इसमें परिवर्तन किए जा सकें।

प्रायः बजट को तीन दृष्टिकोणों से जांचा जाता है, आर्थिक, इक्विटी तथा स्थिरता। किन्तु ऐसे समय में मैं यह जानना चाहूंगा कि इससे गरीब लोग कितने लाभान्वित होंगे।

कृषि कार्य में लगे लोगों की प्रति व्यक्ति आय, जो कि कुल जनसंख्या का 72 प्रतिशत है, कम होती जा रही है। खाने योग्य तेल, खाद्य पदार्थों, मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत भी 1971 से कम होती जा रही है। कृषि कार्य में लगे लोगों की प्रति व्यक्ति आय घटने से अन्य समस्याएं —जैसे सामाजिक तनाव, हड़ताल, घेराव, असंतोष, शहरी गरीब लोगों की समस्या तथा शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों की समस्या पैदा हो गई है। इसीलिए इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए और इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र हैं जो कि समस्याओं से ग्रस्त हैं। पहला कृषि क्षेत्र है जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है। जब तक कृषि क्षेत्र के लिए बजट में अधिक धन का प्रावधान नहीं किया जाता तब तक कृषि क्षेत्र के साथ गत 30 वर्षों के दौरान किये गए अन्याय में सुधार नहीं हो सकता है। दूसरा सरकारी क्षेत्र जो कि देश के निवेश योग्य संसाधनों का 62—65 प्रतिशत भाग ले लेता है, तब भी निवेश योग्य संसाधनों के बराबर अंशदान नहीं कर पाता। तीसरा क्षेत्र रुग्ण औद्योगिक क्षेत्र है। चौथा क्षेत्र भ्रष्ट क्षेत्र है जहां काला धन तथा समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है।

कृषि क्षेत्र में पूंजी का अभाव है। इसमें प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। इस बजट में इसके लिए पर्याप्त धन का प्रावधान किया जाना चाहिए। डेरी विकास के लिए किया गया प्रावधान पर्याप्त है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय में वृद्धि होगी साथ ही इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा।

कृषि क्षेत्र पर कई प्रतिबंध हैं। प्रतिबंध ये हैं कि इसमें उत्पादित वस्तुओं को निर्यात करने की अनुमति नहीं है। चीनी, गुड़, आलू, प्याज और इसी तरह की अन्य वस्तुओं पर जो भी रोक लगाई गई हो, उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए तीन चीजों की नितांत आवश्यकता है। सिचाई, बिजली और व्यापक पैमाने पर सेवाएं। सिचाई के लिए किए गए प्रावधान में केवल 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

बिजली के लिए किए गए प्रावधान में भी वृद्धि की जानी चाहिए। बिजली का अतिरिक्त उत्पादन जितना भी हो, उसमें से 50 प्रतिशत बिजली कृषि के लिए दी जानी चाहिए।

हमने अपने निवेश योग्य संसाधनों का 60 से 65 प्रतिशत का प्रावधान सरकारी क्षेत्र के लिये किया है किंतु हमें उससे पर्याप्त उपलब्धि नहीं हुई है। क्या वित्त मंत्री को इस बात पर विचार करना अच्छा नहीं है कि राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम जैसे सरकारी उपक्रमों को बन्द कर दिया जाये या उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाये।

श्री मोरारजी देसाई द्वारा पेश किया गया स्वर्ण नियंत्रण आदेश कीनजियन सिद्धांत पर आधारित था कि इस अनुत्पादक निवेश को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। किंतु अब समूचे विश्व में यह स्वीकार कर लिया गया है कि यह निवेश एक उपकरण है और मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय है। इसका अवमूल्यन नहीं होता। इसलिए सोने का आयात करने तथा इसे लोगों में बेचने की अपनाई गई नई नीति पुरानी नीति से बिल्कुल भिन्न है जिसके लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। विदेशों में चांदी की ऊंचे मूल्यों पर मांग है और इसलिए इसका निर्यात किया जा सकता है। इस तरह की नीति अपनाकर शायद वित्त मंत्री घाटे के बजट को कुछ हद तक रोक सकेंगे।

घाटे की अर्थव्यवस्था गत वर्ष भी 884 करोड़ रुपये की थी और फिर यह 975 करोड़ रुपये हो गया। किंतु यह अन्तर उतना नहीं हुआ जितना कि कांग्रेस के शासन में होता था। यदि हम पांच वर्षों की औसत निकालें तो अनुमानित घाटे की अर्थव्यवस्था 175 करोड़ रुपये थी किंतु वास्तविक रूप मे औसत पर यह 800 करोड़ रुपये है।

सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि यद्यपि घाटे की अर्थव्यवस्था है, फिर भी मूल्यों में स्थिरता होगी। इस तरह की बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि मूल्यों में स्थिरता है क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया है और कृषि उत्पादन बढ़ गया है।

इसके अतिरिक्त मध्य पूर्व के देशों में काम कर रहे हमारे देश के दो तीन लाख लोगों ने 2400 करोड़ रुपया देश भेजा है। इससे भी मुद्रास्फीति कम हुई है।

सुगम मुद्रा नीति से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और बैंकों के जमा खातों में पड़े धन, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा, में भी कमी होगी।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है वित्त मंत्री आय कर उद्देश्यों हेतु सीधे ही 10,000 रुपये तक छूट दे सकते थे। उन्हें निगमित कर को भी घटाना चाहिए। यदि यह कर हटाया जाता है अथवा कम किया जाता तो मध्यम आय वर्ग के लोग भी शेयरधारी बन सकते हैं और कम्पनी कानून में जो भी बुराइयां हैं वह दूर की जा सकती हैं। वित्त मंत्री को संपत्ति कर, सम्पदा शुल्क तथा उपहार करों को समाप्त करके उनके बजाय मृत्यु शुल्क लगाना चाहिए था।

भ्रष्ट क्षेत्र से निपटने का विमुद्रीकरण कोई तरीका नहीं है।

वित्त मंत्री ने हाल ही में दो तीन समितियों की नियुक्ति की है जैसे कि दागली समिति। इन समितियों की नियुक्ति पहले की जानी चाहिए थी।

अन्त में मैं पांच-छह सुझाव देना चाहता हूं एक आय और मूल्य बोर्ड की नियुक्ति की जानी चाहिए। उद्योगों को किस स्तर तक सुरक्षा प्रदान की जाए यह निर्णय करने के लिए एक सुरक्षा बोर्ड बनाया जाना चाहिए। आय और मजूरी नीति का निर्णय करने के लिए सरकार को श्रमिकों, प्रबंधकों और सरकार का एक त्रिपक्षीय आयोग बनाना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आर्थिक समन्वयन मंत्रालय नामक दो पृथक मंत्रालय बनाने चाहियें।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : यह बजट हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है। हम यह अपेक्षा कर रहे थे कि बजट प्रस्तावों से देश में मुद्रास्फीति कम होगी लेकिन वित्त मंत्री के यह बजट प्रस्ताव उल्टा मुद्रास्फीति को बढ़ाएंगे। श्री पटेल एक अनुभवी अर्थशास्त्री और प्रशासक हैं इसलिए हम उनसे यह आशा कर रहे थे कि उनका बजट अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा। देश का विकास होगा और मूल्यों में कमी होगी लेकिन हमारी सभी आशाओं पर पानी फिर गया है।

1975-76 में जब खाद्यान्नों का उत्पादन 121 लाख टन था विकास दर 8.5 प्रतिशत थी अब जबकि हमारे खाद्य उत्पादन 1200 लाख टन के लक्ष्य पर पहुंच गया है विकास दर केवल 5 प्रतिशत रह गई है। उस वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 11.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई लेकिन इस वर्ष वृद्धि की दर भी घटकर 4 प्रतिशत ही रह गई। बिजली उत्पादन की दर में भी समुचित कमी हुई है। 1975-76 के 13.5 प्रतिशत से घटकर इस वर्ष यह दर 2.5 प्रतिशत ही रह गई है। जहां तक थोक मूल्यों का संबंध है 1975-76 में विकास दर—1.1 प्रतिशत थी और 1976-77 में नाम मात्र की अर्थात् 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन इस वर्ष यह तिगुनी बढ़ गई है अर्थात् वृद्धि 6.6 प्रतिशत हो गई है। निर्यात में भी 1975-76 में 27.2 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि इस वर्ष वृद्धि केवल 9.3 प्रतिशत हुई। 1976 में आयात में 3.6 प्रतिशत कमी हुई किन्तु इस वर्ष उसमें 3.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है और कुछ वस्तुएं जिनका पहले निर्यात किया जाता था अब आयात की जा रही है। नोटों का चलन भी 950 करोड़ रुपये बढ़ गया है और वित्त मंत्री कह रहे है कि इस समय आर्थिक स्थिति अत्यधिक अनुरूप है और हम आगे बढ़ने के लिए साहसी कदम उठा सकते हैं और यह बजट एक ऐसा ही कदम है। यह समझ नहीं आता कि इसे किस प्रकार साहसी कदम कहा जा सकता है जबकि प्रत्येक क्षेत्र में ह्रास हो रहा है।

मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि देश में कितने निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और कितने निर्धनता के स्तर से ऊपर जीवनयापन कर रहे और कितने रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं और कितने लोगों को उद्योगों में लाभप्रद रोजगार प्राप्त हुआ है।

यह बजट न तो उत्पादन बढ़ाने वाला है और न ही रोजगारोन्मुख है। यह बजट मुद्रास्फीति पैदा करने वाला है अतः वित्त मंत्री को इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ सके और बचत को प्रभावी बनाया जा सके। पूरी स्थिति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

Shri H.L. Patwari (Mangaldai): I have listened the speech of the honble Minister as well as those of the hon. Members. As regards the stability of our economy there should be a national policy as to how much money should be realised from our countrymen in the form of various taxes and how it should be distributed for different purposes. Fifty percent of the revenue from taxes should be spent on production schemes, five percent should be deposited in a Reserve Fund and an adequate percentage should be provided for agriculture. The economy of our country should not be kept mainly dependent on agriculture. At present 74 per cent of our people are employed in agricultural sector. Steps should be taken to reduce this percentage and bring it to about 40 per cent by providing more and more employment opportunities in vocational trades and other sectors.

Unless reorganisation of our scattered villages is undertaken the economy of our country will not improve as expected. Villages with population of 15-20 thousands each

should be set up and facilities as available in cities should also be extended to these villages. With the reorganisation of the villages we will be able to reduce expenditure being incurred on schools, roads etc. and we will be able to set up a uniform society.

We have been able to abolish the political kings from the society but economic kings have come into existence who are exploiting people and are proving more dangerous. Necessary restrictions should be imposed on these economic kings and curbs should be imposed on the expenditure being incurred by them.

Our education policy is such that it needs improvement. On the one hand a lot of expenditure has to be incurred by people on getting education and on the other, they are criticised as bureaucrates, when they enter into the services. A uniform pattern of education should be derived so that bureaucrates are not produced by this system of education. Persons getting education should be able to take part in the development of the country.

There is no coordination at different levels of education. This should be considered. Also there should be some stability in the education policy. To include education in the concurrent list will be a step in the right direction. There should be a Wage Board for the teachers.

Certain age and qualifications should be prescribed for politicians also, so that the administration could become more efficient. Ultimately, it is the politician under whom the official machinery functions.

On the one hand about six lakh persons were sterilised in a year and on the other about 12 lakhs non-Indian's came and settled in India. How will then our population problem be solved? Proper attention had to be paid to this problem.

Entire earnings from taxes should be spent on activities meant for the welfare of the people.

Double price system should be abolished at the earliest.

The services of pensioners should also be utilised.

Shri Kalyan Jain (Indore) : Adoption of Russian or American technology in India have not proved beneficial as the conditions prevailing here differed than those prevailing there. Therefore, a different technology suitable to the conutry should be adopted.

The budget do not specifically provide anything for removal of disparities, any measures for stability of prices and any steps to ensure proper price to the farmers for their products.

The deficit budget can never prove beneficial for a developing and agricultural country. It will result in increas in the prices of industrial products.

No steps have been taken to end feudalism and capitalism in the country.

I am of the opinion that nobody should be given a salary of more than Rs. 2,000/- per month as the average income of a section of people in the country is Rs. 100/- per annum. There should be 100 percent tax on those who spend more than Rs. 24,000 per year. It is strange that there is no mention in the Budget about the mode of progress made by other countries and the ways and means being adopted by our country for achieving progress at that rate.

It is strange that agricultural income has been exempted from income-tax. This has given birth to so many mal-practices. There are people who hardly harvest 100 quintal food crop but show it as 1000 quintal. That way they convert their black money into white. So my submission is that income-tax should be imposed on agricultural income also. It will be appreciated if the policy of one-person-one-trade is introduced.

I am of the opinion that direct taxes are much better than indirect taxes. The higher strata of society who use luxurious goods such as motor cars, refrigerations, tape recorders and televisions etc. should be taxed heavily. If such measures are not taken, the Janata Government will not be able to fulfil the promises made to the people during elections.

A huge amount is being spent on the payment of pension to freedom fighters and also to the former member of Parliament. It is a superfluuos expenditure and I suggest that this pension be abolished.

Regarding the problem of unemployment in the country, my submission is that steps should be taken to ensure more and more employment in productive sphere. For this purpose labour intensive industries should be given protection and be encouraged as compared to capital intensive industries.

I am of the opinion that three-language formula should be introduced from 8tn class instead of 6th class. This will result in a saving of 100 crores to the States. Public schools should also be abolished.

There is a growing tendency among the states to have deficit budgeting. This tendency should be discouraged.

Regarding the categorisation of industries, my suggestion is that it should be prescribed as to which industry falls under the category of cottage, small scale medium and large-scale industries. At present there is a lot of confusion in this regard as a result of which large scale industries try to grab the benefits being given to small scale industries.

The control system which is in vogne at present with regard to cloth and sugar should be done away with because it ultimately leads to double pricing system.

My other submissions are that loans should not be given by the Government and the Banks for purchase of vehicles and some mal-practices are prevelant in this regard. The foreign exchange reserves should be properly utilized. The Excise duty which has been increased from 2 per cent to 5 per cent should be withdrawn. Similarly, the use of computers, harvestors and big tractors should also be stopped.

Lastly, I may submit that Gold Control Order should be withdrawn. Cars should not be allowed to use diesel engines, petrol engines should continue.The public corporations like the State Trading Corporation and the Metals and Minerals Trading Corporations should be democratised. Efforts should also be made to improve their administration.

Regarding Court cases, it has been rightly stated by Shri Shanti Bhushan that every case should be decided by lower as well as higher courts within a year's time.

I hope the hon. Finance Minister will Consider my suggestions.

श्री टी० बालाकुण्णैया (तिरूपति) : वर्तमान बजट एक तदर्थ बजट है । बजट में न तो कोई तर्कपूर्ण विचार है और न ही कोई विशेष दर्शन निहित है । यह बजट सामान्य रूप से न तो देश

की आर्थिक समस्याओं को हल करने वाला है और न ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की आर्थिक समस्याओं को विशेषतया हल करने वाला है। इस दृष्टि से यह बहुत निराशाजनक बजट है। आंध्र-प्रदेश का रायल सीमा क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है यद्यपि इस क्षेत्र में प्राकृतिक और खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं फिर भी सरकार ने इनके उपयोग के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। यद्यपि रायलसीमा में कुछ उद्योगों की स्थापना की अनुमति भी दी गई लेकिन वह सभी उद्योग अधिकांशतः नगरीय क्षेत्रों में खोले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का सुधार तभी हो सकता है जबकि उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण हो। शहरी क्षेत्रों के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक उद्योग खोले जाने चाहिए।

सरकार ने लोगों में क्रय क्षमाता के निर्माण के लिए सरकार ने कोई पहल नहीं की है। अविशिष्ट मदों पर सामान्य उत्पाद शुल्क में 2 से 5 प्रतिशत तक वृद्धि तथा बजट में दर्शाए गए घाटे से मूल्यों में वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी।

मूल्यों में वृद्धि का एक कारण यह भी है कि व्यापारियों को विभिन्न चुंगी चौकियों पर नाजायज भुगतान करना पड़ता है और वह मूल्यों में वृद्धि करके सारा भार उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। वह भी विवश हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में इस प्रकार की नजायज मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

1977-78 में समग्र घाटा 975 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और हो सकता है इस वर्ष यह 1050 करोड़ रुपये तक पहुंच जाए। फ़जूल के खर्चे इस घाटे के लिए जिम्मेदार हैं अतः बेकार के सभी खर्चों को समाप्त किया जाना चाहिए धनवान विलासिता की वस्तुओं पर दिल खोल के पैसा खर्च कर रहे है और सरकार का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके द्वारा वह धनवानों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाकर उनसे अधिक धन वसूल कर सकें।

हरिजनों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं विशेषकर जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद उन पर होने वाले अत्याचारों में काफी वृद्धि हुई है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए सरकार का क्या प्रभावी कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कई राज्य अधिक शक्तियों के लिए मांग कर रहे है। क्षेत्रीय परिषद् के पुनरूथान के लिए भी सुझाव दिया गया है इसके द्वारा राज्यों के प्रतिनिधियों को केन्द्र के साथ समय-समय पर आम समस्याओं के बारे में चर्चा के लिए अवसर मिलेगा। दोनों के बीच घनिष्ठ सहयोग लाने के लिए काफी कुछ किया जाना है। इस प्रकार के केन्द्र—राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिषद् लाभकारी सिद्ध हो सकती है। परिषद् को सक्रिय बनाना होगा ताकि वह अधिकाधिक मामलों पर चर्चा कर सके।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के काम की परख केवल एक मापदंड से की जा सकती है और वह यह है कि एक आम व्यक्ति की रहन सहन की दशाओं में कितना सुधार हुआ है। जनता सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और उन्हें इस देश की आम जनता की रहन सहन की दशा में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए।

Shri D. G. Gawai (Buldhana): Mr. Deputy Speaker, sir, I rise on a point of order.

Mr. Deputy Speaker : There is no point of order .

Shri D. G. Gawai : *

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह सब कार्यवाही वृतांत से निकाल दीजिए।

* अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the Chair.

Shri D. G. Gawai : I walkout.

तत्पश्चात् श्री डी० जी० गवई श्री कचरूलाल हेमराज जैन के साथ सभा भवन से बाहर चले गये।

At the stage Shri D. G. Gawai alongwith Shri Kacharulal Hemraj Jain then left the House.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान ।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : At the outset, I may submit that people of India are not so much disgusted with their own poverty as they are with the prosperity of others. It was a year back when Janata Government was formed but till now nothing concerete has been done to narrow down the disparity between the rich and the poor. On the other hand Tatas and Birlas' income is ever on an increase. My submission is that a ratio of 1 : 100 should be fixed between the rich and the poor.

I would like to know when the Bhoothlingam Committee's report will come out and when it will be implemented?

It is evident from the Budget that tax has been imposed on all essential commodities of daily use with the result that their prices are increasing. The rural people will be hit hard. It is said that 40 per cent of the total outlay will be spent on rural development. There is deficit financing of about Rs. 1000 crores. So in order to fill that gap, Government will have to formulate a definite policy of taking the income of the big business.

Steps should be taken to introduce a uniform system of education for the entire country irrespective of caste or creed. It may be suggested here that two languages, one of the North and the other of the South should be made compulsory for all students.

Government has declared that they will end unemployment wihin a period of ten years. But had they been able to provide employment to even one-tenth of the total unemployed persons so far? The restriction of age limit for recruitment to services should be withdrawn.

It is painful to learn that only one percent of outlay has been allocated for welfare of Harijans and other backward classes. The bureaucracy should change their attitude towards these people.

श्री आर० कोलनथाइवेलु (तिरूवेंगोड़) : जनता सरकार का यह पहला बजट एक अद्वितीय बजट है । परन्तु इसकी कुछ अपनी खामियां भी हैं ।

[श्री एम. सत्यनारायण राव पीठासीन हुए
SHRI M. SATYANARAYNA RAO—IN THE CHAIR]

हमारे वित्त मंत्री गांगा-कावेरी योजना पर विचार करने में सर्वथा असफल रहे हैं । खाद्य समस्या, जल समस्या आदि को समाप्त करने के लिए इस पर विचार किया जाना आवश्यक है । इस योजना के शुरू होने से बेरोजगारी की समस्या सर्वथा समाप्त हो जाएगी और हमारी पूरी भूमि हरियाली में बदल जाएगी । कृषि उत्पादन की वृद्धि के बारे में बजट में कोई उल्लेख नहीं है और इस मद के लिए बहुत कम रुपया रखा गया है ।

इस बजट का उद्योगों, विशेषकर इंजीनियरी उद्योगों की उन्नति पर बड़ा असर पड़ेगा । बिजली और कोयले का मूल्य बढ़ने से अनेक राज्यों और उद्योगों के लिए बड़ी समस्याएं उठ खड़ी होंगी । बिजली पर लैवी, लगने के कारण उर्वक के मूल्यों में वृद्धि करनी होगी ।

यद्यपि ग्रामीण विकास में सहयोग देने के लिए निजी क्षेत्रों को जनता सरकार ने बहुत से प्रोत्साहन दिए हैं परन्तु बजट में जन साधारण को ऐसा कोई प्रोत्साहन नही दिया गया है ।

यद्यपि सरकार ने मूल्यों के संबंध में कई गम्भीर कदम उठाए हैं परन्तु अभी भी उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सका है । थोक मूल्य गिर रहे है परन्तु खुदरा मूल्य भी साथ-साथ बढ़ रहे हैं । यह मंत्रियों के बड़े व्यापारियों की उंगली पर नाचने के कारण हो रहा है । वित्त मंत्री को व्यक्ति या परिवार की क्रय शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसे वे बजट में भूल गए है ।

जनता सरकार गरीबों की शिकायतों को दूर करने में असफल रही है । इनकी कठिनाइयों पर विचार किया जाना चाहिए । पानी की समस्या पर बजट में अधिक बल दिया जाना चाहिए था । देश के बड़े भाग में पानी की समस्या है । सभी लोगों को पानी उपलब्ध कराना सरकार का काम है ।

Shri Ram Murti (Bareilly): Sir, I support this Budget. Almost all sections of people have welcomed it. It is heartening to note that in spite of deficit financing to the tune of about Rs. 800 to 900 crores, the prices have shown a downward trend. The re-allocation of priorities in this Budget have also created a sense of satisfaction among people. This Budget has rightly laid stress on the removal of poverty among lower sections of the society.

Now larger provisions have been made for brining about improvements in rural economy. But the problem is that no infrastructure has been built so far to bring about the expansion of small scale and cottage industries in the rural section. For that purpose, workshops have to be opened to impart training to block development workers and even social workers have to be associated in the task of bringing about rural development. Moreover, effective measures will have to be taken to streamline the system of distribution of wealth.

Government should remain cautious to see that there is no divergence between their precept and practice. The bureaucracy in the country is still very conservative and unless they change their attitude and way of thinking, no saving can be effected in the public expenditure.

It is heartening to note that our relations with neighbouring countries have improved in recent days. This development is commendable.

Reference has been made to gold control. It is learnt that Government propose to sell gold and jewellery of about Rs. 500 crores to foreign countries. This proposal must be implemented because there is a good deal of demand in Middle East and European countries for Indian Jewellery. This will help in making up the deficit in our Budget.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : 220 करोड़ रु० की लागत वाली अपर इन्द्रावती परियोजना के लिए मंजूरी देने पर मैं सरकार को बधाई देता हूं । इससे कालाहांडी निर्वाचन क्षेत्र को लाभ होगा और उससे 600 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ।

मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को समय पर पूरा किया जाये अन्यथा इसकी लागत काफ़ी बढ़ जायेगी ।

बजट में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है । इन असमानताओं में काफ़ी वृद्धि हुई है ।

यदि प्रति व्यक्ति आय को आधार माना जाये तो स्पष्ट है कि उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है । मौसम की विपरीत्त परिस्थितियों के कारण यह असमानता और भी बढ़ जायेगी।

यदि आप राज्यवार योजना परिव्यय को देखें तो आश्चर्य होगा कि समृद्ध राज्यों पर अधिक पैसा खर्च हो रहा है । तीसरी योजना में पंजाब के लिए 212 रुपये और उड़ीसा के लिए 120 रुपये रखे गए थे । चौथी योजना में पंजाब दो भागों में बटं गया—पंजाब और हरियाणा । चौथी योजना में पंजाब के लिए यह 316 रुपये, हरियाणा के लिए 358 रुपये और उड़ीसा के लिए 113 रुपये थी ।

पाचवीं योजना में ऐसा ही किया गया—पंजाब को 748 रुपये, हरियाणा को 599 रुपये और उड़ीसा को 267 रुपये दिये गये । विकसित राज्यों के लिए अधिक परिव्यय से विकसित राज्यों तथा पिछड़े राज्यों में असमानता बढ़ गई । मेरा अनुरोध है कि यह गलती पुनः न दोहराई जाये । वास्तव में जनता पार्टी के घोषणापत्र में यह वचन दिया गया था ।

राज्य में भी अविकसित क्षेत्र हैं । यद्यपि इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है, परन्तु उनका उपयोग न किए जाने के कारण वे क्षेत्र अविकसित पड़े हैं । पश्चिमी उड़ीसा कहीं अधिक पिछड़ा हुआ है । वहां के लोगों का जीवन स्तर शेष उड़ीसा से बहुत नीचा यद्यपि वहां प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य है । इसीलिए पिछली सरकार ने वहां नयाधार में दूसरा इस्पात कारखाना लगाने का सुझाव दिया था । परन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि अब उसे स्थानान्तरित कर मंत्री महोदय के निर्वाचन क्षेत्र पारादीप में लगाया जा रहा है । ऐसा नहीं किया जाना चाहिए । इसी प्रकार एल्यूमीनियम कारखाने के लिए कालाहांडी में जयपटना अधिक उपयुक्त स्थान है परन्तु अब यह सुझाव दिया जा रहा है कि इसे कोरापुट में स्थानान्तरित कर दिया जाए ।

इसी प्रकार रंगाली बांध परियोजना को अब टिकपाड़ा ले जाया जा रहा है । इस परियोजना को मानवीय आधार पर स्वीकार किया जाए ।

बजट मुद्रा स्फीति बढ़ाने वाला है । 1050 करोड़ रुपये का घाटा अप्रत्याशित है । मूल्यों में इससे 15 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी । रुपये का क्रय मूल्य और गिर जाएगा ।

और उत्पादन शुल्क लगाने से औद्योगिक क्षेत्र में मंदी आ जाएगी । सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे तथा उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं होगा ।

देश में बिजली की कमी के होते हुए भी वित्त मंत्री ने कोयले और बिजली पर शुल्क लगाया है बिजली समवर्ती सूची में आता है । विभिन्न राज्य सरकारों ने भी बिजली पर शुल्क लगा रखा है । इस प्रकार बिजली पर दोहरा केन्द्रीय और राजकीय-शुल्क नहीं होना चाहिए ।

एक अन्य बड़ी समस्या काले धन के उपयोग की है। एक हजार रुपये के नोट का चलन बन्द करने से किसी समस्या को हल नहीं किया जा सकता । केवल उड़द पर सफेदी के समान इसका असर हुआ है । काले धन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करने के लिए हमें बेल्जियम से कुछ सीखना चाहिए । युद्ध के बाद बेल्जियम में उन लोगों को जिनके पास रुपया था, मकान बनाने में लगाने को कहा गया तथा यह भी कहा गया कि कोई उनसे यह नहीं पूछेगा कि यह रुपया कहाँ से आया और परिणामस्वरूप समूचा बेल्जियम थोड़े ही समय में बन कर तैयार हो गया ।

यदि सरकार काले धन को समाप्त करना चाहती है, सरकार को सभी राजनैतिक दलों को 1860 के समिति अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर करना चाहिए तथा वे प्रतिवर्ष सरकारी जांच के लिए अपने लेखे दें।

अनुच्छेद 269 में स्पष्ट लिखा है कि विज्ञापन अथवा समाचार पत्रों से होने वाली आय को राज्यों को दिया जाए। परन्तु वित्तीय अधिकार राज्यों से लेकर संविधान की अवहेलना जानबूझ कर की जाती रही है। इस पहलू पर विचार किया जाए।

फिजूलखर्ची को रोकने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पड़ोसियों से अच्छे सम्बन्ध होने के कारण अब रक्षा व्यय में कमी की जा सकती है। शासन तंत्र मितव्ययता से काम ले और सरकारी उपक्रम पूंजी का पूरा पूरा उपयोग करें।

समझ में नहीं आता कि मूल्य अथवा क्रय सम्बन्धी प्राथमिकता क्यों कर दी जाए। मूल्यों का निर्धारण सप्लाई और माँग के नियम के आधार पर हो। परमिट-कोटा पद्धति को समाप्त किया जाए तथा रचनात्मक पहलू का उपयोग किया जाए जिससे देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। यदि प्राथमिकता देनी ही है तो वह लघु उद्योगों को ही दी जाए।

डेरी विकास के लिए 500 करोड़ रुपये रखने के लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं।

यद्यपि सरकारी ऋण 1973-74 के 16,000 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1978-79 में 29,000 करोड़ रुपया हो गया है। परन्तु यह वृद्धि केवल 20 प्रतिशत है। इस बात को ध्यान में रखा जाए। ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति बढ़ाए बिना इस बजट से उस क्षेत्र की क्रय और बचत की शक्ति घट जाएगी।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : कल श्री टी० ए० पाई ने कहा था कि इस देश में राजनीति का निहित स्वार्थ गरीबी में है। काँग्रेस का कोई सदस्य इससे बड़ी आत्म स्वीकृति नहीं कर सकता। "गरीबी हटाओ" का नारा खोखला और भ्रामक था जिसके द्वारा कांग्रेस ने इस देश के लोगों को भ्रमित किया और सत्ता हथियाई। परिणाम गरीबी हटाओ न होकर गरीबों को हटाओ रहा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारों की संख्या 1955 में 55 लाख थी। तीसरी योजना में बताया गया कि यह संख्या बढ़ कर 90 लाख हो गई है। तीसरी योजना के अन्त में 1966 में यह संख्या 150 लाख थी। 1966-69 में तीन वर्ष तक योजना बन्द रहने पर यह संख्या 2 करोड़ हो गई। 1976 के अन्त में बेरोजगार लोगों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ थी। भारत में 8 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। विश्व भर में सम्भवत. यह संख्या सबसे अधिक है। अभी रोज़गार की समस्या भी बड़ी व्यापक है।

जनसंख्या बढ़ने का बेरोजगारी पर बहुत थोड़ा सा असर हुआ है। पिछले 25 वर्षों में जनसंख्या डेढ़ गुना बढ़ी है जबकि बेरोजगारी इस बीच सात गुना बढ़ी है। सरकार की बड़े उद्योगों की नीति के परिणामस्वरूप 30 वर्षों में 55 लाख लोगों को रोजगार मिला। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बड़े उद्योगों और शहरीकरण पर जोर दिया परन्तु 1963 के अन्त में उन्होंने यह स्वीकार किया कि योजनाएं सफल नहीं रही हैं। क्योंकि विशालता पर अधिक जोर दिया गया है तथा लघु उद्योगों, घरेलू उद्योगों, ग्रामोद्योगों तथा छोटी सिंचाई योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था।

यह प्रसन्नता की बात है कि वित्त मंत्री ने देश की गरीबी और बेरोजगारी पर सीधा आक्रमण करने का प्रयत्न किया है।

जनता पार्टी की नीति के अनुसार ग्रामीण विकास के लिए अधिक रुपया रखा गया है । परन्तु यहां भी मुख्य बात भूमि सुधार की है । आवश्यकता, शीघ्रता और कुशलता से भूमि सुधार लागू करने की है । सरकार एक निश्चित नीति बनाए कि कृषि मजदूरों की सहकारी समितियों को घरेलू उद्योग चलाने और खेती योग्य बनाई गई भूमि पर खेती करने के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी ।

रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से कुटीर उद्योगों एवं ग्राम्य उधोगों कोओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । एक बड़े उद्योग में जितनी राशि निवेश किया जाता है यदि उतनी राशि कुटीर उद्योगों में किया जाये तो इन कुटीर उद्योगों में 15 गुना अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है । हमारी आर्थिक नीति के अनुरूप सरकार को कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित कर देने चाहिएं ताकि उन्हें बैंकों से ऋण मिल सके । प्रत्येक जिले में ग्रामीण उद्योगों की कच्चे माल आदि के लिए बैंकों द्वारा सहायता दी जानी चाहिए । वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की वित्तीय सहायता से मूल ग्रामीण उद्योग स्थापित किये जाने चाहिएं । भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को तुरन्त निदेश दिए जाने चाहिएं कि ग्रामीण उद्योगों की हर प्रकार से सहायता की जाये । प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक से यह कहा जाना चाहिए कि वह किसी एक उद्योग में प्रवीणता प्राप्त करे ।

सरकार को विलासिता की सामग्री और सेवाओं की सूची तैयार करनी चाहिए और यह घोषणा की जानी चाहिए कि किसी बैंक द्वारा आज के बाद इन विकास सामग्री और सेवाओं के उत्पादन के लिए किसी प्रकार का बैंक ऋण नहीं दिया जायेगा ।

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए
Shri N. K. Shejwalkar in the chair]

कृषि पर आयकर लगाना चाहिए । इसके लिए हम अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं अर्थात् 15,000 रुपये या 20,000 रुपये की सीमा निर्धारित का सकते हैं । राज्य सरकारें बिक्री कर समाप्त नहीं करना चाहतीं । यदि कृषि आयकर लागू किया जाये तो यह समस्या हल हो सकती है ।

बजट प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन में आमूल सुधार करना अनिवार्य है । प्रशासनिक सुधार आयोग ने 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे और 1976 तक केवल 8 या 9 रिपोर्टों पर ही कार्यवाही हुई है । शेष रिपोर्टों पर अलमारियों में गर्द जम रही है । आशा की जाती है कि प्रधान मंत्री प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें लागू करने के बारे में शीघ्रातिशीघ्र विचार करेंगे । यदि इन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता तो इसके कारण बताये जाने चाहिएं ।

इस देश के प्रशासन को खराब करने वाली अयोग्यता के अलावा भ्रष्टाचार की समस्या बहुत अधिक व्याप्त है जिसे कांग्रेस सरकार ने अपने 30 वर्ष के कुशासन काल में पनपाया है ।

जनता सरकार ने आरम्भ से ही अच्छा कार्य किया है । गृह मंत्री और प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर डाला है कि राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए । आशा की जाती है कि इस बुराई को शीघ्र समाप्त करने के लिए कदम उठाये जायेंगे ।

विद्युतीकरण हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । यह तो अच्छी बात है कि बजट में विद्युतीकरण की ओर समुचित ध्यान दिया गया है ।

कुछ प्रदेशों में यह मांग की गई है कि केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों की जांच की जाये । लेकिन यह उचित मांग नहीं है । आज केन्द्र से लेकर ग्राम पंचायतों तक सभी प्रकार के अधिकारों व शक्तियों—जैसे आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय--के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है । हमें इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए जिससे केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों के बारे में उठा विवाद जन साधारण में न फैलने पाये ।

यह सच है कि संविधान में यह निदेशक सिद्धांत है कि चिकित्सा प्रयोजन के अलावा नशीले पेय और दवाओं पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए । यदि नशाबन्दी कारगर ढंग से और सफलतापूर्वक लागू हो जाये तो मुझे बहुत खुशी होगी । इससे होने वाले राजस्व की हानि और इसके कार्यान्वयन पर होने वाला भारी खर्चा लाखों नशेबाज लोगों की दशा सुधारने हेतु की जाने वाली क्षतिपूर्ति से कहीं कम होगा । लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इसे कारगर ढंग से और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है । हमें पता है कि नशाबन्दी के दौरान बम्बई में क्या हुआ था । यदि नशाबन्दी सफल नहीं हुई तो सरकार में इस सम्पूर्ण मामले का पुनरावलोकन करने के लिए नैतिक साहस होना चाहिए और यह देखना होगा कि बम्बई में हुई धोखाधड़ी केन्द्रीय सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पर दुबारा न होने पाये ।

घाटे की अर्थ व्यवस्था में नियंत्रण तो लाना ही होगा । लेकिन लोगों को नौकरशाही की लाल फीताशाही तथा अनावश्यक नियंत्रण से मुक्त करना भी तो अनिवार्य है । सरकार को नियंत्रण आयोग नियुक्त करने चाहिएं जिनसे सरकार प्रत्येक तीन महीने या छः महीने अथवा एक वर्ष के बाद मिले और उन्हें यह विश्वास दिलाये कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष वस्तु पर नियंत्रण कायम रखने की क्या आवश्यकता है ?

हम गांधीवादी समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते है जो नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर निर्मित हो और जिसकी पिछली सरकार ने पूर्णतः अवहेलना की है । हमें यह याद रखना होगा कि लोकतंत्र से रहित समाजवाद जिसमें हिंसा शामिल है, फासिस्टवाद या साम्यवाद की ओर ले जाता है । यही श्रीमती इन्दिरा गाँधी और उसके सभी सहयोगियों ने इस देश में करने का प्रयास किया। हमें सर्वप्रथम अपना लोकतंत्र मजबूत बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि यह नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हो ।

मैं बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वित्त मंत्री की आकांक्षाएं सभी योजनागत परियोजनाओं को कार्यान्वित कर तथा प्रशसान में सुधार करने से शीघ्र ही पूरी होंगी ।

पिछले शासन के प्रति कट्टर वफादारी अब सेवाओं में नहीं चलने दी जानी चाहिए । सरकार के पास अधिकार है कि वह उन्हें सेवानिवृत्त कर सकती है । सरकार को उन व्यापारियों से भी सावधान रहना चाहिए जिन्होंने पिछले शासन से लाभ उठाने का प्रयास किया और जो अब दिल्ली में छाते जा रहे हैं ।

Shri Rajendra Kumar Sharma (Rampur): During the last 30 years no direction had been given to the country. In this Budget an attempt has been made to take the country in the right direction and the hon. Finance Minister deserves congratulations for that.

The rural people were waiting for this Budget with great expectation. The Budget by giving due attention to the development of rural areas will try to meet the aspirations of the rural population.

Power crisis is the greatest problem being faced by the country at present. The provision of Rs. 2,200 crore to meet this crisis is very inadequate. If we want to tide over this crisis properly there should be provision of at least Rs. 4,000 crores. Special attention will have to be paid to augment power generation, because power shortage is adversely affecting all sectors of our economy.

Turbines manufactured by Bharat Heavy Electricals are not giving good performance. We should import turbines and other things required for power generation.

U. P. is very backward. Main reason for this backwardness is indifferent attitude of the Central Government towards the developmental needs of U.P. The State is not given adequate grants keeping in view its size and population. There is a provision of Rs. 500 crores in the Budget for animal hasbandry.This is very inadequate in view of the great need for cattle-breeding in the country. The yield of our milch cattle is very low and their number will have to be increased. Every household must have at least one milk yielding animal. Only then our people can become physically strong. The provision of Rs. 500 crores should therefore be doubled.

The State of Uttar Pradesh is lagging behind in the matter of literacy. It is because adequate funds have not been made available to the State in the past. The hon. Finance Minister should see that more funds are made available to the State for development of education.

In the matter of industrialisation also Uttar Pradesh is lagging behind. No heavy industry has so far been set up in the State. This should also be looked into.

As regards taxation we should abolish indirect taxes and only have direct taxes. It is because the indirect taxes like the sales tax are a big source of corruption.

So far as income-tax is concerned, we find that in many countries, it is a major source of national income. But in our country its contribution to our national income is very insignificant because there is a large scale evasion of this tax. If the Finance department gears up the income tax machinery, the income under this head can increase substantially.

The reduction in the rate of interest on small savings will adversely affect the common man. The hon. Finance Minister should reconsider the matter.

A separate fund should be created for rural areas even by levying a new tax, if necesary, so that whenever there is a natural calamity, assistance could be made available to the people.

Shri Pius Tirkey (Alipurdwar) : This Budget is likely to have an adverse effect on the family budget of common man. What a common man needs is food, cloth, house, education and medical facilities. It is doubtful whether he will be able to get these things through this Budget.

Mention has been made of running cottage industries in villages. But it has not been mentioned as to who will run them? This is a big question mark.

Often it is said that we have so much foodgrain that there is no place to store them but even then 70 per cent people are living below poverty line who have neither enough food to eat nor enough clothes to cover their bodies. The parad has to be resolved.

We have heard that there is black money to the extent of Rs. 20 thousand crores. But there is no mention in the Budget about what is proposed to be done to unearth the same.

Future alone will show whether this Budget is able to provide employment, food, house, education and medical facilities to all. If this cannot be achieved, the Janata Government will not succeed.

We have capitalist system in our country in which there is exploitation of man by man. Generally it is the poor people who are being exploited and their condition is getting worse day by day. In order to improve their lot it is necessary to bring about a change in the present order.

It is regretable that although the tea gardens earn a lot of foreign exchange for the country, the workers thereof are suffering and their condition is miserable. Government should pay more attention to these people and improve their lot.

We want to set up panchayati raj in the country which is something good. But it is doubtful whether it will be successful in the present set up.

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कठवा) : सभापति महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है।

इन बजट प्रस्तावों से जनता की आकांक्षाएं या सरकार के उद्देश्य परिलक्षित नहीं होते। इसमें निस्संदेह उद्योगों के विकास में विलंब होगा और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। पूंजी निवेश में कमी होगी और निर्यात भेड़ियों में कमी आएगी।

जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बार-बार हमें यह बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा और आम जनता की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि उत्पाद शुल्क 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप न केवल मुद्रास्फीति ही होगी बल्कि उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के मूल्य बढ़ाने पड़ जाएंगे परिणामतः देश की जनता को ही सब परेशानी होगी। क्रय क्षमता कम हो जाएगी। बजट में घाटे का बजट बनाकर 1050 करोड़ रुपये हो गया है। सार्वजनिक ऋण भी 15 प्रतिशत बढ़ा है। बजट में कोई सुनियोजित योजना नहीं है। इसके कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के संबंध में कुछ संकेत नहीं दिया गया है। जब तक सुनियोजित योजना नहीं बनाई जाती तब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव नहीं है।

जहां तक आयोजना का संबंध है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम वर्ष में रद्द कर दिया गया और सरकार अब अनवरत योजना पर निर्भर कर रही है जो अपने आप में लक्ष्यविहीन, उद्देश्य विहीन और ढुलमुल है।

उत्पाद शुल्क में वृद्धि से 140 से ज्यादा वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

आधे घंटे की चर्चा

HALF AN HOUR DISCUSSION

विदेशी औषध कम्पनियों का विस्तार

श्री प्रसन्न भाई महेता (भावनगर) : यह पहली बार नहीं है कि मैं इस विषय पर बोल रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि संबंधित मंत्रालय एवं उसके अधिकारी विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध कठोर कार्य क्यों नही करते, जबकि ये कम्पनियां विभिन्न तरीकों से गोलमाल करके भारी मुनाफा कमा रही है और अल्प पूंजी आधार पर अपने लाभांश और आरक्षित निधि में भारी वृद्धि कर रही हैं।

दिनांक 21 जनवरी, 1977 के 'इक्नामिक टाइम्ज' नई दिल्ली के अनुसार दो दशाब्दियों से भी कम समय में 25 विदेशी कंपनियों की परिसंपत्तियां 9 करोड़ रुपये से बढ़कर 200 करोड़ रुपये हो गई हैं। इतनी असाधारण वृद्धि कैसे हुई। इसका मुख्य कारण है कि संबंधित अधिकारियों की साठ-गांठ के कारण ये कंपनियां अवैध रूप से उत्पादन कर रही हैं।

इस समय भी फाइजर, मे एण्ड बेकर, ग्लैक्सो, सैंडोज और हैक्सर जैसी अन्य कंपनियां अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से कहीं अधिक दवाइयां बना रही हैं।

मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के नाम से एक नया क्षेत्र बनाया है। यह क्षेत्र क्या है? क्या किसी सांविधिक नियम या अधिसूचना के अन्तर्गत इसे सरकार की मान्यता प्राप्त है? यदि ऐसा नहीं है तो इस क्षेत्र में कंपनियों का भारी मुनाफा विदेश भेज कर हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को कम क्यों किया जा रहा है ?

दिनांक 6 दिसम्बर, 1977 को मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 2845 के उत्तर में मंत्री जी ने बताया था कि मैसर्ज फाइजर 'परोटिनैक्स' का उत्पादन आई (डी०एण्ड आर०) अधिनियम के अधीन अनुमति लिए बिना उसे बेच रही है। उन्हें आई (डी०एण्ड आर०) अधिनियम और डी०पी०सी०ओ० 1970 के अधीन दो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। आगे यह भी कहा गया कि कंपनी से प्राप्त उत्तरों का अध्ययन विधि मंत्रालय से परामर्श कर के किया जा रहा है। हमें पता नहीं है कि विधि मंत्रालय से विचार विमर्श पूरा हो गया है या नहीं लेकिन सुना है कि विधि मंत्रालय ने किसी दवाब के कारण अपना विचार बदल दिया है। मंत्री जी इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

इस कंपनी द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के अधीन कई और दवाइयां बिना लाइसेंस के बेची जा रही हैं। अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विदेशी प्रभुत्वाधीन जिन कंपनियों ने आई०डी०एण्ड आर० अधिनियम, 1956, आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947, आवश्यक वस्तु अधिनियम और एफ०आई०आर०ए०, 1973 के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन हाथी समिति के प्रतिवेदन की आड़ में किया है, क्या सरकार 31 दिसम्बर, 1978 तक उनके उत्पादन को विनियमित करेगी? प्रश्न यह है कि क्या कार्यपालिका ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो संसद् द्वारा पारित अधिनियमों के विरुद्ध है ?

क्या यह तथ्य है कि भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी मात्रा में बनने वाली औषधियों और दवाइयों के संबंध में 1 : 10 और आयातित तथा देशी कच्चे माल से बनने वाली दवाइयों के संबंध में 1 : 2 का

अनुपात रखा गया है जबकि हाथी समिति ने ऐसी सिफारिश नहीं की थी? क्या यह भी सच है कि विदेशी कंपनियों के लिए हाथी समिति ने बड़ी मात्रा में बनने वाली औषधियों और दवाइयों का अनुपात 1: 5 और आयातित तथा देशी कच्चे माल से बनने वाली दवाइयों का अनुपात 1 : 2 नहीं रखा था अपितु आपके मंत्रालय ने इस अनुपात का प्रस्ताव किया था ? क्या यह भी सच है कि असंगठित क्षेत्र में इन कंपनियों ने मूल औद्योगिक लाइसेंस के अभाव में ऋण लाइसेंस प्राप्त कर रखे हैं यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर से पहले श्री रवींद्र वर्मा कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौदहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

आधे घंटे की चर्चा—जारी
HALF AN HOUR DISCUSSION—*contd.*

विदेशी औषध कम्पनियों का विस्तार

पैट्रोलियम और रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : 1970—77 के बीच विदेशी कंपनियों ने औषध क्षेत्र में जो भयंकर गोलमाल किया है उसके बारे में मैं भी सदस्य महोदय की तरह ही चिन्तित हूं । जिन बातों को उन्होंने उठाया है, हाथी समिति पहले ही उन पर विचार कर चुकी है। मैं मानता हूं कि 1970—75 के बीच सरकार ने जान-बूझकर चार अधिनियमों की अवहेलना की और आज जो स्थिति पैदा हुई है, हमें उसका हल निकालना है।

यह सच है कि लाइसेंस प्राप्त क्षमता को बढ़ाया गया है और लाइसेंस रहित वस्तुओं का भी उत्पादन हुआ है। आयात निर्यात विनियम अधिनियम और एम०ई०आर०ए० का भी पालन नहीं किया गया है। इन सभी मामलों में अधिकारियों की सांठ-गांठ भी थी। अतः हमें उसका सुधार करना है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

मंत्रिमंडल के सामने एक पत्र विचारार्थ रखा गया है जिसमें सब बातों पर ध्यान दिया गया है

मुझे केवल एक ही आश्वासन देना है। बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध जनमत प्राप्त कर उस पर ध्यान दिया है। कहीं उनकी साम्यपूंजी 100,000 रुपये है लेकिन उन्होंने 45 लाख रुपये का लाभ कमाया है। लेकिन यहां मंत्रिमंडलीय सरकार होने के कारण मैं अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकता। इस मामले पर मंत्रिमंडल को विचार करना है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना उचित नहीं होगा। मुझे पूरी आशा है कि सरकार जनहित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगी। उन्हें देश से बाहर भेजना भी जनहित में नहीं रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

Dr. Laxmi Narain Pandey (Mandsaur): Sir, the hon. Minister has said that they are going to decide the matter concerning foreign drug companies very soon, but these companies are still exploiting us in many ways. They are misusing their brand names and making high profits. Such disparities should be removed so that the prices of drugs may come down and poor people may get medicines at cheaper rates. These companies are spending huge amounts of money on representations and advertisements etc. This expenditure is added to the cost of these medicines. Some Vitamins like Vitamin 'C' is not so useful as a living advertised. I agree with the hon. Minister, but there must be some positive decision in this matter and this racket must be brought to an end and Indian drug companies should be given encouragement and support so that poor people may get medicines at cheap rates.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Our drug inspectors have come conmined with these foreign drug companies and give report in their favour.

Secondly, I want to known the total amount remitted by these multinational companies since 1970 and how much money they had given to the previous Government in the form of donation and the extent to which the prices of drugs were increased by them ?

I also want to know the steps being taken by Government to bring down the prices of medicines made by these foreign drug companies so that poor people might be able to purchase them.

Spurious drugs are being manufactured in our country and are being sold at cheaper rates. The premises of these fake drug companies were raided, spurious drugs were seized there, but no action was taken against them. I also want to know the action being taken against fake drug companies by the Government?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाममंड हार्बर) : ये विदेशी औषध कंपनियां कुछ मूल औषधियों को 200 प्रतिशत से भी अधिक लाभ पर बेच रही हैं। हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय सब से कम है। मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में हमें स्थिति से अवगत कराया है, लेकिन हम यह देखेंगे कि वह आगामी समय में क्या करने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि हाथी समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद सरकार ने कितनी विदेशी औषध कंपनियों को अपने व्यापार का विस्तार करने की अनुमति दी और उनमें से कितनी कंपनियों ने सरकार के निदेशों का उल्लंघन किया है ?

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : हम इस समस्या का राजनीतिक मोर्चे पर ही मुकाबला नहीं कर रहे हैं बल्कि राजनीतिक सम्बन्धों के माध्यम पर भी कर रहे हैं। हम गत 10 वर्ष से लड़ रहे हैं और यहां अनेक सुझाव

भी दिए गए हैं तथा उनका समाधान भी सुझाया गया है। हाथी समिति के प्रतिवेदन पर भी चर्चा हो चुकी है तथा अनेक सदस्यों ने अपने मत भी व्यक्त किए हैं कि ये कम्पनियां कैसे नियमों का उल्लंघन कर रही है और मूल ढांचे तथा अन्य मामलों को तरोड़-मरोड़ कर भारी मुनाफा कमा रही ह । लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहो है कि ये अपना कार्य ठीक प्रकार से करें। हाथी समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने में इतना विलम्ब क्यों किया गया है और उद्योग मंत्रालय तथा कंपनी-कार्य विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की है ? किसी की तो इन कंपनियों के साथ घुसपैठ है। इसमें कम्पनी-कार्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय की सांठ-गांठ दिखाई देती है। गत 10 महीने से हाथी समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि इन कंपनियों का हमारे मंत्रालयों पर दवाब पड़ रहा है। क्या यह सच नहीं है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी औषध निर्माता कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और कम्पनी-कार्य विभाग उत्तरदायी है ? इन सभी मामलों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हम इस सम्पूर्ण मामले पर शीघ्र कार्यवाही करने जा रहे हैं। इस बारे में मुझे दुख है कि हाथी समिति की सिफारिशों को इस प्रकार अनिर्णीत रखा गया। इस सम्बन्ध में मैं अधिकारियों के विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूं । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सदन में की गई चर्चा निर्णय लेने में मंत्रिमंडल के लिए लाभदायक सिद्ध होगी।

यह कहा गया है कि हमारे अधिकारियों ने इन कंपनियों के साथ सांठ-गांठ कर रखी है। मैंने इसकी जांच की है। यह प्रश्न सलाहकार समिति में भी उठाया गया था । मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं कि 10 महीने से इस पद पर आसीन होने के बावजूद मैं इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सका हूं। लेकिन मैं इतना आश्वासन देता हूं कि मैं इस मामले पर निरन्तर प्रयास करता रहूंगा और अन्त में विजय हमारी ही होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने विशिष्ट सूचना मांगी थी कि कितनी कम्पनियों को अपना विस्तार करने के लिए लाइसेंस दिए गए थे और उनमें से कितनी कम्पनियों ने सरकारी निदेशों, नियमों, कानूनों आदि का उल्लंघन किया और इन कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय सदस्य ने बहुत विस्तृत जानकारी मांगी है। लेकिन सभी कंपनियां दोषी हैं।

Shri Kalyan Jain (Indore) : The assurance of the Minister is vague. He says they are discussing the Hathi Committee Report, and then he says the report will be laid here.

Shri H. N. Bahuguna : We have already submitted that report before the Cabinet.

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Question is very specific. Glaxo and Pfizer have produced drugs & formulation in excess of their licensed capacity. What action have been taken against them?

Shri H. N. Bahuguna : I have already said that all these companies are guilty of this offence and we are trying to get rid of them.

ज्यों ही मंत्रिमंडल द्वारा इस पर निर्णय किया जायेगा मैं तुरन्त इसे सभा-पटल पर रखूंगा और अपनी कार्यप्रणाली से भी अवगत कराऊंगा। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे भी अपने में से एक समझें और मुझे आशा है कि सफलता अवश्य मिलेगी।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरूवार 16 मार्च, 1978/25 फाल्गुन, 1899(शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 16th March 1978/ Phalguna 25, 1899 (Saka)

MGIPRRND—Sec VIII—7 LSS/78—14-8-78—210